सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ_कालीन_योजना

(2002–2007)

तथा

वार्षिक कार्य योजना एवम् बजट

2003-2004

जनपद–अम्बेडकरनगर

सर्व शिक्षा अभियान

अम्बेडकरनगर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ सं0
1.	जनपद का संक्षिप्त परिचय	01–05
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	06–25
3	नियोजन प्रकिया	26–42
4.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवम् लक्ष्य	43–49
5.	समस्याएं एवम् रणनीतियां	50–53
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–। (नवीन औपचारिक विद्यालय)	54–58
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–।। (ईजीएस, एएस एवम् एआईई)	59–73
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	74–106
9.	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना	107–134
10.	परियोजना कियान्वयन एवम् अनुश्रवण	135–154
11.	परियोजना लागत (सारणी)	155–160
12.	वार्षिक कार्य योजना एवम् बजट 2003–04	161–162

अध्याय–1
जनपद अम्बेडकरनगर का संक्षिप्त परिचय

पृष्ठभूमि:– जनपद अम्बेडकरनगर फैजाबाद मण्डल में स्थित पूर्वान्चल का एक जिला है। इस जनपद का सृजन प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमन्त्री माननीया सुश्री मायावती द्वारा २९ सितम्बर १९९५ को फैजाबाद को विभक्त कर प्रदेश के ६७ वें जनपद के रूप में किया गया। इस जनपद का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डा०भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। जनपद मुख्यालय अकबरपुर की स्थापना महान मुगल सम्राट अकबर के समय में मुहम्मद मोहसिन द्वारा टोंस नदी के तट पर की गयी थी। अम्बेडकरनगर की माटी अध्यात्मिक दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। यहॉ श्रवणक्षेत्र, दरगाह शरीफ, शिवबाबा,लल्लन जी ब्रह्मचारी, महात्मा गोविन्द साहब की जन्मभूमि एवं तपस्थली स्थित है। उपरोक्त सभी स्थान पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। सिद्ध संत महात्मा गोविन्दसाहब की साधना एवं समाधि स्थली अहिरौली गोविन्दमठ आज देश भर में आस्था श्रद्धा एवं विश्वास का केन्द्र बना हुआ है। यहॉ बाबा की जयन्ती के पुनीत अवसर पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में अपार जन समूह उमड़ पड़ता है तथा लोग पवित्र गोविन्द सरोवर में स्नान करके अपने आपको धन्य समझते हैं। हिन्दी साहित्य की परम्परा दादू दयाल, रैदास, तुलसी, नन्द दास की भॉति अध्यात्मिक तथा जन सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सौहार्द एवम् साम्प्रदायिक एकता के प्रतीक महात्मा गोविन्द साहब जी महाराज कबीर एवम् नानक की परम्परा के प्रमुख संत थे। रामानन्द के शिष्य एवं महान संत कवि कबीरदास ने जिस संत परम्परा व भक्ति साहित्य की आधारशिला रखी थी, गोविन्द साहब जी ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य किया। गोविन्द साहब जी की रचनाओं में हिन्दी में सत्यसार, सत्यटेक और ज्ञान गुथ्य, अलिफनामा तथा संस्कृत में गोविन्द योगभास्कर प्रमुख हैं। इनकी सभी रचनाएं साम्प्रदायिक सद्भाव का संदेश देती हैं। जनपदमुख्यालय से १२ किमी दूर बिसुई तथा मड़हा नदी के संगम तट पर श्रवण क्षेत्र स्थित हैजहॉ पर श्रवण कुमार जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहॉ अग्रहायण माह की पूर्णमासी को विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करके, श्रवण क्षेत्र की परिक्रमा करके सुख शान्ति का अनुभव करते हैं। जनपद मुख्यालय के पास ही शिवबाबामंदिर भी दर्शनीय स्थल है जहॉ प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को हजारों श्रद्धालु आते रहते है। महान समाजवादी चिन्तक, विचारक एवं स्वतन्त्रता सेनानी डा० राम मनोहर लोहिया जी की जन्मस्थली एवं कार्य स्थली जनपद मुख्यालय अकबरपुर ही रहा है। इस प्रकार जनपद का अपना एक विशिष्ट पौराणिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है।

भौगोलिक स्थिति:— पूर्वान्चल में स्थित अम्बेडकरनगर जनपद उत्तर प्रदेश के ६७ वें जनपद के रूप में फैजाबाद की तीन तहसीलों अकबरपुर, टाण्डा एवम् जलालपुर को पृथक कर अस्तित्व में आया। जनपद की उत्तरी सीमा को जनपद बस्ती एवं गोरखपुर से सरयू नदी (घाघरा) पृथक करती है। जनपद की पूर्वी सीमा पर आजमगढ़, दक्षिणी सीमा पर सुल्तानपुर एवं पश्चिमी सीमा पर फैजाबाद जनपद स्थित है।

जनपद के पश्चिम दिशा में बहती हुई मड़हा एवं बिसुई नदी श्रवण क्षेत्र में मिलकर तमसा नदी के नाम से प्रवाहित होकर जनपद को दो प्राकृतिक भागों में विभक्त करती हुई जनपद आजमगढ़ में प्रवेश करती है। भौगोलिक संरचना के आधार पर जनपद को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है—

१. दक्षिण में मझई नदी का कछारी भाग
२. उत्तर में घाघरा नदी का माझा भाग
३. तमसा नदी का मध्य भाग

जनपद का पूर्वी भाग रेतीली मिट्टी, मध्य भाग दोमट मिट्टी तथा घाघरा नदी के किनारे की भूमि रेतीली है। जनपद की भूमि प्राय: समतल है तथा सिंचाईआदि हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध है। जनपद में घाघरा, टोंस, मड़हा, विसुई, तमसा तथा मझुई नदियां बहती हैं जिनमें घाघरा नदी वर्षभर सतत् प्रवाहशील रहती है।

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है। जनपद में सामान्य वर्षा का वार्षिक औसत ८४९ मिलीमीटर रहा है। जनपद का औसत तापमान ४३.९ डिग्री सेन्टीग्रेड अधिकतम तथा न्यूनतम ३.२ डिग्री सेन्टीग्रेड रहा है। वर्तमान में जनपद में १३१४ प्राथमिक विद्यालय ३६८ जूनियर हाईस्कूल, ११९ हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेज तथा १७ महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद में डायट तथा राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हो चुकी है। जनपद मुख्यालय आधुनिक रेल एवं सड़क यातायात से जुड़ा है तथा यहाँ एक हवाई अड्डा भी स्थित है।

क्षेत्रफल:— इस जनपद का कुल भौतिक क्षेत्रफल २३५७ वर्ग किमी है जो उत्तर प्रदेशके सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का ०.९८ प्रतिशत है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ९८.७ प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा केवल १.३ प्रतिशत भाग नगरीय है। जनपद की कुल जनसंख्या२००१ की जनगणना के अनुसार २०,२५,३७३ मात्र है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या ९१.०२ तथा नगरीय जनसंख्या ८.९२ प्रतिशत है। जनपद का प्रतिवर्ग किमी औसत जनसंख्या घनत्व ८४५ हैं। प्रति एक हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या ९७७ है तथा अनसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग २४.०३ प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का लगभग

५९.०६ प्रतिशत भाग साक्षर है। तीव्र आर्थिक विकास एवं सुदृढ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण से वर्तमान में जनपद को चार तहसीलों क्रमशः अकबरपुर, टाण्डा, जलालपुर एवम् आलापुर तथा नौ विकासखण्डों क्रमशः अकबरपुर,कटेहरी, भीटी, टाण्डा, बसखारी, जलालपुर,भियाँव, रामनगर एवम् जहाँगीरगंज में विभक्त किया गया है। पुनः सम्पूर्ण जनपद कुल ११२ न्याय पंचायतों, ८०५ ग्राम पंचायतों एवं १६७७ आबाद ग्रामों में विभक्त है। १९९१की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल १७८२ ग्राम हैं जिनमें से १०५ गैर आबाद ग्राम है। इस प्रकार केवल १६७७ आबाद ग्राम हैं।

सारणी–I

ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
तहसील	०४
विकासखण्ड	०९
न्यायपंचायत	११२
ग्राम सभाएँ	८०५
राजस्व ग्राम(आबाद + गैर आबाद)	१७८२
आबाद बस्तियों की संख्या	१६७७
नगरीय क्षेत्र	
नगर निगम	—
नगर महापलिका	—
नगर पालिका	०३
टाउन एरिया	०२
वार्ड	९६
स्रोत :– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अम्बेडकरनगर	

प्रशासनिक इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	तहसील	विकासखण्ड	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	आबाद बस्तियों / वार्ड की संख्या	गैर आबाद बस्तियों की संख्या
1	अकबरपुर	अकबरपुर	18	135	223	04
2		भीटी	11	79	174	06
3		कटेहरी	11	85	181	05
4	जलालपुर	भियांव	10	75	140	03
5		जलालपुर	14	98	168	01
6	टाण्डा	बसखारी	10	65	124	14
7		टाण्डा	14	96	243	26
8	आलापुर	रामनगर	12	87	189	21
9		जहॉगीरगंज	12	85	235	25
10	नगर क्षेत्र	नगरपालिका परिषद टाण्डा			25	
11		नगरपालिका परिषद अकबरपुर			25	
12		नगरपालिका परिषद जलालपुर			25	
13		नगर पंचायत इल्तिफातगंज			10	
14		नगर पंचायत किछौछा			10	
	योग		**112**	**805**	**1677+95**	**105**

जनसंख्या:– २००१ की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या २०,२५,३७३ है, जिसमें से कुल जनसंख्या का लगभग ९१.०२ प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा ८.९२ प्र.श. भाग नगरीय जनसंख्या है। जनपद में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या १९९१ की जन गणना के अनुसार ३९१६६९ है जो कि कुल जनसंख्या का लगभग २४ प्रतिशत है। २००१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। २००१ की जनगणना के अनुसार ' कुल जनसंख्या 2025373 में से 1024712 पुरूष तथा 1000661 महिला हैं। अनुसूचित जाति की कुल आबादी ३,९१,६६९ में से २००३३६ पुरूष तथा शेष १९१३३३ स्त्रियॉ हैं। जनपद में प्रति एक हजार पुरूष पर स्त्रियों की औसत संख्या

९७७ है। २००१ की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किमी जनसंख्या (जनसंख्या घनत्व) ८५४ है।

जनपद की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की २००१ की जनसंख्या का १.२२ प्रतिशतहै, जबकि १९९१ में यह १.२ प्रतिशत था। १९९१–२००१ के मध्य जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर २४.३१ प्रतिशत रही है। जबकि १९८१–९१ के मध्य यह वृद्धि दर २५.४५ प्रति शत थी। १९९१ की जनगणना के अनुसार जनपद में महिला पुरूष अनुपात ९४३ प्रति १००० था, जबकि २००१ की जनगणना में यह अनुपात प्रति एक हजार पुरूषों पर ९७७ हो गया अर्थात् लिंग अनुपात में ४४ अंकों का सुधार हुआ है। इसी प्रकार औसत जनसंख्या घनत्व १९९१ में ६९१ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से २००१ में बढ़कर ८५४ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। १९९१ की तुलना में २००१ में नगरीय जनसंख्या में लगभग २८.१ प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती हैं। जनपद में नगरीय जनसंख्या लगभग ८.९२ प्रतिशत मात्र है।

अध्याय–2
शैक्षिक परिदृश्य

शिक्षा किसी भी देश एवं समाज के आर्थिक एवम् सामाजिक विकास का प्रथम सोपान है। शैक्षिक प्रगति से मानव संसाधन का विकास एवम् अच्छे नागरिक का निर्माण होता है । जनपद अम्बेडकरनगर में सन् २००० से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शैक्षिक परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं था। लोगों में गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण प्राथमिक शिक्षा दयनीय स्थिति में थी, किन्तु जनपद में ०१ अप्रैल २००१ से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। का श्रीगणेश हुआ जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास प्रारम्भ हुए। फलस्वरूप शिक्षा के पहुँच का विस्तार होने के साथ–साथ नामांकन ठहराव, गुणवत्ता एवं क्षमता संवर्धन हेतु अनेक हस्त क्षेप एवं कार्यक्रम शुरू किये गये। इन कार्यक्रमों के उत्साह वर्धक परिणाम सामने आये हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। से बालिका शिक्षा की स्थिति में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुधार हेतु इस तरह का कोई प्रयास न होने के कारण कक्षा 06 से 08 तक की शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। अतः एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो प्रारम्भिक शिक्षा की कमियों को दूर कर सार्वभौमिक गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2002–03 से उच्च प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये जिससे पहुँच का विस्तार हुआ है।

साक्षरता:– जनपद अम्बेडकरनगर की साक्षरता दर बहुत कम है। १९९१ की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर ३९.७ प्रतिशत थी, जो २००१ में बढ़कर ५९.०६ प्रतिशत हो गयी है। यह उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर ५७.३६ प्रतिशत से कुछ अधिक है। २००१ की जनगणना के अनुसार जनपद में पुरूष साक्षरता दर ७१.९३ प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता दर बहुत कम अर्थात लगभग ४६ प्रतिशत ही है। इस प्रकार जनपद की महिला साक्षरता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। १९९१ की जनगणना में जन पद के कटेहरी एवं अकबरपुर की महिला साक्षरता दर २० प्रतिशत या उससे कम थी, जबकि पुरूष साक्षरता की दर विकासखण्ड अकबरपुर में सबसे कम अर्थात ५०.९ प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर क्रमश: ५४ प्रतिशत एवं २१.८ प्रति शत जबकि उन्हीं के लिए नगरीय साक्षरता का प्रतिशत क्रमश: ६७.३ प्रतिशत तथा ४६.४ प्रतिशत था। इस प्रकार नगरीय एवं ग्रामीण महिला साक्षरता दर में बहुत भारी अन्तर स्पष्ट

होता है। २००१ की जनगणना के अनुसार साक्षरता सम्बन्धी विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है–

सारणी – 2.1

जनपद की साक्षरता दर (जनगणना १९९१)

विवरण	जनपद की साक्षरता		प्रदेश की साक्षरता	
	1991	2001	1991	2001
कुल साक्षरता	39.7	59.06	40.71	57.36
ग्रामीण साक्षरता	38.0	-	36.66	-
नगरीय साक्षरता	57.4	-	61.0	-
कुल पुरूष साक्षरता	55.20	71.93	54.82	70.23
कुल महिला साक्षरता	23.30	45.98	24.37	42.98
ग्रामीण पुरूष साक्षरता	54.0	-	52.11	-
ग्रामीण महिला साक्षरता	21.8	-	19.02	-
नगरीय पुरूष साक्षरता	67.3	-	68.98	-
नगरीय महिला साक्षरता	46.4	-	50.38	-

स्रोत– कार्यालय अर्थ एवम् संख्या अधिकारी/जनगणना कार्यालय अम्बेडकरनगर

सारणी – 2.1.1

साक्षर, निरक्षर जनसंख्या का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	कुल जनसंख्या			साक्षर जनसंख्या			निरक्षर जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
१.	१९९१	८३८७७६	७९०५५७	१६२९३५३	३६७८३७	१४७००५	५१४८४२	४७०९३९	६४३५५२	१११४४९१
२.	२००१	१०२४७१२	१०००६६१	२०२५३७३	५९७२४२	३७५८१८	९७३०६०	४२७४७०	६२४८४३	१०५२३१३

स्रोत – जनगणना कार्यालय, अम्बेडकरनगर

विकासखण्डवार साक्षरता

जनपद की विकासखण्डवार कुल पुरूष, महिला साक्षरता दर निम्नलिखित सारणी में दर्शाया जा रहा है–

सारणी – 2.2

क्र०सं०	विकासखण्ड	साक्षरता दर प्रतिशत में		
		पुरूष	महिला	योग
१.	अकबरपुर	५०.९	२०.०	३६.०
२.	कटेहरी	५३.०	१९.८	३६.७
३.	भीटी	५४.२	२०.७	३७.९
४.	टाण्डा	५३.६०	२२.८०	३९.०
५.	बसखारी	५२.०	२३.४	३८.२
६.	जलालपुर	५५.५	२२.१	३९.३
७.	भियॉव	५४.६	१८.५	३६.६
८.	रामनगर	५५.६	२०.९	३८.५
९.	जहॉगीरगंज	५८.१	२२.३	४०.२
	योग ग्रामीण	**५४.०**	**२१.८**	**३८.०**
१०.	नगरक्षेत्र	६७.३	४६.४	५७.४
	महायोग	**५५.२**	**२३.३**	**३९.७**
स्रोत – कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकरनगर				

नोट:—जनगणना **2001** के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध न हो पाने के कारण जनगणना १९९१ का ब्लाकवार साक्षरता दर प्रस्तुत किया जा गया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पुरूष साक्षरता दर विकासखण्ड जहॉगीरगंज में सर्वाधिक अर्थात् ५८.१ प्रतिशत, जबकि विकासखण्ड अकबरपुर में यह सबसे कम अर्थात् ५०.९ प्रतिशत मात्र है।

शैक्षिक संस्थाएं :—वर्तमान में जनपद अम्बेडकरनगर में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त १३१४ प्राथमिक विद्यालय,३६६ जूनियर हाईस्कूल, ११९ हायर सेकन्ड्री स्कूल/सेकेन्ड्री स्कूल तथा १७ महाविद्यालय संचालित हैं। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी २.३ में दिया गया है, जो निम्नवत् है—

सारणी 2.3

क्र० सं०	विवरण	परिषदीय/ ग्रामीण			मान्यता प्राप्त			कुल		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
१	प्राथमिक विद्यालय	1077	18	1095	248	16	264	1325	34	1359
२	विद्या केन्द्र (ईजीएस)	85	–	85	-	-	-	85	-	-
३	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ए०एस०)	85	-	85	-	-	-	85	-	85
४	उच्च प्राथमिक विद्यालय	164	2	166	245	11	256	409	13	422
५	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	01	–	01	01	–	01
६.	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
७	हाईस्कूल	00	01	01	50	07	57	50	08	58
८	इण्टर कालेज	02	01	03	52	06	58	54	07	61
९	डिग्री कालेज	01	00	01	10	02	12	11	02	13
१०	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	03	01	04	03	01	04
११	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
१२	तकनीकी संस्थान (आई०टी०आई० / पालीटेक्निक)	01	–	01	02	01	03	03	0	04
१३	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	12	–	12	12	–	12
१४	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	955	–	955	–	–	–	–	–	–
१५	मकतब / मदरसे	–	–	–	67	04	71	67	04	71
१६	संस्कृत पाठशालाएं	3	–	3	23	–	23	26	–	26
१७	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–
१८	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–

जनपद में 1844711 ग्रामीण आबादी के लिए केवल 1077 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं, इस प्रकार औसत 1713 (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी पर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है जबकि 11248 की जनसंख्या पर एक जूनियर हाईस्कूल उपलब्ध है। नगरक्षेत्र टाण्डा में 2001 की जनसंख्या के अनुसार 117139 की आबादी पर वर्तमान में कुल 34 प्राथमिक वि० कार्यरत हैं जो कि औसत 3445 की आबादी पर एक विद्यालय पड़ता है। इससे जनपद में अपर्याप्त प्रारम्भिक स्तर की

शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विकासखण्डवार प्राथमिक एवम् उच्च प्रा0 परिषदीय विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है–

सारणी 2.4

क्रमांक	विकासखण्ड	कुल परिषदीय प्रा0वि0	कुल परिषदीय उ0प्रा0वि0	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	सहायता प्राप्त / मान्यता उच्च प्रा0विद्या
1	अकबरपुर	167	30	47	28
2	कटेहरी	109	17	37	31
3	भीटी	98	17	31	17
4	भियांव	109	17	20	15
5	जलालपुर	143	19	39	28
6	बसखारी	100	15	40	28
7	टाण्डा	132	20	45	21
8	रामनगर	110	13	26	14
9	ज्हॉगीरगंज	109	16	26	18
10	नगरक्षेत्र टाण्डा	18	02	24	17
	योग	1095	167	335	218

शिक्षकों की उपलब्धता:– जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में (01 जुलाई 2003 को) कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत् सारणी में दिया गया है –

सारणी – 2.5

क्रमांक	विद्यालय	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या	कार्यरत शिक्ष मित्रों की सं
1.	प्रा०विद्यालय	3375	2862	513	1175	287
2.	उच्चप्रा० विद्यालय	528	406	122	–	–

स्रोत:– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सृजित पद के विरूद्ध कार्यरत अध्यापकों की संख्या कम है जिससे जनपद में छात्र अध्यापक अनुपात की स्थिति अत्यन्त विषम हो गयी है।

विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवम् 2003–04 में प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 2.6.1

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र. सं.	विवरण	01 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	01 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक वि0 / ई0जी0एस0 केन्द्र
1.	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	853	256	00	00
2.	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	225	303	40	40

सारणी – 2.6.2

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र. सं.	विवरण	03 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3.0 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक वि0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों की संख्या
1.	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	707	00	00
2.	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	750	220	50

सारणी – 2.7

विकासखण्डवार ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों की आवश्यकता

कमांक	थ्वकासखण्ड	बस्तियों की संख्या	आवश्यक ए0आई0ई0 केन्द्र	बस्तियों की संख्या	आवश्यक ई0जी0एस0 केन्द्र
1	टकबरपुर	05	05	16	06
2	क्टेहरी	27	04	13	04
3	भीटी	15	02	07	03
4	भियांव	15	03	11	04
5	ज्लालपुर	16	05	15	04
6	बसखारी	08	03	12	02
7	टाण्डा	17	03	13	05
8	श्रामनगर	16	04	14	04
9	ज्हॉगीरगंज	20	03	15	03
	योग	155	32	116	35

सारणी – 2.8

डीपीईपी–।।। के अन्तर्गत संचालित ईजीएस एवम् ए0एस0 केन्द्रों का विवरण

क0सं0	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या	
		ई0जी0एस0	ए0एस0	ई0जी0एस0	ए0एस0
1	2000–2001	43	09	43	09
2	2001–2002	42	76	42	76
	योग	85	85	85	85

परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात
सारणी – 2.9.1

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष **2003-04** (प्राथमिक स्तर)

कमांक	विकासखण्ड का नाम	विद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या शिक्षामित्र सहित	शिक्षक छात्र अनुपात
1	अकबरपुर	167	37917	513	1:74
2	कटेहरी	109	19517	239	1:81
3	भीटी	98	16398	240	1:68
4	बसखारी	100	22130	304	1:73
5	टाण्डा	132	26378	359	1:73
6	भियांव	109	25577	313	1:82
7	जलालपुर	144	31119	470	1:66
8	रामनगर	110	22493	350	1:62
9	जहॉगीरगंज	109	21612	292	1:75
10	नगर क्षेत्र टाण्डा	18	4261	31	1:137
	कुल	**1095**	**227502**	**3111**	**1:73**

सारणी – 2.9.2

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 2003-04 (उच्च प्राथमिक स्तर)

कमांक	विकासखण्ड का नाम	विद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या शिक्षामित्र सहित	शिक्षक छात्र अनुपात
1	अकबरपुर	30	6275	71	1:88
2	कटेहरी	17	3285	36	1:91
3	भीटी	17	1978	29	1:68
4	बसखारी	15	3147	47	1:67
5	टाण्डा	20	2976	50	1:61
6	भियांव	17	1961	40	1:49
7	जलालपुर	19	3967	57	1:70
8	रामनगर	14	2268	33	1:69
9	जहॉगीरगंज	16	3691	26	1:141
10	नगर क्षेत्र टाण्डा	02	443	10	1:44
	कुल	**167**	**29734**	**400**	**1:75**

छात्र नामांकन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003–04 में कराये गये हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार जनपद में **6–11** आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या **299883** है, जिसमें से 295255 बच्चों का अबतक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवम् गैर मान्यता प्राप्त प्रा0 विद्यालयों में नामांकन कराया जा चुका है। जिनका विवरण सारणी 2.10 में दिया गया है–

सारणी – 2.10

प्राथमिक स्तर **छात्र नामांकन – 2003–2004**

विकासखण्ड	6–11 वय वर्ग की कुल संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अकबरपुर	22233	21347	43580	19234	19483	38717	4312	3931	8243	510	511	1021
कटेहरी	13252	10676	23928	9388	10129	19517	4963	3290	8253	232	212	444
भीटी	13378	11393	24771	8078	8320	16398	2519	2833	5352	1071	240	1311
भेयांव	13252	10676	23928	12876	13001	25877	6875	5647	12522	524	268	792
जलालपुर	19901	16044	35945	16321	14298	30619	4198	5468	9666	586	532	1118
बसखारी	15822	14373	30195	10876	11254	22130	5800	4968	10168	105	92	197
रामनगर	15846	13959	29805	10831	11662	22493	3583	2281	5866	932	513	1445
जहॉगीरगंज	10465	10480	20945	10697	11015	21712	3595	1990	5585	310	244	554
टाण्डा	19123	16619	35742	13085	13293	26378	4033	3344	7377	547	342	889
नगर क्षेत्र	8584	6703	15287	2275	1986	4261	4765	4192	8957	1374	416	1790

इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 157323 है जिनमें से लगभग 153219 छात्र/छात्राओं का नामांकन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में कराया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 2.11

उच्च प्राथमिक स्तर — छात्र नामांकन – 2003–2004

विकासखण्ड	6–11 वय वर्ग की कुल संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	य
अकबरपुर	11009	10340	21349	3270	3005	6275	6221	6114	12345	922	583	15
कटेहरी	7318	6892	14210	1721	1564	3285	3965	3644	7609	987	840	1
भीटी	8405	7232	15637	1014	994	1978	6591	5146	11737	591	693	1
भियांव	10725	9600	20325	996	965	1961	7204	6616	13820	1584	894	2
जलालपुर	11999	9515	21514	1981	1986	3967	7597	5908	13505	1136	1121	2
बसखारी	7243	7588	14831	1589	1558	3147	4486	4452	8938	775	972	1
रामनगर	7670	6930	14600	1128	1040	2168	4357	4112	8469	980	858	1
जहॉगीरगंज	4518	3693	8211	2024	1667	3691	1369	1301	2670	235	381	
टाण्डा	9462	8257	17719	1512	1464	2976	6717	5932	12649	723	412	1
नगर क्षेत्र	5036	4095	9131	0	443	443	3957	3270	7227	690	361	1

स्रोत– विभागीय आकड़े

स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण – 2003 की स्थिति

सारणी – 2.12

क्र. सं.	विकासखण्ड	5+ –11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अकबरपुर	1444	1193	2637	314	247	561
2	कटेहरी	1750	1500	3250	132	114	246
3	भीटी	211	166	377	159	204	363
4	भियांव	2858	1971	4829	471	905	1376
5	जलालपुर	502	422	924	247	257	504
6	बसखारी	1602	1326	2928	219	248	467
7	रामनगर	1195	1024	2219	109	159	268
8	जहॉगीरगंज	197	218	415	61	161	222
9	टाण्डा	1622	1330	2952	339	308	647
10	नगर क्षेत्र	782	567	1349	373	289	662
	योग	12163	9717	21880	2424	2892	5316

स्रोत– हाऊस होल्ड सर्वे 2003 के आंकड़े

-11 एवम 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, नामांकित संख्या, एनईआर, आवश्यक शिक्षक संख्या एवं आवश्यक कक्षा कक्षो की सं0 का प्रोजेक्शन नीचे दी गयी सारणियों मे दिया गया है।

सारणी 2.13.1

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चें	वर्तमान शिक्षक सृजित पद		योग 3+4	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक 6-5
1.	2003-04	228102	3375	1130	4505	5703	1198
2.	2004-05	232602	3974	1729	5703	5815	112
3.	2005-06	237105	4030	1785	5815	5928	113
4.	2006-07	241350	4086	1842	5928	6034	106

सारणी 2.13.2

क्रमांक	वर्ष	कूल आवश्यकता	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
1.	2003-04	1198	599	599
2.	2004-05	112	56	56
3.	2005-06	113	56	57
4.	2006-07	106	53	53

सारणी-2.13.3

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1.	2002-03	92	19	555	406	149
2.	2003-04	111	56	835	396	439
3.	2004-05	167	0	835	835	0
4.	2005-06	167	0	835	835	0
5.	2006-07	167	0	835	835	0

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गावदार विस्तृत आकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओ , म एव जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालया का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

सारणी – 2.13.4

कमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	2	3	4	5	6
1	2001-2002	92	0	368	356	12
2	2002-2003	92	19	444	368	76
3	2003-2004	111	56	668	444	224
4	2004-2005	167	0	668	612	56
5	2005-2006	167	0	668	612	0
6	2006-2007	167	0	668	612	0

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

सारणी – 2.13.5

कमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:3 की दर से आवश्यक कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	8
1	2002-2003	1050	0	3150	2702	448
2	2003-2004	1050	45	3285	2792	493
3	2004-2005	1095	0	3285	3285	0
4	2005-2006	1095	0	3285	3285	0
5	2006-2007	1095	0	3285	3285	0

स्रोत–बच्चों की सं० में वृद्धि के आधार पर प्रक्षेपण

जनपद का शुद्ध नामांकन एवम् सकल नामांकन अनुपात : प्राथमिक स्तर

सारणी – 2.14

क.सं.	विकासखण्ड	कुल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अकबरपुर	101.54	101.13	101.34	98.55	98.73	98.64
2	कटेहरी	113.6	111.5	112.6	98.66	95.57	97.80
3	भीटी	99.99	100.5	100.2	99.22	98.51	99.6
4	भियांव	106.5	101.7	104.10	98.6	98.5	98.55
5	जलालपुर	105.01	110.87	106.12	99.04	98.6	98.82
6	बसखारी	104.61	104.12	104.35	98.98	98.9	98.94
7	रामनगर	103.64	101.1	102.37	98.91	99.41	99.16
8	ज्हॉगीरगंज	102.3	101.96	102.13	99.46	99.34	99.40
9	टाण्डा	104.6	102.81	103.7	98.96	98.82	98.94
10	नगर क्षेत्र	104.5	103.8	104.2	99.8	99.71	99.75
	योग	104.87	102.61	103.62	98.70	98.50	98.60

स्रोत – विभागीय आंकड़े

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात एवम् सकल नामांकन अनुपात : उच्च प्राथमिक स्तर

सारणी – 2.15

क.सं.	विकासखण्ड	कुल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.)		
		बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अकबरपुर	98.8	98.16	98.48	96.87	96.90	96.40
2	कटेहरी	97.60	96.85	97.26	94.40	94.30	94.35
3	भीटी	98.90	97.98	98.57	95.89	96.60	96.36
4	भियांव	98.84	98.35	98.60	97.60	96.48	97.04
5	जलालपुर	99.23	99.47	99.35	95.62	95.53	95.60
6	बसखारी	99.20	99.30	99.25	96.80	96.70	98.75
7	रामनगर	99.20	98.90	99.05	96.30	96.10	96.20
8	जहाँगीरगंज	99.06	98.44	98.74	96.20	95.90	96.05
9	टाण्डा	98.42	98.38	98.35	96.60	96.40	96.50
10	नगर क्षेत्र	99.80	99.60	99.70	97.30	97.60	97.45
	योग	98.89	98.60	98.74	96.50	96.30	96.40

स्रोत – विभागीय आंकड़े

जनपद का ड्राप आउट दर

सारणी – 2.16

प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
26.0	27.0	26.5	19.0	20.0	19.5

स्रोत – विभागीय आंकड़े

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएंः–

जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगस्त 2003 को भौतिक सुविधाओं की स्थिति का विवरण 2003–04 में प्रस्तावित 45 नवीन प्राथमिक एवम् 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर सारणी – 2. एवम् सारणी – 2. में निम्नवत् है–

प्राथमिक स्तर

सारणी–2.17

क्रमांक	भौतिक सुविधाएं	ग्रामीण	नगर	कुल योग
१.	प्राथमिक विद्यालय भवन कुल संख्या	1077	18	1095
	भवन युक्त	1064	13	1077
	भवन हीन	13	05	18
	जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य)	84	03	87
२.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	11	01	12
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	578	01	579
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	350	01	351
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	103	10	113
	पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	15	—	15
	पॉच कक्षीय से अधिक	07	—	07
३.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	लघु मरम्मत योग्य	185	02	187
	वृहद मरम्मत योग्य	126	03	129
४.	शौचालय			
	शौचालय युक्त विद्यालय	568	12	580
	शौचालय विहीन विद्यालय	509	06	515
	शौचालयों की आवश्यकता	509	06	515
५.	हैण्ड पम्प			
	हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय	1077	13	1090
	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	—	—	—
	हैण्ड पम्प की आवश्यकता	—	—	—
६.	चहारदीवारी			
	चहारदीवारी युक्त प्रा०विद्यालय	68	06	74
	चहारदीवारी विहीन प्रा०विद्यालय	947	07	954
	चहारदीवारी की आवश्यकता	947	07	954

स्रोत – विभागीय आंकड़े

उच्च प्राथमिक स्तर

सारणी –2.18

क्रमांक	भौतिक सुविधाएं	ग्रामीण	नगर	कुल योग
1	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन			
	कुल विद्यालयों की संख्या	165	02	167
	भवन युक्त विद्यालयों की संख्या	159	02	161
	भवन हीन विद्यालयों की संख्या	05	–	05
	जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) वि०की सं०	05	01	06
2	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	02	–	02
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	03	–	03
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	58	01	59
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	72	–	72
	पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	19	01	20
	पॉच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की सं०	06	–	06
3	मरम्मत योग्य			
	कुल विद्यालयों की संख्या	35	01	36
	लघु मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	19	–	19
	वृहद मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	15	01	16
4	शौचालय			
	शौचालय युक्त विद्यालय	121	–	121
	शौचालय विहीन विद्यालय	44	02	46
	शौचालयों की आवश्यकता	44	02	46
5	हैण्ड पम्प			
	हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय	98	–	98
	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	11	02	13
	हैण्ड पम्प की आवश्यकता	11	02	13
6	चहारदीवारी			
	चहारदीवारी युक्त विद्यालय	36	01	37
	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	129	01	130
	चहारदीवारी की आवश्यकता	129	01	130

स्रोत – विभागीय आंकड़े

प्राथमिक/उच्च प्रा0 विद्यालयों (जर्जर/भवनहीन) का पुनर्निर्माण

जनपद में भवनहीन जर्जर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विकासखण्डवार संख्या एवम् 2003–04 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक	विकासखण्ड	भवनहीन/जर्जर उ0प्रा0वि0 की संख्या	भवनहीन/ जर्जर प्रा0वि0 की संख्या	शौचालय विहीन उ0प्रा0वि0	शौचालय विहीन प्रा0वि0
1	अकबरपुर	03	25	10	69
2	कटेहरी	00	02	02	50
3	भीटी	01	06	03	53
4	भियांव	00	10	09	57
5	जलालपुर	02	20	03	72
6	बसखारी	00	08	06	36
7	टाण्डा	01	06	05	70
8	श्रामनगर	02	09	04	52
9	जहाँगीरगंज	01	09	02	50
10	नगरक्षेत्र टाण्डा	00	10	02	01
	योग	10	105	46	510

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवम् सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों /उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवम् अध्यापकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित सारणी के विवरण से स्पष्ट है–

सारणी – 2.19

जनपद– अम्बेडकरनगर

विवरण	परियोजना के पूर्व	2003 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	976	1095	12.20
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)+शि0मित्र	3090	4037	30.65
उ0प्रा0वि0 (परिषदीय)	92	167	81.50
उ0प्रा0वि0अध्यापक (परिषदीय)	493	625	26.70

एक अप्रैल 2000 से परियोजना लागू होने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 12.20 प्र०श० एवं अध्यापकों की संख्या में लगभग 30.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालयों की संख्या में 81.50 प्रतिशत (प्रस्तावित सहित) एवम् अध्यापकों की संख्या में 26.70 प्रतिशत (प्रस्तावित सहित) की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। एवम् सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के पश्चात् विद्यालयों एवम् अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

रिपीटीशन दर व 05 कक्षाएं उत्तीर्ण करने में लगे औसत वर्षों की संख्या

सारणी – 2.20

वर्ष	कक्षा	रिपीटीशन दर (%)			05 कक्षाएं पूर्ण करने में लगे औसत वर्षों की संख्या
		बालक	बालिका	कुल	
2002–03	1	17.07	16.25	16.66	5.38
	2	3.18	2.95	3.06	
	3	2.18	2.07	2.12	
	4	0.90	0.90	0.90	
	5	0.51	0.38	0.45	
	योग	6.57	6.21	6.39	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की रि पीटीशनदर कम है। कक्षावार रिपीटीशन दर देखने से स्पष्ट होता है कि कक्षा एक में रिपीटीशन दरसर्वाधिक है तथा कक्षा 5 में न्यूनतम है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जनपद में डीपीईपी कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपातः– वर्ष 2002–2003

प्राथमिक स्तर – 80:1

उच्च प्राथमिक स्तर – 49:1

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। एवम् सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के उपरान्त शिक्षामित्रों की नियुक्ति होने से छात्र अध्यापक अनुपात में कमीआयी है तथा एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या में भी गिरावट आयी है। अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण होने से छात्र कक्षाकक्ष अनुपात में भी सुधार हुआ है किन्तु अभी भी इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किये जाने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव किया जा सकता है। अधिकाधिक शिक्षामित्रों की नियुक्ति करके छात्र अध्यापक अनुपात की आदर्श स्थिति 40:1 को प्राप्त किया जा सकता है तथा कक्षाकक्षों का निर्माण करके प्रति कक्षा छात्र संख्या की स्थिति में सुधार किया जा सकेगा।

ट्रांजिशन (कक्षा 05 से कक्षा 06) दरः– (केवल परिषदीय)

सारणी – 2.21

वर्ष	कक्षा–05			कक्षा–06		
	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग
2001–2002	14440	14155	28595	37.48% (5412)	33.40% (4726)	35.46% (10138)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सत्र 1999–2000 में कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले बहुत कम छात्र परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसका एक कारण जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी है, जिसके कारण छात्रों को मान्यता प्राप्त उ० प्राथमिक विद्यालयों अथवा माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने को बाध्य होना पड़ता है। जबकि दूसरा कारण कुछ छात्रों का जनपद से बाहर शिक्षा ग्रहण करने हेतु चले जाना है। कुछ छात्र विशेषकर बालिकाएं नजदीक में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभाव में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। अत: असेवित ग्रामों / बस्तियों में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की जा रही है, क्योंकि जनपद में कमजोर वर्गो की अच्छी खासी आबादी निवास करती है जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मंहगी शिक्षा का भार वहन करने में असमर्थ हैं।

भवनहीन / जर्जर प्राथमिक / उच्च प्रा0 विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विद्यालय के नाम	निर्माण वर्ष	वर्तमान स्थिति	विकासखण्ड
1	प्रा0 शहजादपुर	–	भवनहीन	अकबरपुर
2	,, नैली	–	भवनहीन	अकबरपुर
3	,, ऊसरपुर	1964	जर्जर	अकबरपुर
4	,, सैदपुर भितरी	1960	जर्जर	अकबरपुर
5	,, पीरपुर	1960	जर्जर	अकबरपुर
6	,, इमामपुर	1962	जर्जर	अकबरपुर
7	,, सोनगाँव	1960	जर्जर	अकबरपुर
8	,, बेवाना ।	1935	जर्जर	अकबरपुर
9	,, अरियौना	1976	जर्जर	अकबरपुर
10	,, गोविन्द गनेशपुर	1976	ध्वस्त	अकबरपुर
11	,, माउख	1963	जर्जर	अकबरपुर
12	,, पसियापारा	1962	ध्वस्त	अकबरपुर
13	,, मोहसिनपुर	1965	जर्जर	अकबरपुर
14	,, भाऊपुर	1970	जर्जर	अकबरपुर
15	,, कटांत	1966	जर्जर	अकबरपुर
16	,, जल्लापुर मसेढ़ा	1960	जर्जर	अकबरपुर
17	,, बरौरा	1960	जर्जर	अकबरपुर
18	,, अमरौला	1964	भवनहीन	अकबरपुर
19	,, सरखनें	1962	जर्जर	कटेहरी
20	,, कटेहरी।।	1960	जर्जर	कटेहरी
21	,, भड़सारी	1961	जर्जर	टाण्डा
22	,, ब्राहिमपुर कुसुमा	1961	जर्जर	टाण्डा

23	,, रायपुर ।	1965	जर्जर	टाण्डा
24	,, आलमपुर खड़गदास	1961	जर्जर	टाण्डा
25	,, कलेसर	1966	जर्जर	टाण्डा
26	,, बलया जगदीशपुर	1979	जर्जर	टाण्डा
27	,, बसखारी।	1962	जर्जर	बसखारी
28	,, पूरा चौबे	1960	जर्जर	बसखारी
29	,, हंसवर	1960	जर्जर	बसखारी
30	,, गोकुलपुर	1964	जर्जर	बसखारी
31	,, मुहम्मदपुर मुसलमान	1965	जर्जर	बसखारी
32	,, छांगुरपुर मिश्रौलिया	1980	जर्जर	बसखारी
33	,, कादीपुर फरीदपुर	1964	जर्जर	जहॉगीरगंज
34	,, सॉती	1964	जर्जर	जहॉगीरगंज
35	,, कम्हरिया	1965	जर्जर	जहॉगीरगंज
36	,, शंकरपुर टपपा हवेली	1974	जर्जर	जहॉगीरगंज
37	,, कमालपुर पिकार	1974	जर्जर	जहॉगीरगंज
38	,, गढ़वल	1975	जर्जर	जहॉगीरगंज
39	,, विजली तिहाइतपुर	1976	जर्जर	जहॉगीरगंज
40	,, सगहापुर	1977	जर्जर	जहॉगीरगंज
41	,, अख्तरा नरायनपुर	1977	जर्जर	जहॉगीरगंज
42	,, लखनियां	1961	जर्जर	जलालपुर
43	,, नत्थूपुर लौधना	1961	जर्जर	जलालपुर
44	,, कटघर मूसा	1963	ध्वस्त	जलालपुर
45	,, सैदपुर उमरन	1964		जलालपुर
46	,, सोनगॉव	1952	जर्जर	जलालपुर
47	,, सुरहुरपुर ।	1964	भवनहीन	जलालपुर
48	,, भाऊ कुऑ	1962		जलालपुर
49	,, सम्मनपुर	1964	जर्जर	जलालपुर
50	,, कबूलपुर	1964		जलालपुर
51	,, बैरागल	1963		जलालपुर
52	,, मछलीगॉव	1962		जलालपुर
53	,, धौरूआ।	1958		जलालपुर
54	,, कांदीपुर	1958		जलालपुर
55	,, औधना इस्माइलपुर	1958		जलालपुर
56	,, बड़ागॉव ।	1958		जलालपुर
57	,, बड़ेपुर	1974		जलालपुर
58	,, हयातगंज बालक	—	भवनहीन	नगर क्षेत्र टाण्डा
59	,, कस्बा बालक	—	भवनहीन	नगर क्षेत्र टाण्डा

60	,, मुबारकपुर नवीन	—	भवनहीन	नगर क्षेत्र टाण्डा
61	,, चौक कन्या	—	भवनहीन	नगर क्षेत्र टाण्डा
62	,, छज्जापुर कन्या	—	भवनहीन	नगर क्षेत्र टाण्डा
63	,, छज्जापुर बालक	—	ध्वस्त	नगर क्षेत्र टाण्डा
64	,, मुबारकपुर बालक	—	ध्वस्त	नगर क्षेत्र टाण्डा
65	,, अहाता बालक	—	जर्जर	नगर क्षेत्र टाण्डा
66	,, अलीगंज कन्या	—		नगर क्षेत्र टाण्डा
67	,, मुबारकपुर कन्या	—	जर्जर	नगर क्षेत्र टाण्डा
68	,, रायगंज	1961	जर्जर	भीटी
69	,, मुस्तफाबाद	1959	जर्जर	भीटी
70	,, नगहरा	1952	ध्वस्त	भीटी
71	,, सया	1956	जर्जर	भीटी
72	,, असगवॉ	1948	जर्जर	भीटी
73	,, चिंउटीपारा	1980	जर्जर	भीटी
74	,, हाफिजपुर लंगड़ी	—	भवनहीन	रामनगर
75	,, हुसेनपुर मुसलमान	1968	भवनहीन	रामनगर
76	,, पटना मुबारकपुर	1965	जर्जर	रामनगर
77	,, दुर्गापुर	1967	जर्जर	रामनगर
78	,, रामनगर।।	1960	जर्जर	रामनगर
79	,, झखरवारा	1965	जर्जर	रामनगर
80	,, सतरही	1968	जर्जर	रामनगर
81	,, गोबर्धनपुर	1962	जर्जर	रामनगर
82	,, पाभीपुर	—	भवनहीन	भियांव
83	,, दिनकरपुर	—	भवनहीन	भियांव
84	,, महमदपुर	—	भवनहीन	भियांव
85	,, गोविन्दपुर	—	भवनहीन	भियांव
86	,, निमिटिनी	1980	जर्जर	भियांव
87	,, वेगीकोल	1961	जर्जर	भियांव
88	,, पर्वतपुर	1961	जर्जर	भियांव
89	,, सेमरा	1961	जर्जर	भियांव
90	,, फुलवारी	1960	जर्जर	भियांव
91	,, मझगवॉ	1962	जर्जर	भियांव
92	,, इन्दईपुर	1968	जर्जर	रामनगर
93	,, अरई।	1961	जर्जर	जलालपुर
94	,, खजुरी	1961	जर्जर	जलालपुर
95	,, फतेहपुर मोहिबपुर	1966	जर्जर	जलालपुर
96	,, कालेपुर महुवल	1957	जर्जर	जलालपुर

97	,, सेमरा नसीरपुर	1966	जर्जर	बसखारी
98	,, बीबीपुर	1960	जर्जर	बसखारी
99	,, रसूलपुर दियरा	1964	ध्वस्त	अकबरपुर
100	,, कसेरूआ	1964	जर्जर	अकबरपुर
101	,, तारा कलॉ	1964	जर्जर	अकबरपुर
102	,, सिसवा	1970	जर्जर	अकबरपुर
103	,, लोदीपुर	1970	जर्जर	अकबरपुर
104	,, डड़वा कलॉ		जर्जर	अकबरपुर
105	,, जोगापुर		जर्जर	अकबरपुर

कमांक	उच्च प्रा0 विद्यालय	निर्माण वर्ष	वर्तमान स्थिति	विकासखण्ड
1	उ0 प्रा0 वि0 बरियावन	—	भवनहीन	अकबरपुर
2	,, ,, नैली	—	भवनहीन	अकबरपुर
3	,, ,, जमलूपुर	—	भवनहीन	रामनगर
4	,, बड़ागॉव ब्राहिमपुर	1960	ध्वस्त	टाण्डा
5	,, रायगंज	1961	ध्वस्त	भीटी
6	,, साबितपुर	1976	जर्जर	जहॉगीरगंज
7	उ0प्रा0वि0 बेवाना	1960	जर्जर	अकबरपुर
8	,, ,, बड़ेपुर	1965	जर्जर	जलालपुर
9	क0उ0प्रा0वि0 जलालपुर	1965	जर्जर/क्षतिग्रस्त	जलालपुर
10	उ0प्रा0वि0 रामनगर	1922	जर्जर/क्षतिग्रस्त	रामनगर

अध्याय – ३

नियोजन प्रकिया

शिक्षा मानव विकास का आधार है और प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाने की आधार शिला हैं। जिस प्रकार बिना मजबूत नींव के कोई इमारत मजवूत नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना सुदृढ़ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के योग्य एवं शिक्षित नागरिकों का निर्माण नहीं हो सकता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा एक सुदृढ़ शैक्षिक आधार तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत केवल कक्षा ०१ से ०५ तक की शिक्षा व्यवस्था पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की अनदेखी की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पहली बार ०६–१४ आयु वर्ग के बच्चों हेतु उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हमारी वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा ०६–११ आयु वर्ग के बच्चों हेतु नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाने हेतु विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर लोकसभा का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में सवशिक्षा अभियान का महत्व और बढ़ जाता है। जनपद में अप्रैल २००१ से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। लागू है। जिसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर तक शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव में वृद्धि, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि एवं संस्थाओं की क्षमता केसंवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना:– उत्तर प्रदेश में डी०पी०ई०पी०योजनान्तर्गत सूक्ष्म नियोजन द्वारा 'ग्राम शिक्षा योजना' के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। सूक्ष्म नियोजन से अभिप्राय यह है कि गॉव अथवा कस्बे की शिक्षा व्यवस्था आवश्यकता आधारित हो तथा उसमें सूक्ष्म स्तर पर जन सहभागिता हो जिससे उनके अन्दर शिक्षा व्यवस्था के प्रति अपनत्व एवं दायित्व बोध की भावनाका विकास हो। सूक्ष्म नियोजन के अन्तर्गत पहले ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कर उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया जाता है। पुन: समिति द्वारा ग्राम सभा के प्रत्येक परिवार के ६–११ वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से प्राप्त की जाती है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर स्कूल न आने वाले बालक /बालिकाओं के लिए रणनीति स्थानीय स्तर पर बनाकर उन पर अमल किया जाता है तथा शिक्षा

व्यवस्था में सुधार हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जातीहै। चूँकि जनपद अम्बडेकरनगर में डी०पी०ई०पी०—।।। की शुरूआत अप्रैल २००० से की गयी है। अत: अभी तक केवल ५० प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियोंका प्रशिक्षण हो सका है तथा इन ग्रामों के लिए माइक्रोप्लानिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं। माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम सभा से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सूचनाएं संकलित की जाएंगी—

— ग्राम सभा में ०—१४ आयु वर्ग के बच्चों की वर्गवार, जातिवार संख्या।

— विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।

— कहीं पढ़ने न जाने वाले बच्चों की संख्या।

— कहीं पढ़ने न जाने का कारण।

—यदि ग्राम सभा में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो क्या नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा सकती है।

— यदि मानक के अनुसार असेवित ग्राम में नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती है तो ग्राम वासी/ग्राम शिक्षा समिति क्या व्यवस्था प्रस्तावित करना चाहती है।

— ग्राम सभा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में क्या पर्याप्त आवश्यक भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं यदि नहीं तो इनकी व्यवस्था हेतु सुझाव।

— क्या विद्यालय में तैनात अध्यापक समय से विद्यालय नियमित आते है।

— क्या विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात हैं तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है।

— शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सुझाव।

उपरोक्त आंकड़े एकत्र करने के उपरान्त ग्राम वासियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।

१. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्रण

२. सूचनाओं का विश्लेषण

३. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

आंकड़ों का विश्लेषण, शैक्षिक मानचित्रण एवं ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण हेतु तैयारी—

ग्राम प्रधान/अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति की अध्यक्षता में ग्राम पंचयत के सभी उत्साही, कर्मठ,जागरूक तथा शिक्षा के प्रति रूचि रखने वाले युवक/युवतियों की बैठक की जाएगी, जिसमें सचिव, ग्राम शिक्षा समिति/प्र०अ० प्राथमिक वि० भी अन्य अध्यापकों सहित

प्रतिभाग करेंगे। बैठक में परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेशण किया जाएगा। तत्पश्चात् शैक्षिक मानचित्रण का कार्य सम्पन्न करायाजाएगा तथा उक्त समिति की बैठक में आदर्श ग्रामशिक्षा योजना का निर्माण किया जाएगा।शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की जाएंगी–

१. ग्राम सभा/बस्ती की कुल आबादी जातिवार/वर्गवार।

२. विभिन्न आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्या यथा ०–३,३–६,६–११ तथा ११ –१४ वय वर्ग जातिवार।

३. स्त्री/पुरूष की शिक्षित/अशिक्षित आबादी अलग–अलग।

४. स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाले छात्रों की संख्या।

५. शाला त्यागी बालक/बालिकाओं की संख्या।

६. बाल श्रमिक के बारे में जानकारी।

७. विकलांग बालक/बालिकाओं की संख्या के बारे में जानकारी।

८. ग्राम पंचायत/बस्ती में बालिका शिक्षा की स्थिति।

९. गॉव में कार्यरत विभिन्न प्रकार के विद्यालयों/शिक्षा केन्द्रों एवं पुस्तकालय/ वाचनालय की संख्या।

हाउस होल्ड सर्वे

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भॉति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के माह जून एवम् जुलाई में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया। जिसके अन्तर्गत घर–घर जाकर स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले एवम् विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण किया गया तथा 5+ से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों से संबंधित सूचना एकत्रित की गयी। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवम् शिक्षा मित्रों तथा आचार्यों /अनुदेशकों द्वारा संपादित किया गया। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समितियों का भी सहयोग प्राप्त किया गया। हाउस होल्ड सर्वे का विकासखण्ड का प्रभारी ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को बनाया गया, जिन्होंने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के मार्ग दर्शन में न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों के माध्यम से प्रत्येक न्याय पंचायत के सभी ग्रामों/मजरों से सूचनायें एकत्रित किया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल न जाने के 05 महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की गयी तथा 6+ – 14 वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को निम्नलिखित 05 वर्गों में विभाजित किया गया–

1. अपने घरेलू कार्यों में लगे रहना।
2. मजदूरी में लगे रहना।
3. अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल के कार्य में लगे रहना।

4. विद्यालय का पहुँच से दूर होना।
5. अन्य कारण से स्कूल न जाना।

उपर्युक्त प्रमुख कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 3.1

क. सं.	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बलिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्यो में लगे रहना	1691	1833	990	1039	1442	1551	4123	4423	8546
2	मजदूरी में लगे रहना	53	222	307	751	892	642	1254	1625	2879
3	भाई–बहनों की देखभाल	650	648	443	790	550	847	1643	2285	3923
4	विद्यालय दूर होना	1419	1111	607	540	287	309	2313	1960	4273
5	अन्य कारण	7661	6028	1051	898	145	342	8857	7268	16125

स्रोत– हाउस होल्ड सर्वे 2003–04

सारणी – 3.2

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2003 का संकलन

6 से 11 वयवर्ग के बच्चे									11 से 14 वयवर्ग के बच्चे								
कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
22233	21347	43580	19086	17146	36232	1444	1193	2637	11009	10340	21349	9533	9161	18684	314	247	561
13252	10676	23928	12444	9314	21758	1750	1500	3250	7318	6892	14216	6726	6048	18474	132	114	246
13378	11393	24771	12791	10653	23444	211	166	377	8405	7232	15637	7982	6840	14822	168	204	363
20775	18900	39675	19500	17775	37275	2858	1971	4830	10725	9600	20325	10200	8475	18675	471	905	1376
19901	16044	35945	18353	15426	33779	502	422	924	11999	9515	21514	10408	9093	19501	247	257	504
15822	14373	30195	15530	14146	29676	1607	1326	2928	7243	7588	14831	6975	7382	14357	219	248	467
19123	16619	35742	18089	15685	33774	1622	1330	2952	9462	8257	17719	9029	7808	16837	348	308	647
15846	13959	29805	15472	13516	28988	1195	1024	2219	7670	6930	14600	7316	6468	13784	109	159	268
10465	10480	20945	10174	10180	20354	197	218	415	4518	3693	8211	4323	3468	7791	61	161	222
8584	6703	15287	7763	6119	13852	482	567	1049	5036	4095	9131	4647	3782	8429	373	289	662
159379	140494	299873	150202	129960	280162	12163	9717	21880	83385	74142	157527	77139	68567	145706	2424	2892	5316

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की तरह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण ०२ लक्ष्यो, शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं गुणवत्तापरक शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। योजना का अनुश्रवण ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं समुदाय द्वारा किया जाएगा तथा इसका मूल्यांकन ब्लाक एवं जनपद स्तर पर किया जाएगा

स्कूल चलो अभियान:— शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से प्रदेश के सभी जनपदों में जुलाई माह में 'स्कूल चलो अभियान' चलाने का निर्णय किया गया था। इस अभियान के द्वारा 6—11 आयु वर्ग के सभी बालक / बालिकाओं का नामांकन एवं शाला त्यागी छात्र/छात्राओं का पुनर्नामांकन सुनिश्चित कराना था तथा नामांकन के पश्चात उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित कराने का उपाय करना था।

स्कूल चलो अभियान : २०००—०१ (०१ जुलाई —१५ जुलाई २०००)

बालगणना में कुल चिन्हित बच्चों की संख्या						कुल नामांकन उपलब्धि			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			सामान्य वर्ग		
6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग			कक्षा 1-5			कक्षा 1-5			कक्षा 1-5			कक्षा 1-5		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
161863	152998	**314861**	52303	50650	**102953**	149247	140603	**289850**	53020	49185	**102205**	45000	43772	**88772**	51227	47646	**98873**

स्रोत—विभागीय आँकड़े।

जनपद अम्बेडकरनगर में भी उक्त अभियान वर्ष 2000, 2001. 2002 एवम् 2003 की जुलाई माह में चलाया गया। जिसमें जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्तहुआ। वर्ष 2000 में ०1 जुलाई से15 जुलाई के मध्य स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसके द्वारा जनपद में शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया और इस प्रयास में उल्लेखनीय सफलता मिली। सन् 2001 में भी स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य दो चरणों में क्रम श: 1—15जुलाई एवं 16—31 जुलाई को चलाया गया। इसी प्रकार के अभियान शैक्षिक सत्र 2002—03 एवं 2003—04 में चलाया गया जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में वातावरण सृजन एवम् द्वितीय चरण (15 से 31 जुलाई) में शतप्रतिशत नामांकन हेतु प्रयास किये गये। 2003—04 में स्कूल चलो अभियान 1—31 जुलाई 2003 तक चलाया गया जिसके

अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित स्कूल न जाने वाले एवम् शालात्यागी बालक/बालिकाओं को नामांकित कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है–

स्कूल चलो अभियान : 01 जुलाई 2003 से 31 जुलाई 2003 तक)

हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित कुल बच्चे						स्कूल न जाने वाले बच्चे						अभियान के दौरान नामांकित बच्चे						अवशेष बच्चे	
6–11			11–14			5+ से 6+		7 से 10		11 से 14		5+ से 6+		7 से 10		11 से 14		6–14 वर्ष	
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
159379	140504	299877	83181	74142	157323	14401	11567	4673	5153	4422	4816	12987	10536	1834	2147	3361	3684	3416	3376

प्रथम चरण (01 जुलाई से 15 जुलाई 2003):–

इस चरण के अन्तर्गत वातावण एवं स्कूल न जाने वाले तथा शाला त्यागी 6–11 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को चिन्हित करने का कार्य किया गया। रैली, प्रभातफेरी, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, गोष्ठियॉं, सभाएं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से वातावरण सृजन का कार्य किया गया। सभी तहसील एवं ब्लाक मुख्ययालयों पर उप–जिलाधिकारी एवम् खण्ड विकास अधिकारी के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवम् प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद स्तर जनपद मुख्यालय पर दिनांक 14 जुलाई 2003 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश एवम् अध्यक्ष जिला पंचायत अम्बेडकरनगर के नेतृत्व में समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों अध्यापकों, नागरिकों एवं छात्र /छात्राओं की एक विशाल रैली निकाली गयी। रैली में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा उपस्थित जन समूह से शतप्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने में सभी लोगों से सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया गया। जनपद की सभी न्याय पंचायतों की सभी ग्राम सभाओं में इसी प्रकार के वातावरण सृजन एवम् जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रथम चरण में घर–घर जनसम्पर्क के माध्यम से स्कूल न जाने वाल छात्र/छात्राओं को प्रेरित किया गया।

द्वितीय चरण (16 जुलाई से 31 जुलाई 2003 तक):–

प्रथम चरण के अन्तर्गत चिन्हित बच्चों को उनके निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित

कराने का कार्य अभियान के द्वितीय चरण में किया गया। इसके अन्तर्गत विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा प्रात:१०.०० बजे से अपरान्ह २.०० तक नामांकन कार्य किया जाता था। तत्पश्चात २.०० बजे के उपरान्त अभिभावकों से जन सम्पर्क कर उन्हें स्कूल भेजने हेतु प्रेरित किया जाता था। जनसम्पर्क एवं नामांकन कार्य ३१ जुलाई २००३ तक जारी रखा गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित अभियान समिति द्वारा १६ जुलाई एवं ३१ अगस्त २००३ को किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया था तथा सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोडल सहायक नियुक्त किया गया था। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक को न्याय पंचायत प्रभारी नियुक्त करके उन्हें अभियान संचालित करने का दायित्वसौंपा गया। प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम सभा स्तर पर समस्त विभागोंके साथ समन्वयन स्थापित कर अभियान संचालित किया गया। जनपद स्तर पर अभियान की दैनिक समीक्षा हेतु एक कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्राचार्य डायट, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी सदस्य थे। उक्त अभियान के द्वारा चिन्हित स्कूल न जाने वाले ४५०३२ में से ३४५४९ बालक / बालिकाओं का नामांकन किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना का नियोजन:— जनपद में सर्वशिक्षा अभियान योजना प्रारम्भ करने से पूर्व उसका नियोजन करना प्रथम कार्य था। बिना पूर्व नियोजनके कोई कार्य समयबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्राथमिकता आधारित ढंग से नहीं किया जा सकता। अत: सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की भी विकेन्द्रीकृत माइक्रोप्लानिंग करनी आवश्यक थी। जिससे यह प्लान ऊपर से थोपा गया न होकर स्थानीय जन आकांछाओं एवम् आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्वयं की सहभागिता से तैयार किया जाय। इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखकर सर्व शिक्षा अभियान की प्लानिंग का कार्य निम्न चरणों में किया गया—

१. प्लानिंग टीम का गठन :— सर्वप्रथम 'राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान' (सीमैट) इलाहाबाद द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक ७—८ नवम्बर २००१ को जनपद के छ: सदस्यों जिसमें स्वयं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स० वि० एवं लेखाधिकारी, डीपीईपी प्राचार्य डायट/प्रवक्ता आदि शामिल हैं, को पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। अत: निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर से प्लानिंग टीम का गठन

किया गया जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक (सामु०सह०) प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा प्राचार्य डायट शामिल हैं, उन्हें ७–८ नवम्बर कोप्रशिक्षित किया गया। सीमैट इलाहाबाद में निदेशक, सीमैट सहित अपने –२ क्षेत्रोंके विशेषज्ञों द्वारा प्लांनिंग टीम का मार्ग निर्देशन किया गया तथा आवश्यक साहित्य भी उपलब्ध कराया गया। पुन: निदेशक सीमैट द्वारा प्लान तैयार कर ७–८ दिसम्बर 2001 को आने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद प्लान को अंतिम रूप देकर फरवरी 2002 को सीमैट में जमा किया गया। पुनः 29–30 अगस्त 2003 को सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान में कतिपय संशोधन हेतु प्लानिंग टीम को निदेशक सीमैट द्वारा आमंत्रित किया गया तथा आवश्यक संशोधन हेतु दिशा निर्देश देने के बाद यथाशीघ्र प्लान जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

२. जनपद स्तर पर प्लानिंग प्रक्रिया:– सीमैट से सर्व शिक्षा अभियान की प्लानिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने के बाद प्लानिंग टीम द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD) हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया। जिससे शिक्षा के प्रति समुदाय की राय तथा अपेक्षाएं क्या हैं? की जानकारी प्राप्त हो सके। प्लानिंग प्रक्रिया में जनसमुदाय की सहभागिता से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की विशेष समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है एवं तदनुसार योजना निर्माण में सहायता मिलती है। संदर्भ व्यक्तियों की पंहचान, स्वैच्छिक संस्थाओं की जानकारी, पंचायतीराज संस्थाओं केसदस्यों की सोंच तथा उनके सहयोग आदि के सम्बन्ध में फोकस ग्रुप डिस्कशन सेही जानकारी मिलती है।

सर्व शिक्षा अभियान का नियोजन करने हेतु जनपद स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों की बैठक की गयी, जिसमे सभी को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देकर निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ब्लाक, न्याय पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर पर प्रधानाध्यापक को, शिक्षक प्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों, अभिभावक शिक्षक संघों, माता शिक्षक संघों, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमोंएवं योजनाओं की उन्हें जानकारी दें तथा उनके बारे में अपनायी जाने वालीरणनीतियों के सम बन्ध में उनसे सुझाव मांगे तथा प्लानिंग टीम के समक्ष प्रस्तुत करें। जनपद स्तर, ब्लाक स्तर एवं ग्राम स्तर पर FGD हेतु टीम का गठन कियागया, जिसमें प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरि०प्रवक्ता/प्रवक्ता

डायट, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक डी०पी०ई०पी०, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक/सह समन्वयक, एन०पी०आर०सी० समन्वयक, शिक्षक संघों के पदाधिकारी, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ०९ नवम्बर २००१ से १५ दिसम्बर २००१ के मध्य विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श का कार्य किया गया तथा प्राप्त सुझावों एवं रणनीतियो को लिपिबद्ध किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान की प्लानिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि योजना के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक में समुदाय की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूलयांन का अधिकार भी समुदायका होगा। उन्हें बताया गया कि वे अपनी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर
प्लान में प्रावधान कराना सुनिश्चित करायें तथा आवश्यकता की प्रथमिकता का निर्धारण करके उनके क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त होने वाली रणनीतियों को भी सुझाएं। इन बैठकों के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए तथा जन समुदाय को यह अहसास कराने में काफी सफलता मिली कि यह उनका अपना कार्यक्रम है। स्वैच्छिक संगठनों का भी पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ। स्वैच्छिक संगठनों में कार्यक्रम के प्रति बहुत उत्सुकता देखी गयी।

जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में दिनांक—०१—१२—२००१ एवं १०—१२—२००१ को जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों एवं जनपद के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में भी महत्वपूर्ण सुझाव एवं जानकारियाँ प्राप्त हुई जिससे नियोजन में बहुत मदद मिली। प्राप्त सुझावों का योजना में समावेश किया गया। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के सहयोग एवं समन्वय हेतु उन विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। विभिन्न स्तरों पर की गयी बैठकों का विवरण निम्नवत् है—

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण–

बैठक तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
जनपद स्तर पर २०११.०१	जि०प०का०	स०बे०शि०अधिकारी प्र०उ०वि०निरीक्षक नगर शिक्षा अधिकारी ब्लाक संसाधन केन्द्र सम० जिला समन्वयक उप बे० शि०अधिकारी	१. सर्व शिक्षा अभियान की प्लानिंग के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। सभी ब्लाकों में ग्राम स्तर तक बैठक कर जनसमुदाय के विचार जानने तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों को प्लानिंग टीम के समक्ष रखने पर चर्चा हुई। प्रत्येक विकास खण्ड से प्लानिंग आवश्यक सूचनाएं विद्यालय/ग्राम स्तर से प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
		वि० बे० शिक्षा अधिकारी आदि संख्या–२२	२. मानकानुसार असेवित बस्तियों में प्राथमिक/उच्च प्रा० विद्यालयों की स्थापना करने पर विचार ३. प्राकृतिक अवरोध वाले ग्रामों/बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना । ४. ४० छात्रों पर एक अध्यापक की स्थिति प्राप्त करने हेतु शिक्षा मित्रों का प्रावधान करना। ५. भवनहीन/जर्जर प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का पुनर्निर्माण। ६. प्रति शिक्षक प्रति कक्ष की स्थिति पर विचार। ७. सार्वभौमिक नामांकन की स्थिति प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान की आवश्यकता पर बल।
१०.१२.०१	जिला पंचायत सभागार	अध्यक्ष जिला पंचायत एवं जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य,ग्राम प्रधान, स०बे०शि०अधि०/प्र०उ० वि०नि०, जिला समन्वयक आदि संख्या–१७	१. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में ४०:१ के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था। २. समस्या ग्रस्त क्षेत्रों एवं वंचित वर्ग की आबादी वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ३. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त संख्या में ईसीसीई केन्द्रों की स्थापना करना। ४. विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु अध्यापकों के विशेष ऐवारत प्रशिक्षण एवं उपकरणों को मुहैया कराना। ५. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था करना। ६. जन सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को विशेष प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/सर्वेक्षण सम्बन्धी दायित्व सौंपना। ७. उच्च प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित बस्तियों में ए आई ई

				केन्द्रों की स्थापना।
३.	१५.१२.०१	जि०प०का०	शिक्षा संघों के प्रतिनिधि एवं प्लानिंग टीम के सदस्य कुल संख्या–२५	१. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों के सेवारत एवं पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण पर जोर। २. पर्याप्त संख्या में अध्यापकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति। ३. अध्यापकों को टी एल एम हेतु अनुदान। ४. विद्यालय विकास हेतु अनुदान समय से। ५. व्यापक सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था।
० सं०	बैठक तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
४.	१५.१२.०१	जिलाधिकारी कैम्प कार्या० मरैला	बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में समन्वयन/सहयोग की आवश्यकता वाले विभाग एवं एजेन्सियां तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि। संख्या–२०	१. विभिन्न विभाग के मध्य सहयोग कैसे प्राप्त किया जाय इस पर विस्तृत चर्चा की गयी। २. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार पर बल। ३. सर्व शिक्षा अभियान एवं डीपीईपी कार्यक्रमों में जन सहभागिता कैसे बढ़ाई जाय, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान पर बल। ४. विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पाठ्य सहभागी क्रियाओं, खेलकूद आदि पर विशेष जोर देने की आवश्यकता। ५. शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधाओं की जानकारी देने हेतु उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता। ६. जीवन में काम आने वाले जीवन कौशलों/कार्यानुभव की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता।
५.	ब्लाक स्तर की बैठकें २१.११.०१ एवं ७.१२.०१	प्रा०वि० अकबरपुर	एनपीआरसी, प्रधानाध्यापक प्रा०विद्यालय एवं उच्च प्रा० विद्यालय तथा एबीएसए/ ब्लाक संसाधन केन्द्र सम० संख्या – १६०	१. विकासखण्ड अकबरपुर की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। २. प्रा०विद्यालयों/पूर्व मा० विद्यालयों में गुणवत्ता संवर्धन, नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पर चर्चा। ३. असेवित क्षेत्रों में नये प्राथमिक विद्यालय एवं उ०प्राथमिक विद्यालय अथवा ईजीएस केन्द्र स्थापना पर जोर। ४. विद्यालयों में भौतिक संससाधनों की उपलब्धता पर विचार
६.	२.१२.०१	उच्चतर मा० विद्यालय कटेहरी	ग्रामप्रधान,स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि,प्र०अ० प्रा०वि	१. विद्यालयों में १: ४० के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था। २. प्रति शिक्षक प्रति कक्ष की व्यवस्था

		०/उच्च प्रा०वि०,एनपीआरसी /बीआरसी समन्वयक, एबीएसए संख्या– १११	३. जन सहभागिता परक कार्यक्रमों पर विशेष बल ४. शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं टीएलएम की व्यवस्था पर बल।
१५.११.०१ एवं १.१२.०१	बीआरसी भीटी	बीआरसी समन्वयक,एनपी आरसी समन्वयक, प्र०अ० एवं प्रधान आदि। सं–११०	१. नामांकन वृद्धि हेतु विद्यालय पहुँच में सुधार २. कार्यानुभव संबन्धी शिक्षण व्यवस्था। ३. बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता।
बैठक तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
१९.११.०१	प्रा०विद्यालय बन्दीपुर भियाँव	बीआरसी/एनपीआरसी समन्वयक,ग्रामप्रधान एवं अन्य संख्या– ४५	१. प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर जोर। २. प्रत्येक विद्यालय में बालक बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय, हैण्डपम्प एवं चहार दीवारी की व्यवस्था पर बल। ३. अध्यापकों एवं कक्षा कक्षों की कमी।
२९.११.०१	कार्यालय क्षे० विधायक जलालपुर	विधायक, ग्राम प्रधान, एबीएसए, बीआरसी समन्वयक आदि। संख्या –२१	१. असेवित ग्राम एवं मजरों में मानकानुसार विद्यालयों की स्थापना अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना किया जाय जिससे शिक्षा का सार्वभौमीकरण सम्भव हो सके। २. प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर। शिक्षण व्यवस्था पर अधिक धन व्यय किये जाने का प्राविधान रखा जाय। ३. बच्चों की क्षमता का वर्गीकरण उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार करके उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करना। ४. सामुदायिक सहभागिता अनिवार्य बनाने पर बल।
२९.११.०१ एवं ०४.१२.०१	उच्च प्रा०वि० फतेहपुर टाण्डा	एबीएसए,बीआरसी सम०, प्र०अ० प्रा०वि०/उच्च प्रा० वि० संख्या – १४०	१. पहुँच के विस्तार की आवश्यकता पर बल। २. ठहराव हेतु भौतिक सुविधाओं में वृद्धि पर जोर। ३. आकर्षक विद्यालयी परिवेश पर बल। ४. शाला त्याग की प्रवृत्ति पर रोक की बहुत आवश्यकता।
न्याय पंचायत/ ग्राम स्तर की बैठकें २८.११.०१	लाला मोहम्मद पुर, अकबरपुर	बीआरसी समन्वयक, एनपी आरसी समन्वयक,अभिभावक गण, ग्राम प्रधान संख्या–१५	१. सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन २. बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर उसके लिए विद्यालय में सुविधाएं बढ़ाई जायं। ३. अध्यापक उपस्थिति पर बल। ४. अभिभावकों से नियमित संपर्क की आवश्यकता।

१२	११.१२.०१	अब्दुल्लापुर अकबरपुर	अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान,पंचायत सदस्य एवं अभिभावक संख्या – १७	१. अल्प संख्यक समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मदरसों में अनुदेशक की नियुक्ति २. बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक को जागरूक बनाया जाय। ३. शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी जाय।
क्र० सं०	बैठक तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
१३	२३.११.०२	प्रा०विद्यालय नेवादाकला भियाँव	ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य , ग्रामसभा के गणमान्य व्यक्ति अभिभावक, प्रधानाध्यापक संख्या –२५	१. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को विद्यालय लाने की रणनीति पर विचार। २. अध्यापकों को शिक्षा से इतर दायित्वों से मुक्त रखने जोर। ३. अनुसूचित जाति के छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकें कक्षा ८ तक दिये जाने पर जोर।
१४	नगर क्षेत्र की बैठक १०.१२.०१	क०जू०हा० स्कूल हयातगंज, टाण्डा	प्र.अ. प्रा०वि०/उ०प्रा०वि० एवं नगर शिक्षा अधिकारी टाण्डा। संख्या – २०	१.नगर क्षेत्र में परिषदीय प्रा०वि०की स्थापना की आवश्यकता कुछ क्षेत्रों में है लेकिन जमीन की अनुपलब्धता होने के कारण विद्यालय नहीं खोले जा सकते। २. नगर क्षेत्र में पहले से ही तीन विद्यालय भवनहीन हैं दो किराये के भवन में चल रहे हैं। भूमि उपलब्ध न होने कारण भवन निर्माण संभव नहीं है। ४. भौतिक संसाधनों का पर्याप्त अभाव है। ५. स्लम एरिया के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है। ६. उ०प्र० स्तर पर पर्याप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय कार्य

ऊपर वर्णित बैठकों के अतिरिक्त प्रत्येक विकासखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयकों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों प्रधानाध्यापकों की बैठकें की गयी जिनमें तथा ऊपर दी गयी बैठकों में उठाये गये मुद्दों /समस्याओं के हल हेतु सुझाए गये उपयों को संक्षेप में निम्नवत् दिया जा सकता है–

१. सार्वभौमिक नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पहुँच का विस्तार किया जाय अर्थात् निर्धारित मानकों के अन्तर्गत रहकर अधिकाधिक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाय। दुर्गम/समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र बनाएं जायं। विकलांग बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं प्रत्येक प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुलभ करायी जाएं।

२. विद्यालयों में शतप्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने हेतु आकर्षक विद्या० परिवेश बनाया जाय, शौचालय, हैण्डपम्प, बाउण्ड्रीवाल आदि की व्यवस्था की जाय। अतिरिक्त कक्षाकक्षों का पर्याप्त संख्या में निर्माण कराया जाय। टूटे–फूटे कक्षाकक्षों, खिड़की,दरवाजों की मरम्मत की जाय। बालिकाओं हेतु इसीसीई केंद्रों का संचालन प्रत्येक विद्यालय परिसर में किया जाय। पाठ्य सहभागी क्रियाओं एवं खेलकूद की व्यवस्था की जाय। बालिका शिक्षा हेतु विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाय।

३. शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हेतु अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त इतर कार्यों में न लगाया जाय। उन्हें पर्याप्त सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय तथा टीएलएम अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाय। नयी शिक्षण विधाओं से परिचित कराया जाय अधिकाधिक शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। विकलांग छात्रों के शिक्षण हेतु अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाय।

४. जनपद एवं ब्लाक स्तर पर शिक्षण के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय। इसके लिए डायट को विशेष रूप से सुदढ़ कर पर्याप्त संख्यामें स्टाफ की नियुक्ति की जाय जिससे शैक्षिक गुणवत्ता का अनुश्रवण प्रभावी ढंगसे सम्भव हो सके।

प्रभावो निरीक्षण कार्य हेतु जिला परियोजना कार्यालय (डीपीओ) तथा सहा०बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को मूलभूत सुविधाएं यथा वाहन, पीओएल, कन्टीजेन्सी आदि दिया जाय। ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र को शैक्षिक दृष्टि से सुविधा समपन्न बनाया जाय। ऐसा आधुनिक शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर किया जा सकता है।

विभिन्न विभागों एवम् एजेंसियों के साथ समन्वयन एवम् सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के सहय ोग एवं समन्वयन की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से कुल प्रमुख विभाग एवं एजेन्सियॉ ि नम्नवत् हैं–

(A) समेकित बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) के साथ समन्वय:–

जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवम् समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ य कर्मी, स्वयं सेवी संगठनों आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ/समूह तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और आई०सी०डी०एस० के साथ निम्नवत् समन्वय स्थापित किया जाता है–

१. आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में चयनित कर उन्हें कुछ अतिरिक्त मानदेय एवं सामग्री प्रदान कर स्कूलों के समय के साथ खोलने एवं बन्द करने हेतु कहा जाता है, जिससे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीयसहयोग प्राप्त होता है।

२. सभी आंगनबाड़ी केन्द्र का समय विद्यालय समय के अनुसार निर्धारित करने का समन्वय।

३. आंगनबाड़ी केन्द्रों को परिषदीय विद्यालयों के नजदीक अथवा उनके प्रांगण में चलाने सम्बन्धी व्यवस्था।

४. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण योजना के माध्यम से

(B)—स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र—छात्राओंके उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएंली जाती हैं। चिकित्सकों के आने—जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है। विकलांग बच्चों की पहचान हेतु समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित होने वाले एसेसमेंट कैम्प हेतु विशे ाज्ञ डाक्टर उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के साथ सहयोग करता है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय:— समाज कल्याण विभाग के सहयोगसे प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चोंको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमश: ३००/— व ४८०/— प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वयन

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत प्रबंध समितियों द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहॉ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में भी ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वयन

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में ८० प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को ३ किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र / छात्राओं को उपकरण (ट्रायसायकल,बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों कीसहायतार्थ उपकरणों / संयत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये। जनपद अम्बेडकरनगर में डीपीईपी योजनान्तर्गत चिन्हित विकलांग बच्चों हेतु विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अबतक 115 उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके है।

(G) उ०प्र० जल निगम/यू.पी. एग्रो से समन्वय:– इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतुहैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादितकरायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रो तथा युवक मंगलदल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा केक्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनो विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं् अल्पसंख्यक बच्चों को ३००/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जातीहै ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु ४० प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष ६० प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससेअधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

(K) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) से समन्वय

सर्व शिक्षा अभियान अथवा डीपीईपी द्वारा निर्माणाधीन/निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी सपोर्ट एवम् पर्यवेक्षण हेतु अवर अभियंता आरईएस की सेवायें प्राप्त की जाती हैं। प्रति निर्माण कार्य में तकनीकी सहयोग हेतु उनको अल्प मानदेय दिया जाता है।

(L) माध्यमिक शिक्षा विभाग

जनपद में बहुत से माध्यमिक विद्यालय हैं जो कक्षा एक से दस अथवा बारह तक या कक्षा ६ से १२ तक हैं। अत: नामांकन आदि सम्बन्धी बहुत से महत्वपर्ण कार्यों हेतु अथवा सहयोग बहुत आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करनेमें सहयोगी हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रारम्भिक कक्षाओं के ऑकड़े प्राप्त करने में भी सहयोग लिया जाता है।

(M) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जनपद में डायट की भूमिका प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं नयी–नयी तकनीकों तथा शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में

'डायट' शिक्षकों का अभिमुखीकरण करता है, जिससे गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अत: 'डायट' का प्रारम्भिक शिक्षा केसभी कार्यक्रमों में समन्वय होना आवश्यक है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों/एंजेंसियों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय– ४

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत मं शिक्षा के विकास हेतु दो महत्वपूर्ण प्राथमिक लक्ष्य रहेहैं। संविधान के भाग ४ में दिये गये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद ४१ में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं केअन्तर्गत रहकर शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रावधान करेंगे। उसी भाग का अनुच्छेद ४५ जो बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित है, कहता है 'राज्य इस संविधान के लागू होने के १० वर्ष के अन्दर १४ वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश ने प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महत्व पूर्ण प्रगति की है। उदाहरणार्थ साक्षरता प्रतिशत १९५१ में १६.७ प्रतिशतसे बढ़कर १९९१ में ५२.११ प्रतिशत हो गया फिर भी लिंग एवं विभिन्न जातीय समूहों के मध्य तथा कुछ प्रान्तों में शिक्षा एवं साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है।१९८७–८८ में ०६–११ आयु वर्ग की बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात पूरे देश का जहॉ ८२ प्रतिशत था वहीं कुछ प्रदेशों जैसे उत्तरप्रदेश और राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात लगभग ५० प्रतिशत ही था। इसी प्रकार इन प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर भी बहुत उच्च था।

अत: शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास की आवश्य कता महसूस की जा रही थी। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जिसे संसद द्वारा १९८६ में पारित किया गया, में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं निरक्षरता दूर करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह संकल्प व्यक्त किया गया, किन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे जो १९९० तक ११ वर्ष के होंगे, का पांच वर्ष की स्कूल शिक्षा अथवा इसके समकक्ष शिक्षा अनौपचारिक के माध्यम सेप्रदान की जाएगी। इसी प्रकार १९९५ तक १४ वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चोंको नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। १९८६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम के न्यूनतम् स्तर को प्राप्त करने का प्राविधान किया गया। वर्तमान में 6–14 वर्ष के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवम् गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी मे रखा गया है।

शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ– शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ है कि –

१. निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों/अनौपचारिक शिक्षा

केन्द्रों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करना।

२. सभी बच्चों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति जिनके द्वारा आवश्यक जीवन मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण से अभिप्राय है कि प्रत्येक बच्चा जो १४ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, को उच्च प्राथमिक स्तर तक निर्धारित न्यूनतम् अधिगम स्तर की प्राप्ति हो जाय।

डकार कान्फ्रेन्स:—सभी के लिए शिक्षा के अन्तर्गत २६—,२८ अप्रैल २००० को सेनेगल में डकार में विश्व शैक्षिक मंच (WEF) विश्व शैक्षिक मंच द्वारा एक कान्फ्रेन्स आयोजित किया गया। जिसमेंसभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी ०६ प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गये जो निम्नवत् हैं—

१. अति कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों हेतु एवं शिक्षा सुविधा का विस्तार एवं सुधार करना।

२. सभी बच्चों विशेषकर बालिकाओं, विभिन्न परिस्थितियों के बच्चों और उन बच्चों,जो जातीय अल्पसंख्यक समूहों से संबन्ध रखते हैं, को २०१५ तक शिक्षा की पहुँच और पूरी तरह नि:शुल्क और अनिवार्य उच्च गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराना।

३. सभी युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समान पहुँच पर उचित अधिगम और जीवन कौशल के कार्यक्रमों द्वारा सुनिश्चित कराना।

४. २०१५ तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तर में ५० प्रतिशत का सुधार लाना विशेषकर औरतों ओर सभी प्रौढ़ों को समान पहुँच पर प्रारम्भिक शिक्षा और आगे की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।

५. २०१५ तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंगीय असमानता को दूर करना और बालिकाओं को पूर्ण और समान पहुँच तथा उच्च गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा सम्प्राप्ति को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए लिंगीय समानता २०१५ तक प्राप्त करना।

६. शिक्षा के गुणवत्ता के हर पक्ष में सुधार लाना और उनकी श्रेष्ठता को सुनिश्चित करना जिससे सभी के द्वारा मान्य और आगणनीय शैक्षिक परिणाम विशेष कर साहित्यिक, आंकिक और उपयोगी जीवन कौशलों में प्राप्त हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान के मूल लक्ष्य:—

सर्व शिक्षा अभियान विद्यालयी तन्त्र को समुदाय के स्वामित्व में लाकर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का एक प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्ता परक शिक्षा की

मांग का प्रतिफल है। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम मिशनरी भावना से समुदाय के स्वामित्व में गुणवत्ता परक शिक्षा द्वारा सभी बच्चों की मानव क्षमताओं में सुधार प्राप्त करने हेतु अवसर देने का एक प्रयास है।

सर्व शिक्षा अभियान क्या है? –

१. सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के स्पष्ट समय सीमा के अन्तर्गत एक कार्यक्रम है।

२. सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापरक शिक्षा की मांग का प्रतिफल है।

३. प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का अवसर है।

४. सर्व शिक्षा अभियान पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्धन समितियों, ग्राम एवं नगर, झुग्गी झोपड़ी, स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों, माता शिक्षक संघों, आदिवासी स्वयत्त परिषदों और दूसरी सबसे निचले स्तर की संरचनाओं को प्रारंभिक विद्यालयों की व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास है तथा सम्पूर्ण देश में सार्व भौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है।

५. केन्द्र, राज्य और स्थानीय शासन के मध्य एक साझेदारी है।

६.राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण विकसित करने का एक अवसर है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:–

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डकार कान्फ्रेन्स के ऊपर वर्णित ०६ लक्ष्यों पर ही आधारित है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य २०१० तक ६–१४ आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अन्य उद्देश्यों में सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता को विद्यालयी प्रबन्धन में समुदाय कीसक्रिय सहभागिता प्राप्त कर, दूर करना हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक बाल देख–रेख और शिक्षा के महत्व का अनुभव किया गया है तथा ०–१४ आयु वर्ग तक देखभाल की निरन्तरता की बात कही गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य:–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा १–८ तक की शिक्षाके सार्वजनीकरण हेतु निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

१. वर्ष २००३ तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक

शिक्षा केन्द्रों, बैक टू स्कूल शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

२. सभी बच्चों द्वारा वर्ष २००७ तक कक्षा ५ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

३. वर्ष २००१ तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा ८ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना४. संतोष जनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा को केन्द्र बिन्दु में रखकर जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया है।

५. लैंगिक और विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों के मध्य नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में प्राथमिक स्तर तक के अन्तर को २००७ तक समाप्त करना तथा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर तक का अन्तर २०१० तक समाप्त करना।

६. वर्ष २०१० तक सार्वभौमिक विद्यालयी ठहराव प्राप्त करना।

जनपद हेतु सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य:–

राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उपरोक्त सभी ०६ लक्ष्यों को जनपद स्तर पर भी यथावत स्वीकृत किया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ–साथ जनपद के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है–

१. पहुँच:– जनपद में वर्तमान मानकानुसार ४५ असेवित बस्तियों में कुल ४५ नवीन प्रा० विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत २००३– ०४ में स्वीकृत हैं। इसी प्रकार उच्च प्रा०विद्यालय के वर्तमान मानक ३ किमी की दूरी एवं ८०० से अधिक आबादी के आधार पर असेवित 19 ग्रामों/बस्तियों में 2002–03 में 19 एवम् 2003–04 में 56 असेवित बस्तियों हेतु 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना स्वीकृत है। 300 से कम आबादी एवं १.५ किमी से अधिक दूरी की असेवित बस्तियों में कुल ४० विद्या केन्द्र की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी प्रकार कुल ५० एआईई केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान के दौरान खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन प्रस्तावित विद्यालयों एवं केन्द्रों के खुल जाने से जनपद की समस्त बस्तियॉ/ग्राम सभाएं विद्यालयों/शिक्षा केन्द्रों से संतृप्त हो जाएंगी।

सारणी – 4.1

नवीन विद्यालय/ईजीएस/एआईई केन्द्र प्रस्तावित

क्रमांक	वर्ष	प्रस्तावित नवीन प्रा०विद्यालय	प्रस्तावित नवीन उच्च प्रा०विद्यालय	ई जी एस	ए आई ई
1	2002–03	00	19	00	00
2	2003–04	45	56	00	18
3	2004–05	00	00	25	22
4	2005–06	00	00	15	10
5	2006–07	00	00	00	00
	योग	45	75	40	50

नामांकन:— जनगणना २००१ से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं। १९९१ की जनगणना के आकड़ों को आधार मानते हुए पिछले दशक में जनसंख्या में हुयी वृद्धि के आधार पर **नीपा** नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउन्ड रेट आफ ग्रोथ में से जनपद में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी है। जनपद अम्बेडकरनगर की वार्षिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष २००२ से २०१० तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है।

चूँकि जनगणना २००१ के आयु वर्ग वार जनसंख्या के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। अत: १९९१ की जनगणना के आधार पर आयु वर्ग वार २००१ एवं इससे आगे की जनसंख्या में ६—११ वय वर्ग के बच्चों की संख्या ज्ञात करने हेतु १४.९ प्रतिशत तथा ११—१४ वय वर्ग की संख्या हेतु ६.२ प्रतिशत का अनुपात किया गया है। वर्ष २००१ की जनगणना के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध होने पर विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या,ग्रामीण/नगरीय, अनु०जाति/जनजाति के लिए इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक कार्य योजनाओं में किया जा सकेगा

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी ई आर को आधार मानकर **नीपा** नई दिल्ली द्वारा विकसित इनरोलमेंट रेशियो में से २००२ से २०१० का जीईआर प्रोजेक्ट किया गया है। वर्ष विशेष के लिए प्रोजेक्ट जीईआर तथा बाल संख्यासे इस वर्ष के लिए नामांकन का प्रोजेक्शन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष २००३ तक ६—११ वय वर्ग (प्राथमिक स्तर) तथा वर्ष २००७ तक ११—१४ वय वर्ग अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर हेतु शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। जीईआर के अन्तर्गत कुछ कम उम्र एवं कुछ अधिक उम्र (निर्धारित वय वर्ग हेतु) के बच्चे नामांकित होंगे। अत: जीईआर का लाभ १०० से ऊपर रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००३ के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर २००७ के बाद जीईआर में वृद्धि कम होगी क्योंकि ६—११ एवं ११—१४वय वर्ग के जितने बच्चे बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में भी बढ़ जाया करेंगे। जनपद का वर्तमान जीईआर ११६ है।

सारणी – 4.2
नामांकन के लक्ष्य

नामांकन		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक स्तर	कुल	३१७९८२	३३११२३	३४११५७	३४७९८०	३५४९३९	३६२०३८
	परिषदीय	२१५८९०	२२६९८९	२३४९४०	२३९६३९	२४४४३२	२४९३२०
उच्च प्रा० स्तर	कुल	९९१०१	१०३६३७	१०७९३६	११३४९९	११५७६९	११८०८५
	परिषदीय	२६२५५	२९३३५	३२१४७	३६१९५	३६९१९	३७६५७

सारणी–४.३
शुद्ध नामांकन अनुपात

नामांकन	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक स्तर	97	99	100	100	100	100
उच्च प्राथमिक स्तर	93	95	97	99	100	100

३. ठहराव:– प्राथमिक स्तर पर जनपद की वर्तमान ड्राप आउट दर २९.५ प्रतिशत है जिसे क्रमश: घटाकर वर्ष २००७ तक शून्य किया जायेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान ड्राप आउट की दर ४३.० को घटाकर २०१० तक शून्य किया जायेगा। इस प्रकार सार्वभौमिक शतप्रतिशत ठहराव का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। ड्राप आउट घटाने का लक्ष्य निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक स्तर	29.50	26.00	19.00	14.00	7.00	00
उच्च प्रा० स्तर	23.00	19.00	15.00	10.00	5.00	00

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक ३ वर्ष में एक बार प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथाउच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक की हाई स्टडी करायी जाएगी।

४. **गुणवत्ता संवर्धन:—** गुणवत्ता संवर्धन के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम को अध्याय ०९ में विस्तार से दिया गया है।

५. **क्षमता विकास :—** जनपद में जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता का विकास किया जाएगा।

———————

अध्याय – ५

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी है। शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि में समूह चर्चा की गयी। जिनके आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्याएं एवं मुद्दे उभरकर सामने आए। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीति का विवरण निम्नवत् दिया जा रहा है–

समस्याएं/मुद्दे	रणनीति
क. शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी १– असेवित बस्तियों में विद्यालयों की अनुपलब्धता	इसके लिए ३०० से अधिक आबादी वाले प्राथमिक विद्यालयों से असेवित ११६ बस्तियों में ८१ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे तथा ८०० से अधिक आबादी वाले २३८ असेवित बस्तियों में १५५ नये उच्च प्रा० विद्यालय खोले जाएंगे।
२– ३०० से कम आबादी वाली बस्तियों में १.५ किमी के अन्दर विद्यालयी सुविधा का अभाव।	इन असेवित बस्तियों हेतु जनपद में कुल २३८ ई०जी०एस० केन्द्र खोले जाएंगे। इसी प्रकार प्रा० एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ७५ एआईई केन्द्र खोले जाएंगे।
३– विशेष बच्चों हेतु शैक्षिक सुविधा का अभाव।	सार्वभौमिक नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था, ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन, ब्रिज कोर्स आदि की व्यवस्था की गयी है।
ख. नामांकन संबंधी १– सामुदायिक जागरूकता का अभाव।	शिक्षा के प्रति लोगों के अन्दर जागरूकता लाने हेतु समुदाय का पर्याप्त सहयोग लिया जाएगा। ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय किया जाएगा। नियमित मासिक बैठकें प्रत्येक विद्यालय पर की जाएंगी। रैली, प्रभात फेरी, शिक्षा सप्ताह, विद्यालय वार्षिकोत्सव आदि का आयोजन कर जन समुदाय को शिक्षा से जोड़ा जाएगा

समस्याएं/मुद्दे	रणनीति
२– आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन एवं शिक्षा का सीधे उत्पादकता से जुड़ा न होना।	आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अभिभावकों को ग्राम शिक्षा समिति एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों को

	परम्परागत समाजोपयोगी जीवन कौशलों का भी शिक्षा में समावेश कर शिक्षा को उत्पादकता से जोड़कर कमजोर वर्गों हेतु लाभप्रद बनाया जाएगा।
७— विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल न होना।	बच्चों को विद्यालय आना नीरस न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्य क्रम का समावेश किया जाएगा। खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाकर बच्चों को विद्यालय की ओर खींचा जा सकता है।
८— अध्यापक समुदाय में संपर्क का अभाव।	इसके लिए एमटीए/पीटीए की बैठकें, वीईसी की बैठकें नियमित आयोजित की जाएंगी। घर—घर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क पर जोर दिया जाएगा।
ठहराव संबंधी - विद्यालय का अनाकर्षक परिवेश।	इस हेतु विद्यालय में बागवानी, साज—सज्जा आदि के द्वारा विद्यालय का परिवेश आकर्षक बनाया जाएगा।
– भौतिक संसाधनों का अभाव।	विद्यालय में भौतिक संसाधन यथा चहारदीवारी, हैण्डपम्प, शौचा लय, टाटपट्टी आदि के अभाव के कारण भी बच्चे विद्यालय आना अथवा ठहरना पसन्द नहीं करते हैं। इन सुविधाओं की विद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी। चहारदीवारी एवं शौचालय सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कराया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। गरीब छात्रों को नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
शिक्षकों की कमी।	शिक्षकों की कमी हेतु प्रति ४० छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके की जाएगी।
शिक्षकों का व्यवहार कुशल न होना।	शिक्षक का व्यवहार सदैव छात्र/छात्राओं के प्रति आत्मीय होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा त था उन्हें व्यवहारकुशल बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
जन सहयोग एवं सहभागिता का अभाव	विद्यालय विकास में जन सहभागिता एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है इसके लिए सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त किया जाएगा तथा शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता समाप्त की जाएगी।
समस्याएं/मुद्दे	रणनीति

घ. गुणवत्ता संबधी १. शिक्षकों में बदलते परिवेश के अनुरूप ज्ञान में कमी।	बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जाएगा।
२. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना।	निरीक्षण अधिकारियों को नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ शिक्षकों के गुणवत्ता संवर्धन के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु निरीक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाएगा।
३– शिक्षकों का शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग में दक्ष न होना।	पाठ्य सामग्री के अनुरूप शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण एवं उपयोग हेतु सभी शिक्षकों को ५०० रू० का टी एल एम अनुदान प्रदान किया जाएगा।
४– शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहना।	आजकल शिक्षकों के द्वारा शिक्षण से इतर बहुत से कार्य जैसे जनगणना मकान गणना, पल्स पोलियो, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण कार्य किए जाते हैं। इस प्रवृत्ति को यथा संभव कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे शिक्षक अपना ज्यादातर समय शिक्षण कार्यों में बिताएं।
च. संस्थागत क्षमताओं संबंधी १– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ न होना।	डायट को सुदृढ़ बनाने हेतु बहुत से प्राविधान रखे गये हैं। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण क्रय किए जाएंगे। फैकल्टी में अभिवृद्धि की जाएगी
२– डायट का प्रशिक्षण कार्य आधुनिक परिस्थितियों एवं कक्षा कक्ष के वातावरण को दृष्टिगत न होना।	डायट द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण में इस बात पर बल दिया जाएगा कि सभी प्रशिक्षणों में आधुनिक शिक्षण विधियों का समावेश किया जाये। अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखकर बहु कक्षा शिक्षण विधा पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों को भी दृष्टिगतरखकर शिक्षक प्रशिक्षण डायट द्वारा प्रदान किया जाएगा।
३– एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० की क्षमताओं में अभिवृद्धि।	सतत् एवं व्यापक शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र दोनों को क्षमतावान बनाया जाएगा। इन केंद्रों पर आवश्यक भौतिक संसाधन भी उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि विद्यालय एवं शिक्षकों को नियमित मार्ग दर्शन तथा शैक्षिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।
समस्याएं/मुद्दे	रणनीति

४— प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की कमी।	प्रारम्भिक शिक्षा में हो रही प्रगति तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तथा वर्तमान शैक्षणिक समस्याएँ क्या हैं इस शोध एवं अध्ययन की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गयी है तथा इनसे प्राप्त परिणामों को भी आगामी वर्षो में लागू किया जाएगा।
५— ई०एम०आई०एस० सेल का सुदृढ़ीकरण।	ई०एम०आई०एस० सेल को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। शैक्षणिक आंकड़ों का नियमित संकलन एवं विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों को सर्व शिक्षा अभियान की कार्य–योजनाओं में स्थान दिया जाएगा।

अध्याय – ६

शिक्षा की पहुँच का विस्तार । – नवीन औपचारिक विद्यालय

१. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना:–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष २००३ तक सार्व भौमिक नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि जनपद में पर्याप्त संख्या में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। बहुत से बच्चे केवल इस कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके गॉव/बस्ती के नजदीक विद्यालय नहीं होता है जनपद में डी०पी०ई०पी०–।।। के अन्तर्गत ८५ नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित थे, जिनमें से २००२–०३ तक केवल ५० विद्यालय खुल सके हैं। इस जनपद में कुल ११६ ऐसी बस्ती / ग्राम हैं, जिनकी आबादी ३०० से अधिक है तथा जिनके नजदीक १.५ किमी के अन्दर कोई परिषदीय प्रा०विद्यालय नहीं है। अत: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ४५ नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा ४० ई०जी०एस० केन्द्रों की स्थापना करके इन ११६ असेवित बस्तियों को से वित किया जायेगा। ब्लाकवार असेवित बस्तियों का विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 6.1

क्रमांक	विकासखण्ड	असेवित बस्तियों की संख्या	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन प्रा0वि0
1	अकबरपुर	20	08
2	कटेहरी	12	07
3	भीटी	10	04
4	भियांव	17	07
5	जलालपुर	18	04
6	पसखारी	08	04
7	रामनगर	09	03
8	जहाँगीरगंज	08	03
9	टाण्डा	14	05
10	नगर क्षेत्र टाण्डा	–	–
	योग	116	45

उपर्युक्त असेवित बस्तियों को वर्ष 2003–04 सेवित किया जा चुका है।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जायेगी–

सारणी – 6.2

क्र.सं.	भौतिक सुविधाएं	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित (वर्षवार)					योग
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	
1	नवीन प्रा० विद्यालय	00	45	00	05	00	50
2	विद्यालय भवन	00	45	00	05	00	50
3	चहारदीवारी	00	45	00	05	00	50
4	शौचालय	00	45	00	05	00	50
5	पेयजल	00	45	00	05	00	50

शिक्षक व्यवस्था:– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रस्तावित है जो छात्रसंख्या वृद्धि के आधार पर बढ़ती जाएगी। आवश्यक शिक्षकों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 6.3

शिक्षकों एवं साज सज्जा की आवश्यकता

क्र० सं०	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			शिक्षण सामग्री (सं०विद्यालय)	काष्ठोपकरण/ उपस्कर (सं०वि०)
		नवीन प्रा० वि०	प्र० अ०	स०अ०/शिक्षामित्र		
1	2002–2003	00	00	00	00	00
2	2003–2004	45	45	45	45	45
3	2004–2005	00	00	00	00	00
4	2005–2006	05	00	05	05	05
5	2006–2007	00	00	00	00	00
	योग	50		50	50	50

इस प्रकार नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु 50 प्र०अ० तथा 50 स०अ०/शिक्षामित्र की व्यवस्था की जाएगी। नवीन विद्यालयों हेतु शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के चयन में 50 प्रतिशत स्थान पर महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण/उपस्कर (विद्यालय साज सज्जा)

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय के सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निम्न सामग्री क्रय की जाएगी – मेज, कुर्सी, लोटा, बाल्टी, घण्टा, गिलास, आलमारी, सन्दूक, श्याम पट्ट, टाटपट्टी, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) की ड़ासामग्री (फुटबाल, बालीबाल, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, हवा भरने का पात्र), क्लासरूम

टीचिंग मैटीरियल (गणित किट,विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोश, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) क्रय किया जाएगा। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जाएगी।

पेयजल,शौचालय एवं चहारदीवारी:—नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क ।। हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक/बालिकाओं हेतु प्रथक—प्रथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा॥ बालिकाओं की सुरक्षा एवं विद्यालय के सौंदर्य बर्धन हेतु चहारदी वारी का निर्माण कराया जायेगा।

२. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना:—जनपद अम्बेडकरनगर में अधिकांश विकासखण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का बहुत अभाव है केवल ९२ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। नगर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मात्र ०२ है, लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मिलाकर नगर क्षेत्र में नये उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लक्षित ११—१४ वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की विद्यालयी सुविधा सुलभ कराने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार 155 असेवित बस्तियों हेतु 75 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002—03 एवम् 2003—04 में प्रस्तावित हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है—

सारणी — 6.4

क्र० सं०	विकासखण्ड	असेवित बस्तियाँ वर्तमान मानकानुसार	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	अकबरपुर	21	14
2	कटेहरी	16	11
3	भीटी	10	06
4	भियाँव	15	07
5	जलालपुर	20	09
6	बसखारी	15	06
7	टाण्डा	21	08
8	रामनगर	18	07
9	जहाँगीरगंज	19	07
	योग	155	75

उपर्युक्त असेवित बस्तियों को वर्ष 2002—03 एवं 2003—04 सेवित किया जा चुका है

85 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवम् 50 ए0आई0ई0 केन्द्रों स्थापना से सभी 155 असेवित बस्तियों के सेवित हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी विद्यालयों की स्थापना यथा सम्भव प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही की जाएगी। जिससे कक्षा 01 से कक्षा 08 तक विद्यालय को एक इकाई के रूप में विकसित किया जा सके तथा निर्माण लागत में भी कमी लायी जा सके। उच्च प्राथमिक विद्यालयों का वर्षवार विवरण सारणी 6.5 में दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 6.5

नवीन उच्च प्रा० विद्यालय

क्र.सं.	भौतिक सुविधाएं	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित (वर्षवार)					योग
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	
1	नवीन उ०प्रा०विद्यालय	२२	58	00	05	00	85
2	विद्यालय भवन	२२	58	00	05	00	85
3	चहारदीवारी		00	00	0	00	85
4	शौचालय	२२	58	00	05	00	85
5	पेयजल	२२	00	00	05	00	85

शिक्षकों की व्यवस्था (उच्च प्रा० विद्यालय):–सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 85 नवीन उच्च प्रा० विद्यालयों हेतु 85 प्र०अध्यापक एवं 255 स.अ. की नियुक्ति की आवश्यकता होगी जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 6.6

क्र० सं०	वर्ष	उच्च प्राथमिक विद्यालय			शिक्षण सामग्री (सं०विद्यालय)	काष्ठोपकरण/ उपस्कर (सं०वि०)
		नवीन उ०प्रा०वि०	प्र० अ०	स०अ०/शिक्षामित्र		
1	2002–03	२२	२२	44	२२	२२
2	2003–04	58	58	116	58	58
3	2004–05	00	00	00	00	00
4	2005–06	05	05	10	05	05
5	2006–07	00	00	00	00	00
	योग	85	85	170	85	85

काष्ठोपकरण/उपस्कर(नवीन उच्च प्रा०विद्यालय):– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी नवीन उच्च प्रा० विद्यालयों को साज–सज्जा एवम् शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम

शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी जो इस प्रकार है–

मेज, कुर्सी, बालटी, घण्टा, लोटा, गिलास, कूड़ादान, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी, क्रीड़ा सामग्री, फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग रोप, हवा भरने का पम्प, क्लास रुम, टीचिंग मटीरियल जैसे गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब,टू इन वन तथा टीचर इक्वीपमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

निर्माण कार्यदायी संस्था:—सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा कराया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:—विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प , चहारदीवारी आदि निर्माण कार्यों पर तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना लागत में कमी लाने हेतु प्रयास– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में 75 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसमें काफी लागत आ सकती है। विद्यालय स्थापना की लागत में कमी लाने हेतु पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयो के परिसर में ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना यथा संभव की जायेगी जिससे प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध भौतिक संसाधनो यथा भूमि, भवन, हैण्ड पम्प, शौचालय तथा चहारदीवारी आदि का उपयोग किया जा सकेगा। फलस्वरूप नवीन उ0 प्रा0 वि0 की स्थापना लागत में उल्लेखनीय कमी लायी जा सकेगी।

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण:–

प्रथमत: नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती को आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जाएगी। बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जाएगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव समाहित किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रु० दो लाख का वित्तीय प्राविधान प्रतिवर्ष रखा जाएगा। सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष में किया जाएगा।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–।।

शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण करने हेतु एवं ६–१४ वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय की पहुँच से दूर रहने वाले बच्चों को विशेष प्रकार के कार्यक्रम केन्द्र के द्वारा विद्यालय तक पहुँचाया जाएगा। जनपद के ऐसे क्षेत्र जैसे मलिन बस्तियॉ, बाल श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय की अधिकता वाले क्षेत्रों में ई०जी०एस० सेन्टर तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोलकर बच्चों को नामांकित करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्राप आऊट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें केन्द्र पर लाया जाएगा अथवा ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

डी०पी०ई०पी० योजनार्न्तगत वर्ष २०००–२००१ में जनपद में ४३ विद्याकेन्द्रों एवं ०९ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलकर लगभग २२०० बच्चों को केन्द्र पर लाया गया है। २००१–२००२ में ४२ विद्याकेन्द्रों एवं ७६ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो को चिन्हित कर केन्द्र संचालन कराया गया जिसमें लगभग 7500 बच्चों का पंजीकृत किया गया। वर्ष 2003–04 तक लगभग 1193 बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ा गया। वर्ष 2003–04 में विद्यालय न जाने वाले बच्चो हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 01–01 ब्रिज कोर्स के संचालन हेतु स्थल एवम् अनुदेश कों का चयन कर लिया गया है जिसमें लगभग 4400 बच्चों (ड्राप आउट/स्कूल न जाने वाले तथा बाल श्रमिकों) को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को कक्षा 06 से 08 तकी शिक्षा प्रदान करने हेतु जनपद में 18 ए0आई0ई0 उच्च प्राथमिक स्तर हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है जिसमें लगभग 400 बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके उपरान्त 09 से 14 वयवर्ग के शिक्षा से वंचित/ड्राप आउट 60–60 बालिकाओं कुल लगभग 180 बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 06–06 माह का 03 आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किया जायेगा। इसप्रकार सभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मूला धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहॉ केन्द्रों को खोलने की महती आवश्यक ता है। साथ ही अल्पकालीन ग्रीष्म शिविरों के माध्यम से बच्चों को केन्द्र अथवा विद्यालय तक लाया जाएगा। मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों, अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहॉ ९–१४ वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम २० बच्चे उपलब्ध होंगे। वहॉ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जाएगा।

१.अनौपचारिक शिक्षा योजना:— प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्य से विद्यालय से बाहर रहने वाले 06—08 वय वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उसी स्थानीय समुदाय का अनुदेशक नियुक्त कर कम से कम 25 व्यक्तियों को केन्द्र पर पंजीकृत कर विद्यालय परिसर या किसी सार्वजनिक स्थान पर मात्र दो घंटे शिक्षण कार्य किया जाता है। अनुदेशक को प्रत्येक वर्ष 10—10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था। देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ—साथ वर्ष 1979—80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया। यह योजना शैक्षिक दृष्टि कोण से पिछड़े राज्यों, शहरी मलीन बस्तियों, पर्वतीय जन जातीयों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाई गयी।

उपलब्धि:— अनौपचारिक शिक्षा योजना के दौरान यद्यपि कि बहुत से बच्चों को केन्द्रों पर पंजीकृत करके उन्हें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मूल धारा से जोड़ा जाएगा। परन्तु अनौपचारिक शिक्षा योजना से जो अपेक्षाएं की गई थीं, उतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। इसका कारण यह रहा कि केन्द्र संचालन का समय मात्र 02 घंटा था, अनुदेशक का मानदेय अत्यन्त अल्प था तथा मात्र 2 वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करना था। साथ ही केन्द्र पर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती थी।

विश्लेषण:— जिन विकासखण्डों में अनौचारिक शिक्षा योजना लागू की गयी वहॉ 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार एक परियोजना में 2500 बच्चों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया। जनपद अम्बेडकरनगर में सात विकासखण्डों में परियोजना संचालित की गयी। जिसमें प्रति परियोजना के लगभग 900 छात्र कक्षा पॉच की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें लगभग 700 परीक्षार्थी कक्षा पांच की परीक्षा उत्तीर्ण करते थे एवम् लगभग 240 निर्गम प्रमाण पत्र (टी॰सी॰) प्राप्त करते थे। जिसमें से 195 बच्चे कक्षा 06 में प्रवेश करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना एवम् ड्राप आउट रोकना था, परन्तु वह पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सका।

२. सर्वेक्षण नगर/ग्रामीण क्षेत्र:—

जनपद अम्बेडकरनगर में कुल नौ विकासखण्ड एवं एक नगरक्षेत्र है जो क्रमश: विकासखण्ड— अकबरपुर, कटेहरी, भीटी, बसखारी, टाण्डा, रामनगर, जहॉगीरगंज, भियॉव, जलालपुर एवं नगर क्षेत्र टाण्डा है। जनपद में 06—14 वय वर्ग के लगभग 457400 बच्चे

है जिसमें लगभग 451228 बच्चे पंजीकृत है, लगभग 6172 बच्चे ऐसे है जो कतिपय कारणों से खास करके नजदीक विद्यालय न होने के कारण विद्यालय नहीं पहुँच पाते। इसके अतिरिक्त जनपद में ड्राप आउट होने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है।

6 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या–

बालक	बालिका	योग
242560	214840	457400

6 से 14 वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चे–

वर्ग	अनु0जाति	जनजाति	पि0 जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	728	0	89489	35178	29888	227341
बालिका	60955	0	79796	30369	27357	198527
योग	133831	0	169285	65547	57245	425868

विभिन्न कारणों से स्कूल न जाने वाले 06 से 14 वय वर्ग के बच्चे–

क्र0 सं0	कारण	5+ से 6+		7+ से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्यों में लगे रहना	1961	1833	990	1039	1442	1551	4123	4423	8546
2	मजदूरी में लगे रहना	53	222	307	751	892	642	1254	1625	2879
3	माई–बहनों की देखभाल	650	648	443	790	550	847	1643	2285	3923
4	विद्यालय दूर होना	1419	1111	607	540	287	309	2313	1960	4273
5	अन्य कारण	7661	6028	1051	898	145	342	8857	7268	16125
	योग	11474	9842	3398	4018	3316	3691	18190	17561	35751

हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत जून 2003 में चिह्नित उपर्युक्त 35751 विद्यालय न जाने वाले बच्चों में से 28959 का विभिन्न कक्षाओं में अगस्त 2003 तक नामांकन करा लिया गया है। शेष 6792 बच्चों को स्कूल लाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं–

नामांकन से अवशेष बच्चे–

क्र0 सं0	कारण	योग		
		बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्यों में लगे रहना	375	392	767
2	मजदूरी में लगे रहना	254	241	495
3	भाई–बहनों की देखभाल	445	612	1057
4	विद्यालय दूर होना	2086	1781	3867
5	अन्य कारण	271	335	606
	योग	3231	3561	6792

1. ब्रिजकोर्स कैम्प– जनपद में 112 ब्रिजकोर्स के संदालन हेतु स्थल चयन कर लिया गया है। न्याय पंचायत पर संचालित होने वाले इन गैर आवासीय ब्रिजकोर्स में लगभग 4480 स्कूल न जाने वाले छात्र–छात्राओं को नामांकित कराया जायेगा तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 3 आवासीय ब्रिजकोर्स के माध्यम से 180 बालिकाओं को नामांकित कराया जायेगा।
2. ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र– इसके अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को स्कूल लाने हेतु 40 ई0जी0एस0 केन्द्र एवं 50 ए0आई0केन्द्र0 खोला जाना प्रस्तावित है। 2003–04 में 18 ए0आई0ई0 केन्द्रों के द्वारा 360 बच्चों को नामांकित कराया जायेगा।
3. ई0सी0सी0ई0 केन्द्र– भाई–बहनों की देखभाल में लगे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु 100 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र 2004–05 में खोले जाने का प्रवाधान है।
4. अन्य–उपरोक्त के द्वारा अवशेष बचे हुए बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा नवीन संचालित होने वाले 45 परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। इन विद्यालयों में विद्यालय अब तक दूर होने के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। पहुँच का विस्तार करने हेतु 40 ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विकलांग बच्चे :–

क्रमांक	6–14 वयवर्ग के कुल बच्चे		6–14 वयवर्ग विद्यालय जाने वाले बच्चे		6–14 वयवर्ग विद्यालय न जाने वाले बच्चे	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2124	1431	1853	1225	271	206

जनपद अम्बेडकरनगर में कुछ विशिष्ट क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे लगाये गये हैं। 9–14 वय वर्ग के बच्चे उद्योग धन्धे में लगे है। विशेषकर नगर क्षेत्र टाण्डा, इल्तिफातगंत, शहजादपुर, अकबरपुर तथा जलालपुर में पावरलूम लगाये गये है जहां बहुत से बच्चे उद्योग में लगे हुए हैं। इन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन उद्योगों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे भी लगे हुए हैं।

इसके अतिरिक्त जहॉ पर ये पावरलूम लगे हुए हैं वहॉ अधिकांश आबादी मुस्लिम समुदाय की है। जहॉ बालिकाओं को किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा जाता है। कहीं–२ पर उन्हें दीनी तलीम दी जाती है इसके अतिरिक्त घाघरा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जहॉ अत्यन्त पिछड़ी जाति के क्षेत्र हैं वहॉ विद्यालयों की उपलब्धता न होने तथा अभिभावकों का शिक्षण के प्रति रूचि न होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

३. रणनीति:– उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों के लिए यह आवश्यक है उसी क्षेत्र तथा समुदाय के आचार्य एवम् अनुदेशक की नियुक्ति की जाय साथ ही इन क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन शिविर एवम् ब्रिज कोर्स कराया जाना आवश्यक है साथ ही क्षेत्र विशेष में शिक्षा के प्रति जन जागरण करने हेतु गोष्ठियॉ, वातावरण सृजन, ग्राम शिक्षा समितियों का विशेष प्रशिक्षण कराया जायेगा।

४. कार्यक्रम:– स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुसार सबको शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वातावरण सृजन हेतु 10–10 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर लगाकर बच्चों को शिविर पर लाया जायेगा तथा ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों को तथा अभिभावकों को पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बजट का प्राविधान किया जायेगा।

मुस्लिम समुदाय वाली बस्तियों जहां खास करके 9–14 वय वर्ग की बालिकाओं तथा बाल श्रमिकों हेतु ब्रिज कोर्स करया जायेगा।

४ (क). क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष के बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के केन्द्रों का निर्धारण:– क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता को निम्नलिखित प्रकार से सूची बद्ध किया जा रहा है।

क्रमांक	विकासखण्ड	केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक बस्तियों की संख्या			
		विद्याकेन्द्र	वैक०शिक्षा केन्द	ब्रिज कोर्स	ऋषि वैली माडल
1	अकबरपुर	17	15	19	–
2	कटेहरी	16	15	12	–
3	टाण्डा	14	15	15	–
4	भीटी	12	07	12	–
5	बसखारी	14	12	11	–
6	जहॉगीरगंज	12	12	11	–
7	भियॉव	13	12	12	–
8	जलालपुर	14	15	15	–
9	रामनगर	13	12	12	–
10	नगरक्षेत्रटाण्डा	–	10	–	–
	योग	125	125	119	–

४(ख). केन्द्र किस प्रकार किसके द्वारा खोला जायेगा स्थल समुदाय द्वारा:—

चिन्हित क्षेत्रों अथवा बस्तियों विशेष तौर पर जहॉ 1 किमी० की परिधि में कोई परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहॉ कम से कम 30 बच्चे ऐसे उपलब्ध हैं जो परिस्थिति वश किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं वहॉ केन्द्र खोलने हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम शिक्षा समिति से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएंगे। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव में पढ़ने हेतु बच्चों का ग्राम पता निकटस्थ प्रा०वि० का नाम तथा केन्द्र स्थल पर भवन, शौचालय, एवं पेयजल की व्यवस्था का विधिवत वर्णन किया जायेगा। प्राप्त सभी प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी—सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव तथा वित्त एवम् लेखा—धिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य होंगे, के सम्मुख रखा जाएगा। समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर उन्हें अनुमोदित कर ग्राम पंचायत /ग्राम शिक्षा समिति को अनुदेशक/आचार्य के चयन हेतु निर्देशित किया जायेगा । केन्द्र के संचालन हेतु केन्द्र स्थल, भवन, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु मकतब/ मदरसों से प्राप्त प्रस्तावों का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जायेगा तथा ब्रिज कोर्स हेतु स्थल विशेष का चयन कर तथा जिला कमेटी की संस्तुति पर कैम्प लगाये जायेंगे।

४(ग). आचार्य जी/अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया तथा योग्यता का विवरण:—

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम अथवा मजरे के ऐसे व्यक्ति जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। जो स्थान विशेष तथा समुदाय का परिस्थितियों से भिज्ञ होगा तथा शिक्षण कार्य हेतु इच्छुक होगा तथा उसकी न्यूनतम आयु सीमा १८ वर्ष से कम न होगी उनके आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे प्राप्त आवेदन पत्रों में हाईस्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन कर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा केन्द्र संचालन हेतु आमन्त्रित किया जाएगा। मकतब/मदरसों में अनुदेशक चयन हेतु मकतब में कार्यरत मौलती अथवा हाफिज जी को वरीयता प्रदान की जायेगी अथवा मकतब कमेटी द्वारा अनुदेशक का चयन कर उसे शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। आचार्य/अनुदेशक के चयन के उपरान्त उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ३० दिन का आवासीय प्रशिक्षण सरकारी व्यय पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि का कोई मानदेय देय नहीं होगा। किसी भी आचार्य/अनुदेशक का कार्य संतोष जनक न होने पर ग्राम

पंचायत द्वारा दो तिहाई बहुमत से हटाया जायेगा। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा। जिस माह में आचार्य/अनुदेशक को प्रस्ताव कर हटाया जायेगा। उस माह का उसे पूर्ण मानदेय देय होगा।

४(घ). आचार्य/अनुदेशक का प्रशिक्षण:— अनुदेशक/आचार्य के चयन के उपरान्त उन्हें तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण पूर्णत: आवासीय होगा। प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारि/एस०डी० आई०/ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ब्लाक रिसोर्स परसन योग्य अध्यापक तथा संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु १८४० रू० प्रति आचार्य/ अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि किसी आचार्य/अनुदेशक को कोई मानदेय देय नहीं होगा।

४(च). शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था:—

केन्द्र के संचालन हेतु प्रति केन्द्र बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें खरीदने हेतु रू० १०००(एक हजार मात्र) तथा केन्द्र की साज—सज्जा हेतु रू० २३५०/— (दो हजार तीन सौ पचास मात्र) ग्राम शिक्षा निधि खाते में प्रेषित किया जायेगा। जो ग्राम समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा सामग्री क्रय के उपयोग में लाया जाएगा। केन्द्र हेतु निम्नलिखित सामग्री का क्रय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा—

(१) टिन बाक्स ताला सहित (३फि०X२फि०X२फि०) २२ गेज — ०१
(२) लकड़ी का ब्लैक बोर्ड स्टैण्ड सहित — ०२
(३) टाट पट्टी (१०फि०X२फि०)२ किग्रा वजन — ०५
(४) मानचित्र— जनपद, राज्य, देश — ०३
(५) छात्र उपस्थिति पंजिका — ०२
(६) रजिस्टर — ०२
(७) चाक — आवश्यकतानुसार
(८) डस्टर — ०२

(९) स्लेट प्रति बच्चा — ०३

(१०) पेंसिल डिब्बा स्लेट हेतु — ३०

(११) कापी १२० पेज बिना दफ्ती की —(६ कापी प्रति बच्चा)

(१२) फुटबाल — ०२

(१३) रस्सी कूदने के लिए — ०३

(१४) रिंग — ०३

(१५) स्केल लकड़ी/टिन १२ इंच — ०५

(१६) क्रेयान कलर — २० पैकेट

(१७) एबेकस छोटा — ०५

(१८) पेंसिल — ०६ प्रति बच्चा

आचार्य/अनदेशकों के मानदेय का वितरण

आचार्य/अनुदेशकों को प्रतिमाह १०००/— मानदेय दिया जायेगा। जिसे ग्राम शिक्षा निधि खाते में एक मुश्त छः माह का धन हस्तांतरित कर दिया जायेगा एवं गत माह का मानदेय अगले माह के प्रथम सप्ताह में चेक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर / प्रोग्राम आफीसर/ प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इसप्रकार की धनराशि कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यह धनराशि कार्यक्रम से संबन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानांतरित की जायेगी तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण की व्यस्था:— शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई०/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक बैठकों में में शिक्षा आचार्य एवं अनुदेशकों को भी बुलाया जायेगा। संबन्धित न्याय पंचायत

समन्वयक द्वारा एक माह में कम से कम दो बार केन्द्रों का अनुश्रवण किया जायेगा। निकटस्थ प्रा०विद्यालय के प्रधानाध्यापक का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी।

पदों की आवश्यकता:– प्रत्येक केन्द्र पर ३० बच्चों पर एक आचार्य/अनुदेशक की व्यवस्था होगी ४६ से अधिक छात्र संख्या पर दो आचार्य / अनुदेशक की व्यवस्था की जायेगी।

पर्यवेक्षण हेतु चेक बिन्दु

निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय निम्नलिखित चेक विन्दुओं का ध्यान रखा जायेगा–

(क) शिक्षण सामग्री/बालकिट का उपयोग।

(ख) शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री की उपलब्धता।

(ग) अनुदेशक के मानदेय के वितरण की स्थिति।

(घ) अनुदेशक का समुदाय में प्रयास।

(ड़) ग्राम शिक्षा समिति द्वारा केन्द्र के लिए किये गये कार्य।

(च) केन्द्र पर बच्चों की उपस्थित।

(छ) बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर।

पर्यवेक्षण को प्रभावी कौन–कौन करेंगे

(१) ग्राम शिक्षा समिति:– ग्राम शिक्षा समिति द्वारा केन्द्र का नियमित एवं निरन्तर पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा आचार्य/अनुदेशक को सहयोग एवं निर्देश दिया जायेगा।

(२)एनपीआरसी/बीआरसी समन्वयक:–किसी केन्द्र का पर्यवेक्षक सम्बन्धित न्याय पंचायत समन्वयक होगा। वह केन्द्र पर आने वाली कठिनाइयों को अपने स्तर से/ बीआरसी स्तर से निराकरण करेगा

(३) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण:– ग्राम शिक्षा समिति,एनपीआरसी/बीआरसी समन्वयक के अतिरिक्त केन्द्र के सफल

संचालन हेतु समय–समय पर सहा०बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा।

पर्यवेक्षण हेतु मानदेय/व्यय की व्यवस्था:– केन्द्र के प्रभावी एवं सतत् मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक केन्द्र के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम ५०० रूपये वार्षिक की व्यवस्था की जाये जिससे न्याय पंचायत समन्वयक,बीआरसी एवं सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

शिक्षार्थियों के मूल्यांकन व मुख्यधारा (औपचारिक स्कूलों) में सम्मिलित होने की व्यवस्था:– अनुदेशक/आचार्य द्वारा केन्द्र पर अध्ययनरत बच्चों का नियमित एवं सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक द्वारा इस अवधि में बच्चों के व्यवहारिक एवं शैक्षिक स्तर में आये सुधार एवं भविष्य में बच्चों के स्तरोन्नयन हेतु किये जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में अभिभावकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।

केन्द्र पर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। केन्द्र पर अध्ययनरत बच्चों को कभी भी किसी समय औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा।

७. **अनुश्रवण की व्यवस्था:–** केन्द्र तथा उसमें अध्ययनरत बच्चों का नियमित मूल्यांकन के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय –समय पर अनुश्रवण किया जाता रहेगा तथा आने वाली किसी भी समस्या का निराकरण किया जायेगा।

कम्प्यूटराइज्ड मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम की स्थापना/संचालन:–

केन्द्र पर अध्ययनरत बच्चों को केन्द्रवार तथाकेन्द्र की स्थिति सहित आकड़े कम्प्यूटराइज्ड किया जायेगा तथा मुख्यधारा में जोड़े गये बच्चों को सूचीबद्ध किया जाएगा। साथ ही कम्प्यूटर में पहले से मौजूद ई०एम०आई०एस० डाटा के आधार पर केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

८. आकड़ों के **एकीकरण, संकलन, विश्लेषण:–** कम्प्यूटराइज्ड आकड़ों को एकत्र

कर असेवित तथा विशेष समुदाय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को वरीयता क्रम के आधार पर प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की जाएगी और विभिन्न प्रकार के आकडों का विश्लेषण किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन:— ग्राम शिक्षा समिति, न्यायपंचायत समन्वयक, ब्लाक समन्वयक ब्लाक समन्वयक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों, स्थितियों का जनपदीय, मण्डलीय तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जिससे सभी आंकड़ों की सत्यता प्राप्त की जा सके।

९. मासिक बैठक/त्रैमासिक बैठक/वार्षिक बैठक:— न्याय पंचायत पर केन्द्रों की समस्याओं के निराकरण एवं सूचनाओं के संकलन हेतु मासिक ब्लाक स्तर पर ? त्रैमासिक तथा जिला स्तर पर वार्षिक बैठक की जायेगी जिससे सभी सम्बन्धित व्यक्ति अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिससे समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

१०. प्रगति आख्याओं का प्रसारण:— केन्द्र की प्रगति आख्या का प्रसारण किया जाएगा तथा उसकी सूचना न्यायपंचायत एवं ब्लाक स्तर पर रखी जाएगी। अच्छी प्रगति वाले केन्द्रों की सूचना ब्लाक स्तर से जनपद स्तर पर भेजी जाएगी तथा अच्छे केन्द्रों के आचार्य/अनुदेशकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रबन्धन लागत

जनपद के केन्द्रों की अधिकतम लागत पर होने वाले व्यय में ५ प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकासखण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन भी सम्मिलित है।

विकासखण्ड स्तर पर प्रबन्धन की लागत निम्नवत् रखी जाएगी—

८०—१०० केन्द्रों के मध्य—२.५० लाख रु० प्रतिवर्ष

५०—८० केन्द्रों के मध्य—२.०० लाख रु० प्रतिवर्ष

२५—५० केन्द्रों के मध्य—१.५० लाख रु० प्रतिवर्ष

२५ केन्द्रों से कम — रु० १०० प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स, ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :—

मलिन बस्तियों, प्लेटफार्म दुकानों, घुमन्तू बच्चों, खेत मजदूरी एवं भट्ठा पर लगे बच्चे जो ९—१४ वय वर्ग के हैं। उनको शिक्षित करने हेतु क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पर आधारित ब्रिज कोर्स, ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर में ९ से १४ वय वर्ग के न्यूनतम ५० बच्चे सम्मिलित किये जाएंगे तथा यह शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था नि:शुल्क होगी। ब्रिज कोर्स संचालित करने हेतु निम्नलिखित पदों की व्यवस्था की जाएगी–

क. एक केयर टेकर

ख. दो पैरा टीचर

ग. एक रसोइयां

घ. एक चौकीदार

उक्त के चयन की मानक के अनुसार प्रक्रिया की जाएगी। केयर टेकर, दो पैरा टीचर के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए नि:शुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की भॉति ही की जाएगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की नि:शुल्क व्यवस्था एवम् साज–सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ब्रिज कोर्स खालने हेतु उस क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। जहॉ पर नि:शुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके। ब्रिज कोर्स विकासखण्ड/जनपद मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। आवासीय ब्रिज कोर्स हेतु विकासखण्ड वार सृजन एवं व्यय विवरण–

क्रमांक	जनपद मख्यालय	सृजन वर्ष	केन्द्र सं०	कुल छात्र	व्यय प्रति छात्र रू०1500/–
1	अम्बेडकरनगर	2001–02	–	–	–
2		2002–03	1	60	90
3		2003–04	2	120	180
4		2004–05	2	120	180
5		2005–06	2	120	180
6		2006–07	2	120	180
		योग	**09**	**540**	**810**

स्रोत– पर्सपेक्टिव प्लान

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालय में किया जाएगा। ब्रिज कोर्स की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जाएगी। इस हेतु रु० 1500 प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति :— सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति के सदस्यो का विवरण निम्नवत् होगा—

१. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
२. मुख्य विकास अधिकारी — उपाध्यक्ष
३. विशेषज्ञ/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य सचिव
४. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफीसर — सदस्य
५. प्राचार्य डायट — सदस्य
६. जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी — सदस्य
७. जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य
८. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा — सदस्य
९. स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि — सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनो के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।)

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम:— शालात्याग व अधिक आयु तक शिक्षा न प्राप्त होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित विशेषकर कामकाजी तथा बाल श्रमिक (लघु उद्योगो, होटलों, हथकरघा व ईट भट्ठा पर काम करने वाले) एवम् नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों को उन गॉव/मजरों/मोहल्लों में खोला जाएगा जहॉ १५ बालक/बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होंगे। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाये जाएंगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशक की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में कुल १८ ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाएंगे। जिसमें औसतन ३० छात्र/छात्रा का नामांकन करके शिक्षण कार्य किया जाएगा। इस प्रकार कुल ५४० छात्र/छात्रा

लाभान्वित होंगे।

अल्प संख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :— जनपद अम्बेडकरनगर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अनेक समस्यायें हैं। जनपद में बहुत से ऐसे अमान्य मकतब/मदरसे हैं जहॉ बच्चों केवल दीनी तालीम दी जाती है। इनके लिए व खासकर बालिकाओं के लिए केन्द्र खोले जाएंगे, जिसमें महिला अनुदेशिका नियुक्त होगी।

मकतब/मदरसा केन्द्रों का चरण बद्ध सृजन:—

क्रमांक	सृजन वर्ष	केन्द्रों की संख्या	
1	2000—01	09	
2	2001—02	76	
3	2002—03	0	
4	2003—04	0	
5	2004—05	20	
6	2005—06	20	
	योग	**125**	

ई०जी०एस० वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता:— वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में कार्य कर रही अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जाएगा। जिन स्वयं सेवी संगठनों का सहभागी बनाया जाएगा उनको चयनित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था होगी। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता ली जाएगी। स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्ताव का डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जाएगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्यक्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई०जी०एस०/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जाएगी।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयंसेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ईजीएस/एआईइ योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा ईजीएस व नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाएगा।

इसी प्रकार जो स्वयंसेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं उनका भी सहयोग ईजीएस व नवाचार शिक्षा योजना की क्षमता विकास के लिए जनपद में चयन किया जाएगा। इन स्वयंसेवी संगठनों/संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार होगी।

वर्षवार स्वीकृत विद्याकेन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का विवरण–

क.सं.	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत संख्या	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	आचार्य	अनुदेशक
1	2000–01	43	09	43	09	43	09
2	2001–02	42	76	42	76	42	76
3	2002–03	85	85	85	85	85	85
4	2003–04	85	85	85	85	85	85

ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या								
		ईजीएस			एआईई प्राथमिक स्तर			एआईई उ0 प्राथमिक स्तर		
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग
1	2002–03	85	00	85	85	00	85	00	00	00
2	2003–04	85	00	85	85	00	85	00	18	18
3	2004–05	85	25	110	85	30	115	18	22	40
4	2005–06	110	15	125	115	10	125	40	10	50
5	2006–07	125	00	125	115	00	115	50	00	50

अध्याय – 8
ठहराव मे वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। (डी०पी०ई०पी०) अप्रैल २००० से लागू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही ठहराव में वृद्धि के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जनपद में शाला त्याग की प्रवृत्ति निरन्तर घटती जा रही है। योजना के शुरूआत में शाला त्याग की दर ४६.१ प्रतिशत थी जो अब २००१–२००२ में घटकर २९.५ प्रतिशत ही रह गयी है शाला त्याग दर घटाने हेतु डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत अब तक ६० प्रा०वि० का पुनर्निर्माण, ५०० अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, १२० हैण्डपम्प एवम् ५०० शौचालय निर्माण कार्य हो रहे हैं या हो चुके है। ८०५ ग्राम शिक्षा समितियों में से सभी ८०५ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सेवारत शिक्षकों का एक बार प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। अनुसूचित जाति के सभी बालकों एवम् अन्य वर्गों की बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें विगत ०४ वर्षो से दी जा रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा कक्षा ०१ से ०५ तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा के अन्तर्गत सामान्य वर्गों के शेष छात्रों को भी नि:शुल्क पुस्तकें विगत ३ वर्षो से दी जा रही हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों तथा मीना कैम्पेन, ग्रीष्मकालीन शिविर,ठहराव प्रक्रिया एवं माडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट अप्रोच (एमसीडीए)के अन्तर्गत किए गये कार्यक्रमों का भी ड्राप आउट दर घटाने में सकारात्मक एवम् उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।

ऊपर वर्णित प्रयासों के बावजूद अभी भी शालात्याग की दर बहुत है। उच्च प्राथमिक स्तर भी शालात्याग की प्रवृत्ति बहुत अधिक पायी गयी है। अत: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि के लिए अभी और प्रयास की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की जा रही है। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाएंगे–

१. निर्माण कार्य:–वर्तमान में आवश्यक भौतिक सुविधाओं की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है –

सारणी – 8.1
भौतिक सुविधाओं की मांग

क्र०सं०	सुविधा	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुनर्निर्माण	93	10
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	493	56
3	चहार दावारी	—	—
4	शौचालय	708	46
5	पेयजल	0	13

स्रोत– विभागीय आंकड़े/योजना प्रोजेक्शन

जनपद में कुल 93 प्राथमिक विद्यालयों एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का योजना अवधि में पुनर्निर्माण कराया जाएगा जो या तो भवनहीन हैं अथवा ध्वस्त/जर्जर स्थिति में हैं। पुनर्निर्माण का वर्षवार निम्नवत् प्रस्तावित है–

सारणी – 8.2

स्तर	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
प्राथमिक	0	0	50	43	0	93
उ० प्राथमिक	0	0	5	5	0	10

अतिरिक्त कक्षा कक्ष :– वर्तमान में जनपद के 1095 प्राथमिक विद्यालयों एवम् 167 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय 03 कक्षा कक्ष एवम् प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय 04 कक्षा कक्ष की दर से वांछित कक्षा कक्षों का विवरण को सारणी– 8.3 में निम्नवत् दिया जा रहा है–

सारणी – 8.3

क्रमांक	वर्ष	अतिरिक्त कक्षाकक्ष की मॉग	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2002–2003	00	12
2	2003–2004	00	09
3	2004–2005	200	30
4	2005–2006	200	26
5	2006–2007	93	00
	योग	493	77

स्रोत– विभागीय ऑकड़े

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

सारणी – 8.4.1

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:3 की दर से आवश्यक कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	8
1	2002-2003	1050	0	3150	2702	448
2	2003-2004	1050	45	3285	2792	493
3	2004-2005	1095	0	3285	3285	0
4	2005-2006	1095	0	3285	3285	0
5	2006-2007	1095	0	3285	3285	0

स्रोत–विभागीय ऑकड़े

सारणी – 8.4.2 (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	2	3	4	5	6
1	2001-2002	92	0	368	356	12
2	2002-2003	92	19	444	368	76
3	2003-2004	111	56	668	444	224
4	2004-2005	167	0	668	612	56
5	2005-2006	167	0	668	612	0
6	2006-2007	167	0	668	612	0

स्रोत–विभागीय ऑकड़े

अत: जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों मे कुल 493 तथा उच्च प्रा० विद्यालयों में 56 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाना है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 12 कक्षा कक्षों का निर्माण हो चुका है तथा 09 कक्षा कक्षों का निर्माण शीघ्र प्रस्तावित है।

शौचालय, हैण्डपम्प, चहारदीवारी:– जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 510 शौचालय, उच्च प्रा० विद्यालयों में 46 शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। 13 हैण्डपम्प उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित किये जाएंगे। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमश: 999 एवम् 130 चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

सारणी – 8.5
(प्राथमिक स्तर)

क्र. स.	भौतिक सुविधा	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
1	शौचालय	0	0	300	210	198	708
2	हैण्डपम्प	0	0	0	0	0	0

सारणी-8.6

उच्च प्राथमिक स्तर

क्रम	भौतिक सुविधा	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1.	शौचालय	15	14	16	16	0	61
2.	हैण्डपम्प	0	0	5	5	0	10

2. अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र (1:40 के आधार पर):-

वर्तमान परिषदीय छात्र संख्या के अनुसार तथा आगामी वर्षो मे प्रक्षेपित छात्र संख्या मे वृद्धि के आधार पर वर्षवार आवश्यक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का विवरण निम्नवत् तालिका मे दिया गया है-

सारणी 8.7.1

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चें	वर्तमान शिक्षक सृजित पद		योग 3+4	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक 6-5
1.	2003-04	228102	3375	1130	4505	5703	1198
2.	2004-05	232602	3974	1729	5703	5815	112
3.	2005-06	237105	4030	1785	5815	5928	113
4.	2006-07	241350	4086	1842	5928	6034	106

सारणी 8.7.2

क्रमांक	वर्ष	कूल आवश्यकता	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
1.	2003-04	1198	599	—
2.	2004-05	112	56	655
3.	2005-06	113	56	57
4.	2006-07	106	53	53

स्रोत विभागीय आंकडे

उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे शिक्षको की वर्तमान स्थिति एवम् आगामी वर्षो मे शिक्षको की आवश्यकता

सारणी-8.7

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1.	2002-03	92	19	555	406	149
2.	2003-04	111	56	835	396	439
3.	2004-05	167	0	835	835	0
4.	2005-06	167	0	835	835	0
5.	2006-07	167	0	835	835	0

स्रोत विभागीय आंकडे

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के दौरान प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुल 1330 एवम् 1330 शिक्षामित्रों की आवश्यकता होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुल आवश्यक शिक्षकों की संख्या 439 होगी। उक्त् शिक्षकों की नियुक्ति के उपरान्त परिरषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 40 दात्र पर 01 अध्यापक एवम् प्रत उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 05 अध्यापक की व्यवस्था संभावित है।

3. विद्यालयीय सुविधाएं (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)

(क) रखरखाव अनुदान :– जनपद के 1095 प्राथमिक एवम् 167 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रू0 5000/– प्रतिवर्ष विद्यालय भवन के रखरखाव/मरम्मत/साज सज्जा के मद में किया जायेगा जिसका व्यय विद्यालय भवन की मरम्मत अथवा साजसज्जा की सामग्री क्रय हेतु किया जायेगा।

(ख) विद्यालय विकास अनुदान :– प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एवम् सहायता प्राप्त विद्यालयों को रू0 2000/– की धनराशि विद्यालय विकास अनुदान के मद में प्रति वर्ष दी जाएगी जिसका व्यय विद्यालय की रंगाई पुताई, खेलकूद का सामान, चाक, टाट पट्टी आदि के क्रय हेतु किया जाएगा। यह सुविधा नवीन खुलने वाले प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी आगामी वर्षो में दी जाएगी।

सारणी – 8.8

विद्यालय स्तर	2002–2003			2003–2004			2004–2005			2005–2006			2006–2007		
	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग
प्राथमिक	00	00	00	00	16	18	1095	00	1095	1095	00	1095	1095	00	1095
उच्च प्राथमिक	92	00	92	111	100	211	167	75	242	167	75	242	167	75	242

(ग) शिक्षक अनुदान (टी0एल0एम0) :– इसके अन्तर्गत जनपद के सभी परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को रू0 500/– प्रति वर्ष शिक्षण अधिगम साम्रगी निर्माण हेतु दिया जायेगा। प्रति वर्ष दिये जाने वाले अनुदान का विवरण निम्नवत् सारणी में दिया गया है।

सारणी – 8.9

विद्यालय स्तर	2002–2003			2003–2004			2004–2005			2005–2006			2006–2007		
	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग
प्राथमिक शिक्षक	00	00	00	158	00	158	4550	00	4550	5879	00	5879	6034	0	6034
उच्च प्राथमिक शिक्षक	528	00	528	1260	225	1485	585	225	810	835	225	1060	835	225	1060

४. बालिका शिक्षा:– 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमश: 75.85 तथा 54.16 प्रतिशत रही है जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर ७०.२३ एवं महिलाओं की ४२.९८ प्रतिशत पायी गयी है। जनपद अम्बेडकरनगर में कुल साक्षरता का प्रतिशत ५९.०६ प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता ७१.९३ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता मात्र ४५.९८ प्रतिशत है। १९९१ की जनगणना की तुलना में जबकि जनपद में महिला साक्षरता की स्थिति बहुत दयनीय अर्थात् २३.३ प्रतिशत थी। अभी भी महिला साक्षरता की स्थिति में बहुत सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में महिलाओं की साक्षरता तथा शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है और तब से अब तक बहुत से कार्यक्रम बालिका शिक्षा संवर्धन हेतु प्रारम्भ किए गये हैं। प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।।' के अन्तर्गत जनपद में बालिका शिक्षा सुधार हेतु अनेकानेक गतिविधियों/कार्यक्रम संचालित किए गए हैं अथवा संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का ई.सी.सी.ई. केन्द्रो के रूप में चयन कर विद्यालय परिसर एवं विद्यालय समय में संचालन, माडल क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच (एम.सी.डी.ए.), ग्रीष्म कालीन शिविर, मीना कैम्पेन तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण शामिल है। स्कूल चलो अभियान भी विगत दो वर्षों से चलाया जा रहा है। जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इन सभी कार्यक्रमों से बालिका शिक्षा की दिशा में नि: सन्देह प्रगति हुई है, किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

बालिका शिक्षा की समस्याएं :– बालिकाओं के कम नामांकन एवं कम ठहराव का मुख्य कारण उनका पारिवारिक, सामाजिक परिवेश है। समाज में प्रचलित अंध विश्वास, धारणाएं, असुरक्षा की भावना तथा आर्थिक, सामाजिक परिवेश के कारण बालिकाएं विद्यालयों में नहीं पहुँच पाती हैं। स्कूल का वातावरण एवं शिक्षक का व्यवहार भी बालिकाओं को विद्यालय न आने हेतु उत्तरदायी कारण है महिलाओं के विभिन्न समूहों से वार्ता से जो तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार

बालिका शिक्षा के निम्मलिखित अवरोधक तत्व हैं–

१. विद्यालयों, विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का बहुत दूर होना।

२. बालिकाओं की सुरक्षा की चिन्ता।

३. विद्यालय में भौतिक सुविधाओं जैसे शौचालय,पेयजल,चहारदीवारी का अभाव।

४. मुस्लिमों में मजहबी शिक्षा पर जोर।

५. अध्यापकों का विद्यालय कम या देर से आना तथा बालिकाओं के प्रति आत्मीय व्यवहार का अभाव।

६. अनुसूचित जातियों एवं मुस्लिमों में आर्थिक कारण।

७. मुस्लिमों में महिला शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव एवं पर्दा प्रथा।

८. ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव की स्थिति।

९. हिन्दुओ दहेज प्रथा के कारण बालिका शिक्षा पर जोर नहीं। मान्यता यह कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के योग्य वर हेतु अधिक दहेज देना पड़ेगा।

१०.महिलाओं में जागरूकता का अभाव, धार्मिक एवं अंध विश्वासी मान्यताएं।

११.बालिकाओं का कम उम्र में विवाह।

१२.बालिकाओं का घर के काम–काज में माँ का सहयोग करना, छोटे भाई–बहनों की देखरेख आदि।

१३. पाठ्यक्रम का व्यवहारिक एवं परम्परागत व्यवसायों से जुड़ा न होना तथा बालिका शिक्षा के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न करना।

१४.कटाई, मड़ाई, शादी, त्योहार एवं मेलों आदि के कारण भी विद्यालय नही आती हैं।

रणनीति:–

१. जागरूकता अभियान/गतिविधियों के माध्यम से बालिका शिक्षा के अनुकूल वातावरण का सृजन।

२. जेन्डर संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से लैंगिक भेदभाव दूर करना।

३. बालिका शिक्षा के महत्व पर आधारित सामग्री का विकास।

४. अधिकाधिक शिशु शिक्षा केन्द्र (ई.सी.सी.ई.) की स्थापना।

५. शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।

६. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, विद्या केन्द्रों/नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

७. ग्रीष्मकालीन शिविर/ब्रिज कोर्स का आयोजन।

८. मेला कैम्पेन आयोजित बालिका शिक्षा की जरूरत का प्रचार–प्रसार।

९. बाल मेलों, माँ–बेटी मेलों, कला जत्थों के द्वारा बालिका शिक्षा हेतु वातावरण सृजन।
१०.ठहराव परिक्रमा का प्रत्येक ग्राम सभा में आयोजन तथा तारांकन कार्य।
११.कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा पर बल।
१२. माता शिक्षक संघ, किशोरी समूह, महिला प्रेरक समूह का गठन कर सहयोग प्राप्त करना।
१३.ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक बनाना।
१४.समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज प्रथा, बाल विवाह के विरूद्ध लोगों को जागरूक करना।

कार्यक्रम–सामुदायिक गतिशीलता हेतु:–

शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि हम अपने अभियान में समुदाय को शामिल कर उनके अन्दर जिम्मेदारी का अहसास करायें। सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिशीलता सम्बन्धी बहुत से कार्यक्रम संचालित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता हेतु निम्न कार्यक्रम किये जाएंगे–

१. जनजागरण अभियान :– बालिका शिक्षा में पिछड़े ब्लाकों एवं न्याय पंचायतों में जुलाई से सितम्बर तक प्रतिवर्ष एक बार जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियों, रैलियॉ, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, जन सम्पर्क अभियान तथा महिला समूहों की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

२. लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम:– जनपद की सभी ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। समस्त सेवारत अध्यापकों को भी संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

३. मीना कैम्पेन :– जनपद की प्रत्येक ग्राम सभा में यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा तथा उसके बाद फिल्म की विषय वस्तु पर जन समुदाय से परिचर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम से बालिका शिक्षा के प्रति जन समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाएगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता :– वर्तमान में जनपद के कुल ०७ विकासखण्डों में समेकित बाल

विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र ०३ से ०६ वय वर्ग के बच्चों हेतु संचालित है तथा ०५ विकासखण्डों क्रमश: टाण्डा, बसखारी, रामनगर, जहॉगीरगंज तथा जलालपुर में ३०० आंगनबाड़ी केन्द्रों में ई.सी.सी.ई. केन्द्र के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है। यह सभी ३०० केन्द्र विद्यालय परिसर में विद्यालय समय के अनुसार संचालित हैं। ईसीसीई केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

१. वे बच्चियॉ जो छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाती हैं उन्हें विद्यालयों तक लाना।
२. ३–६ वयवर्ग बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियॉ उपलब्ध कराना
३. उचित पोषण, आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की देखदेख हेतु माताओं को तैयार करना।

सारणी – 8.10

विकासखण्ड वार आंगनबाड़ी/ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थिति

क्र० सं०	विकासखण्ड	आईसीडीएस केन्द्र	डीपीईपी अन्तर्गत चयनित ईसीसीई केन्द्र	0–6 की जनसंख्या (2001)		
				बालक	बालिका	योग
1	अकबरपुर	–	–	५९९४४	५६५७०	११६५१४
2	कटेहरी	७५	४१			
3	भीटी	–	–			
4	भियॉव	६४	–	४१७४३	३९२५५	८०९९८
5	जलालपुर	१२४	८४			
6	बसखारी	१२०	४८	३९४८३	३७२९२	७६७७५
7	टाण्डा	१७२	१०५			
8	रामनगर	३९	२२	३७७२०	३५५२९	७३२४९
9	जहॉगीरगंज	–	–			
10	नगर क्षेत्र टाण्डा	–	–	१५५४१	१४६१४	३०१५५
	कुल योग	५९४	३००	१९४४३१	१८३२६०	३७७६९१

स्रोत – विभागीय आंकड़े/जनसंख्या आंकड़े

सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के सभी ब्लाकों में ऑगनवाड़ी केन्द्रों (शिशु शिक्षा केन्द्रों) की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। अत: कुछ और ऑगनवाड़ी

केन्द्रों को आई सी डी एस के साथ समन्वयन कर शिशु शिक्षा केन्द्र के रूप में सुदृढ़ किया जायेगा जिनका विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 8.11

क्रमांक	वर्ष	चयनित शिशु शिक्षा केन्द्र		
		ICDS	NONICDS	कुल
1	2002–2003	00	00	00
2	2003–2004	00	00	00
3	2004–2005	100	00	100
4	2005–2006	400	00	400
5	2006–2007	400	00	400

इस प्रकार जनपद में कुल ४०० शिशु शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जाएंगे। प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों को खिलौने/सामग्री तथा आकस्मिक मद में व्यय हेतु धनराशि प्रतिवर्ष दिया जायेगा। ऑगनबाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिका को अतिरिक्त कार्य हेतु कुछ मानदेय की व्यवस्था की जायेगी।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता:– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के उन विकासखण्डों में जहॉ आईसीडीएस के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है, वहॉ स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से शिशु शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के चयन, कार्यकत्रियों के चयन, प्रशिक्षण एवं केन्द्रों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाएगी। स्वैच्छिक संगठनों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वैच्छिक /स्वयंसेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा करके संस्तुत किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों के चयन का निर्णय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता वाली जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जाएगा।

माडल क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच :– डीपीईपी के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में जनपद की पॉच तथा द्वितीय वर्ष में दस न्याय पंचायतों का चयन आदर्श स्कूल विकास

योजना के अन्तर्गत किया गया है तथा उनमें विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। आदर्श स्कूल विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक बाहुल्य उन न्याय पंचायतों का चयन किया जाता है जहाँ महिला साक्षरता एवं शिक्षा की दर न्यून होती है। न्याय पंचायतों के चयन के प्रमुख मानदण्ड निम्नवत् हैं–

१. क्लस्टर में न्यून महिला साक्षरता।

२. न्यून बालिका नामांकन दर तथा अधिक ड्राप आउट की दर।

३. सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियाँ।

४. स्वैच्छिक संगठनों की उपस्थिति।

५. अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग की बहुलता।

६. अधिकतम १०–१२ ग्राम पंचायतें।

इस प्रकार चयनित ग्राम पंचायतों की सभी ग्राम सभाओं में शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ–साथ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे कि बालिका शिक्षा के प्रति जन समुदाय में जागरूकता। इन कार्यक्रमों में मीना कैम्पेन, ग्राम शिक्षा समिति का अभिप्रेरण, लिंग संवेदीकरण कार्यशाला, ठहराव परिक्रमा, माँ बेटी मेला, बाल मेला आदि शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीष्म कालीन शिविर, ब्रिज कोर्स, किशोरी संघ का गठन, महिला प्रेरक दल का गठन भी किया जाएगा।

माडल क्लस्टर के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा के लिए न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर पर एन०पी०आर०सी० समन्वयक, ब्लाक स्तर पर बीआरसी समन्वयक कोर कमेटी के संयोजक होंगे। इसी प्रकार जनपद स्तर पर कोर कमेटी में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा एवं सामु० सहभागिता) तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक होंगे। 112 न्याय पंचायतों में प्रति वर्ष 15 को एमसीडीए के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है।

ग्रीष्म कालीन शिविर:— ९+ आयु वर्ग के बच्चों, विशेषकर अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु जो शालात्याग कर चुकी हैं, के लिए १० दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्रीष्म कालीन शिविर में कम से कम ३० तथा अधिक से अधिक ४० बालिकाओं अथवा बालकों (ड्राप आउट) का होना आवश्यक है। इस १० दिवसीय शिविर के माध्यम से शाला त्यागी बच्चों को वापस विद्यालय में पुन: नामांकित कराया जाता है। जनपद में कुल १२० शिविर आयोजन का लक्ष्य रखा गया है।

बेटी हो स्कूल में/कला जत्था अभियान :— समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रमों के प्रति जन साधारण को आकर्षित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाएं बीच में स्कूल न छोड़ दें यह सुनिश्चित करने के लिए **बेटी हो स्कूल में—** कला जत्था अभियान चलाया जाएगा। ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर कला जत्था का गठन किया जाएगा। जिसमें स्थानीय लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा।

एम.टी.ए./पी.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण :— प्रत्येक विद्यालय में ग़ठन कर इस संगठन को सक्रिय किया जाएगा। जिससे बालिका शिक्षा नामांकन एवम् ठहराव के लक्ष्य को जन सहभागिता से प्राप्त किया जा सकेगा।

कोहार्ट स्टडी:— अधिकतम शाला त्याग की दर वाले विद्यालयों में पिछले ०५ वर्षों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जिन्होंने पिछले पॉच साल में विद्यालय छोड़ा है,ऐसे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुन: विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जाएगा।

ब्रिज कोर्स:— जनपद में ड्राप आउट बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स ९+ आयु वर्ग के बच्चों को विशेष कर बालिकाओं हेतु जिनमें वंचित वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के बच्चे शामिल हैं, के लिए न्यूनतम तीन माह तथा अधिकतम ०९ माह का चलाया जाएगा। इसमें शामिल बच्चों को ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर कक्षा ०५ अथवा कक्षा ०८ उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र देकर उनका नामांकन किसी विद्यालय की अगली कक्षा में कराया जाएगा। जनपद में कुल १२ ब्रिज कोर्स चलाने का प्रस्ताव है।

महिला समूहों का गठन:— ग्राम पंचायतों की जागरूक महिलाओं का एक समूह प्रत्येक उस ग्राम पंचायत में गठित किया जाएगा, जहॉ बच्चों विशेष कर बालिकाओं का नामांकन बहुत कम है। महिलाओं का यह समूह महिला प्रेरक दल के रूप में कार्य करेगा तथा बालिका शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रेरित करेंगा। जनपद में ३०० महिला प्रेरक दल का गठन करने का लक्ष्य है।

ठहराव परिक्रमा एवं तारांकन :— बच्चों की विद्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम अथवा प्रथम दिन प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ठहराव परिक्रमा निकाली जाएगी। जिसमें स्कूली बच्चे,अध्यापक अभिभावक एवं ग्राम प्रधान शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय में कम उपस्थित रहते हैं। उनके घर के पास थोड़ी देर रुककर प्रोत्साहन के नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

इसी प्रकार बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों को सचेत करने के लिए हरा, पीला एवं लाल रंग का तारा चिन्ह प्रत्येक माह के अन्त में उनकी उपस्थिति के आधार पर निम्नवत् दिया जाएगा।

माह में १५—३० दिन की उपस्थिति पर— हरा निशान
माह में ०७—१४ दिन की उपस्थिति पर— पीला निशान
माह में ००—०६ दिन की उपस्थिति पर— लाल निशान

सत्रान्त एवं सत्र के मध्य में अभिभावक सम्मेलन :— प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में एवं मध्य में एक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कियाा जाएगा, जिनमें छात्रों प्रगति एवं बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर चर्चा की जाएगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :— शिक्षा को जीवन कौशलों एवं व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कार्यानुभव सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत विद्या लयों में एक अंशकालिक महिला कार्यकर्ता को रखा जाएगा जो प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए बालिकाओं को सिलाई, बुनाई, खिलौने बनाना,कढ़ाई, रंगाई के साथ साथ स्थानीय आवश्यकता आधारित टोकरियॉ, कागज के सामान, मोमबत्ती मिट्टी

के खिलौने आदि भी बनाने की कला सिखाई जाएगी। प्रत्येक उच्च प्रा० विद्यालय में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादन (एसयूपीडब्लू) कार्य सम्बन्धी शिक्षा देने का प्रस्ताव है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत २०१० तक सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस चरणबद्ध ढंग से लागू कराया जाएगा।

सारणी – 8.12

कार्यक्रम	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
माडल क्लस्टर विकास योजना	15	15	15	15	15	75
समर कैम्प	40	40	40	40	40	200
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	00	17	50	50	50	167

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण:–

वर्तमान में डी०पी०ई०पी०–।।। के अन्तर्गतजनपद में सभी वर्गों की बालिकाओं एवं अनुसूचित वर्ग के बालकों को कक्षा 01से 05 तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्त कें दी जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान केअन्तर्गत परिषदीय/शासकीय एवम् स हायता प्राप्त समस्त उच्च प्रा० विद्यालयों केअनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें देनाप्रस्तावित किया जा रहा है। डी०पी०ई ०पी० की समाप्ति के बाद (2005 के बाद) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनो को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी। इस के लिये रू०150/– प्रति छात्र की दर से बजटीय प्राविधान किया जा रहा है। प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पात्र छात्रों का वर्गवार विवरण निम्नवत् है–

सारणी – 8.13

कुल बालिका तथा अनुसूचित जाति बालक हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण–

विद्यालय स्तर	2002–2003			2003–2004			2004–2005			2005–2006			2006–2007		
	अनु0बालक + बालिका			अनु0बालक + बालिका			अनु0बालक + बालिका			अनु0बालक + बालिका			अनु0बालक + बालिका		
	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग	परि0	सह0	योग
प्राथमिक स्तर	9519	00	9519	00	9519	9519	00	9519	9519	167000	9519	176519	172000	9590	181590
उच्च प्राथमिक स्तर	19664	00	19664	34695	00	34695	36695	6570	43265	39125	6870	45995	43100	6895	49995

वर्ष 2003–04 से परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के साथ–साथ सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तके दी जायेंगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा की शुरूआत किये जाने से सार्थक परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में सहायता प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर शिक्षको को छात्रों के सम्मुख विषय सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सुविधा होती है। साथ ही शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर प्राप्त होते है। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवम् रोचक बनाने के लिये परियोजना नजपद में कुछ चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10–10 विद्यालयों को चयनित कर कम्प्यूटर शिक्षा देने का लक्ष्य है। सम्पूर्ण परियोजना वअधि में जनपद के कुल 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60000 रू0 व्यय किये जायेगें जिसका विवरण निम्नवत् सारणी में दिया गया है–

सारणी – 8.14

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	योग
उ0प्रा0वि0 की संख्या	10	10	10	10	10	50

6–विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षा

भारतवर्ष की लगभग 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक जनसंख्या किसी न

किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। विकलांगता के कारण कोई भी बच्चा अथवा व्यक्ति अपने आप को परिवार व समाज से अलग समझता है, क्योंकि विकलांग बच्चे को परिवार व समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जहाँ एक ओर 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर रही है वहीं इन बच्चों में एक ऐसा भी वर्ग है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिक्षा से वंचित है शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तबतक नहीं प्राप्त किया जा सकता जबतक कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को भी विद्यालय से न जोड़ा जाय। बच्चे की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। कुछ बच्चे अपनी शारीरिक अक्षमता के उपरान्त भी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन बच्चों को समेकित शिक्षा के माध्यम से अधिक से अधिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार:—मुख्य रूप से विकलांगता ५ प्रकार की होती है।

१. दृष्टि विकलांगता
   क— अल्प दृष्टिहीन
   ख— पूर्ण दृष्टिहीन
२. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
३. अस्थि विकलांगता
४. मानसिक मंदता
५. अधिगम अक्षमता/सीखने सम्बन्धी अक्षमता

विकलांगता/अक्षमता के कारण:— विकलांगता के प्रकार के आधार पर विकलांगता को ३ भागों में बाँटा जा सकता है।

१. जन्म से पहले के कारण
२. जन्म के समय के कारण
३. जन्म के बाद के कारण

विकलांगता/अक्षमता के परिणाम:—

१. स्वयं विकलांग व्यक्ति में —

क— आत्म निर्भरता में कमी

ख— अनुस्थिति ज्ञान एव चलिषुणता में कमी

ग— समाज में उपेक्षित

२. परिवार में

क— अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

ख— अधिक आर्थिक बोझ

३. समाज में

क— समाज का दृष्टि कोण विकलांगों के लिए निगेटिव होना

ख— उत्पादन में कमी

ग— समाज के एकीकरण में कमी

संवेदीकरण:— अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न का संवेदीकरण आवश्यक है

१. समुदाय का संवेदीकरण

२. परिवार के सदस्यों का संवेदीकरण

३. अध्यापकों का संवेदीकरण

जनपद अम्बेडकरनगर में समेकित शिक्षा कार्यक्रम

समेकित शिक्षा का अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है इसके लिए सामान्य विद्यालयी परिवेश को विकलांग बच्चों के अनुरूप बनाते हुए शिक्षकों को विशेष शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाता है। जिससे विशेष उपकरणों की सहायता से विकलांग बच्चों का भी शिक्षण कार्य सामान्य विद्यालय में किया जा सके।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अम्बेडकरनगर के 04 विकासखण्डों कटेहरी, टाण्डा, अकबरपुर एवम् जलालपुर का चयन समेकित शिक्षा के लिए डीपीईपी द्वारा चुना गया है। शेष 05 विकासखण्डों में समेकित शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जाना है। चयनित विकासखण्डों में 1—14 वयवर्ग के विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण विद्यालय के सामान्य अध्यापकों द्वारा कराया गया है। सर्वेक्षणोपरान्त 825 बच्चों को विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। चिन्हित 825 विकलांग बच्चों में 509

बालक तथा 223 बालिकाएं हैं। जनपद अम्बेडकरनगर के सभी 09 विकासखण्डों में अभी तक 1–14 वय वर्ग में 3006 बच्चे विभिन्न विकलांगता की श्रेणी में चिन्हित किये गये हैं। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

सारणी – 8.15
विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या वर्ष 2003–04

विकलांगता का का प्रकार	विद्यालय में										विद्यालय से बाहर										कुल योग		
	0–3		3–5		5–14		14–18		कुल बालक		0–3		3–5		5–14		14–18		कुल बालक				
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
1. शारीरिक विकलांगता			4	5	861	517	151	114	1016	636	30	27	66	48	129	77	87	56	312	208	1328	844	2172
2. मानसिक विकलांगता					270	166	32	36	302	192	7	8	17	20	43	38	20	17	87	83	389	275	664
3. दृष्टि विकलांगता					259	174	40	29	299	203	18	21	29	25	37	40	15	14	99	100	398	302	701
4. श्रवण विकलांगता					262	227	32	42	294	269	27	25	30	25	38	30	21	20	116	100	410	369	779
5. सीखने की अक्षमता					201	141	19	16	220	157	9	6	14	11	24	21	18	28	65	66	285	223	508
योग			4	5	1853	1225	274	237	2131	1457	91	87	156	129	271	206	161	135	679	557	2810	2014	4824

सारणी – 8.16

प्राथमिक विद्यालयों में इन्टग्रेट किये गये विकलांग बच्चों का विवरण

वर्ष 2003–04

क्र. सं.	विकासखण्ड	आच्छादित स्कूलों की सं	कक्षा 01		कक्षा 02		कक्षा 03		कक्षा 04		कक्षा 05	
			बालक	बलिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालि
1	अकबरपुर	159	58	43	38	28	31	39	30	28	31	3
2	कटेहरी	102	30	47	35	31	26	27	13	16	9	1
3	भीटी	94	17	16	33	13	43	18	32	20	31	1
4	भियांव	103	27	20	39	35	48	40	37	32	35	2
5	जलालपुर	139	179	123	86	43	66	57	72	42	76	5
6	बसखारी	96	25	11	36	22	27	16	27	12	14	1
7	टाण्डा	127	24	48	37	30	33	14	29	15	43	2
8	रामनगर	107	31	11	31	10	19	12	19	13	7	
9	जहॉगीरगंज	106	24	19	23	9	23	13	3	2	5	1
	योग		435	338	358	221	316	236	262	180	251	1

सारणी – 8.17

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग बच्चों का विवरण विकलांगतावार एवम् कक्षावार

क–प्राथमिक विद्यालय (2003–04)

विकलांगता का प्रकार	कक्षा 01		कक्षा 02		कक्षा 03		कक्षा 04		कक्षा 05		कुल संख्या	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालि
अस्थि विकलांग	172	115	171	103	167	107	141	83	125	86	776	494
मानसिक विकलांग	62	41	55	35	40	31	52	30	36	21	245	158
दृष्टि विकलांग	58	48	48	26	47	32	36	27	42	28	231	161
श्रवण विकलांग	67	73	94	35	50	32	36	32	34	29	236	201
अधिगम विकलांग	48	39	38	20	36	31	28	20	27	20	177	129
योग	407	316	361	219	340	233	293	192	264	184	1665	1143

ख–उच्च प्राथमिक विद्यालय (2003–04)

विकलांगता का प्रकार	कक्षा 06		कक्षा 07		कक्षा 08		कुल संख्या	
	बालक	बालिका	बलक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
अस्थि विकलांग	97	61	74	48	69	33	240	142
मानसिक विकलांग	25	18	20	13	13	05	57	35
दृष्टि विकलांग	31	20	22	13	16	13	69	46
श्रवण विकलांग	26	31	16	21	16	16	58	68
अधिगम विकलांग	21	12	12	09	10	07	43	28
योग	200	142	144	104	123	74	464	319

जनपद अम्बेडकरनगर में समेकित शिक्षा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

समेकित शिक्षा को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं कुशल शिक्षकों का सुझाव मांगा गया है। इसके लिए जगह–२ पर बैठकें की गयीं, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दियागया। जिससे विकलांगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। जो निम्नवत् है–

१. सर्वेक्षण:– जनपद के समस्त गावों का सघन सर्वेक्षण किया जाय। इसके लिए समस्त अध्यापकों, ग्राम शिक्षा समितियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं स्वयं सेवी संगठनों का भरपूर सहयोग लिया जाएगा।

२. नामांकन:– सर्वेक्षणोपरान्त सभी ६ से १४ वय वर्ग के विकलांग बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। जिन गावों में विद्यालय न उपलब्ध हों वहॉ के विकलांग बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, मकतब एवम् मदरसों में प्रवेश कराया जाएगा। गंभीर अस्थि विकलांग बच्चे जिन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है। उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों से जोड़ा जाएगा।

३. मेडिकल असेसमेन्ट कैम्प:– चिन्हित सभी विकलांग बच्चों का मेडिकल 'असेसमेन्ट मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित विकलांग बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। जिससे विकलांग बच्चों को प्रमाणपत्र बनाकर उनके लिए उपकरण का निर्धारण किया जा सकेगा। मेडिकल असेसमेन्ट कैम्प में एक आर्थोपेडिक सर्जन, आई सर्जन, इएनटी सर्जन एवम् आडियोमीटर सहित आडियोलाजिस्ट अवश्य उपलब्ध होंगे। कैम्प का आयोजन 02 न्याय पंचायतों को मिलाकर किया जाएगा।

जनपद अम्बेडकरनगर जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के लिए चयनित चार विकासखण्डों में 12 मेडिकल असेसमेन्ट कैम्प वर्ष 2002–03 में सम्पन्न कराये गये हैं। शेष पॉच विकासखण्डों में सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा 05 मेडिकल असेसमेंट कैम्प पूर्ण करा लिया गया है जिसमें 525 विकलांग बच्चों का असेसमेन्ट किया गया और विकलांग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। वर्ष 2003–04 में समस्त विकासखण्डों में मेडिकल असेसमेंट कैम्प सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा आयोजित किया जाना है।

४. प्रशिक्षण :– जनपद में स्थित सभी शैक्षिक स्तरों पर शिक्षकों को विकलांगता से सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

क– मास्टर ट्रेनर का 18 दिवसीय प्रशिक्षण

प्रत्येक विकासखण्ड से चार–चार मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है। जिन्हें विभिन्न विकलांगताओं के बारे में विस्तृत जानकारी विकलांगता विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी । साथ ही उन्हें विकलांग बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन एवम् शिक्षण सामग्री, शिक्षण का ज्ञान कराया जाय। जनपद अम्बेडकरनगर में अभी तक विकासखण्ड कटेहरी, टाण्डा, जलालपुर, अकबरपुर से मात्र मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। शेष 05 विकासखण्डों से 10 मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिनांक 18/09/2003 से जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान सुलतानपुर में प्रस्तावित है। इस प्रकार से मात्र 10 मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण अवशेष है।

अनुमानित बजट

विकासखण्डों की संख्या	मास्टर ट्रेनर प्रति विकासखण्ड	लागत अनुमानित प्रति मास्टर ट्रेनर	कुल लागत
05	02	रु० 2575/- प्रति मास्टर ट्रेनर	2575X10=25750

ख– फाउन्डेशन कोर्स :–

प्रत्येक विकासखण्ड से अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्था के लोगों एवं अध्यापकों का 45 दिवसीय फाउन्डेशन कोर्स कराया जाएगा। यह फाउन्डेशन कोर्स आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कराया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त इन प्रतिभागियों का आर०सी०आई० में अस्थाई रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर विशेष अध्यापक का कार्य लिया जा सके। इन अस्थाई रूप से आरसीआई में रजिस्टर्ड विशेष अध्यापकोंको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्राचार विधि से एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लेना होगा। अभी तक डीपीईपी द्वारा 04 विकासखण्डों से 08 अध्यापकों को फाउन्डेशन कोर्स कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा शेष 05 विकासखण्डों में 10 अध्यापकों को फाउन्डेशन कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है।

अनुमानित बजट

विकासखण्डों की संख्या	प्रतिभागी प्रति विकासखण्ड	कुल प्रतिभागी	लागत प्रति प्रतिभागी	कुल लागत
05	02	10	रू0 7260/–	7260 X 10 = 72600

ग– प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को समेकित शिक्षा का 05 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। जनपद में अभी तक डीपीईपी द्वारा विकासखण्ड

कटेहरी एवम् टाण्डा में 618 अध्यापकों को समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। विकासखण्ड अकबरपुर एवम् जलालपुर में 05 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। शेष 05 विकासखण्डों के प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

अनुमानित लागत

प्रशिक्षण हेतु अवशेष अध्यापकों की संख्या	37 अध्यापकों की दर से फेरों की सं०।	प्रति फेरा अनुमानित लागत	कुल अनुमानित लागत
1702	46	रू0 15700/–	15700 X 46 = 722200

घ– शिक्षामित्र/आचार्य/अनुदेशक का प्रशिक्षण

सामान्य विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों की तरह से शिक्षा मित्रों एवंवैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत आचार्य एवं अनुदेशकों को भी 05 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जिससे विद्या केन्द्रों एवं मकतब मदरसों में भी विकलांग बच्चों का दाखिला दिलाया जा सके। जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं हैं या घर से दूर हैं ऐसी स्थिति में गम्भीर अस्थि विकलांग छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा केन्दों से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समय में अम्बेडकरनगर में 290 शिक्षा मित्र, 85 आचार्य, एवम् 85 अनुदेशक कार्यरत हैं।

च– ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण

अधिकांशत: देखा गया है कि बच्चों में विकलांगता जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के पश्चात शुरूआती 06 वर्षों तक ज्यादा आती है ऐसी स्थिति में ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियॉ अपना विशेष योगदान दे सकती हैं। जिससे बच्चों को प्रारम्भिक स्तर पर ही विकलांगता से बचाया जा सकता है और बच्चों की उचित देख–रेख की जा सकती है।

जनपद अम्बेडकरनगर में कुल 791 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अभी तक लगभग 5 केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों के ऑगन बाड़ी कार्यकत्रियों को 5–7 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा।

५. सामाजिक उत्प्रेरक प्रशिक्षण शिविर:– जनपद स्तर पर एक सामाजिक उत्प्रेरक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जन–सामान्य का दृष्टिकोण विकलांग बच्चों के लिए हमेशा निगेटिव होता है। विकलांग व्यक्ति यदि कुछ करना भी चाहता है तो उसे सहयोग देने के बजाय उसे मना कर दिया जाता है कि तुमसे

यह कार्य नहीं हो सकता। समाज के इसी दृष्टिकोणको बदलने के लिए सामाजिक उत्प्रेरक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आवश्यक है।

इस शिविर में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों एवंअवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्रतिभाग हेतु बुलाया जा सकता है। यह शिविर विकासखण्ड स्तर पर, जो कि सात दिवसीय होगा, आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में २५—३०_प्रति भागी होंगे। प्रशिक्षण हेतु विकलांग विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया जायेगा।

सामाजिक उत्प्रेरक प्रशिक्षण शिविर हेतु अनुमानित बजट

वर्ष (२००२—२००३) विशेषज्ञों सहित प्रतिभागियों की संख्या ३०(२७+३)

अवधि — ७ दिन

क्र० सं०	मद	दरXप्रतिभागीXदिन	धनराशि
१.	३० प्रतिभागियों के भोजन आदि पर व्यय (दो समय का भोजन एवं चाय नाश्ता)	१२०X३०X ७	रु० २५,२००/—
२.	प्रतिभागियों/विशेषज्ञों का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता	१८५X३०	रु० ५५५०/—
३.	प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रतिभागियों को दी जाने वाली स्टेशनरी	१००X३०	रु० ३०००/—
४.	विशेषज्ञों का मानदेय	१००X३X७	रु० २१००/—
५.	बिस्तर, कुर्सी—मेज, मकान किराया आदि	२०००X७	रु० १४०००/—
६.	आकस्मिक व्यय सफाई दैनिक कर्मचारी, विद्युत व्यवस्था एवं विकलांगों के लिए विशेष संस्थाओं की भ्रमण यात्रा इत्यादि		रु० १०,०००/—
		कुल योग	रु० ५९,८५०/--

६. विकासखण्ड स्तर पर इन्टीग्रेटेड कैम्प:— प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर प्रतिवर्ष एक इन्टीग्रेटेड कैम्प का आयोजन किया जायेगा। कैम्प में ४० विकलांग छात्र/छात्राएं तथा ४० सामान्य छात्र/छात्राएं कुल ८० छात्र/छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। कैम्प ०७ दिवसीय होगा जिसका संचालन विकलांगता विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। जनपद में विकलांगता विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की दशा में अन्य जनपदों से भी विशेषज्ञ बुलाये जा सकेंगे।

कैम्प में प्रत्येक दिन के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक समय सारणी तैयार की जायेगी। जिसमें छात्रों के सभी पक्षों के विकास के लिए क्रिया कलाप रखे जाएंगे। कैम्प में शिक्षण प्रशिक्षण के अतिरिक्त मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। कैम्प में कुशल छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

यह कैम्प पूर्ण रूप से आवासीय होगा। इसके लिए विकासखण्ड स्तर पर किसी विद्यालय या धर्मशाला आदि अधिक उपयुक्त होगा। कैम्प में प्रत्येक बच्चों एवं प्रशिक्षकों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन एवं आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कैम्प में कक्षा ०३ से ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभाग हेतु बुलाया जाएगा। कैम्प में समय–समय पर स्वयं सेवी संस्थाओं के विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

इस प्रकार के कैम्प से विकलांग बच्चों एवम् सामान्य बच्चों को एक साथ रह कर शिक्षण प्रशिक्षण एवं दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों का अनुसरण करके काफी कुछ सीख जाते हैं। सामान्य बच्चों में इन बच्चों के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग की भावना भी विकसित होती है। प्रशिक्षकों द्वारा इन बच्चों को दैनिक क्रियाकलाप, अनुस्थिति चलिष्णुता का भी अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार से देखा जाय तो यह कैम्प सामान्य बच्चों एवं विकलांग बच्चों को इन्टीग्रेट करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है।

एक इन्टीग्रेटेड कैम्प हेतु अनुमानित बजट

अवधि – ७ दिन विशेषज्ञों सहित प्रतिभागियों की संख्या–८८(८+८०)

क०सं०	मद	दरXप्रतिभागीXदिन	धनराशि
१.	भोजन, चाय एवं नाश्ता पर व्यय	८०X८८X७	रु० ४९२८०/–
२.	प्रशिक्षकों एवं बच्चों के आने जाने पर व्यय	८०X८८	रु० ७०४०/–
३.	प्रशिक्षण सामग्री (विशेष शिक्षण साम्रगी)	१००X८०	रु० ८०००/–
४.	प्रशिक्षकों का मानदेय	१००X८X७	रु० ५६००/–
६.	छात्रों एवं प्रशिक्षकों हेतु बिस्तर आदि	२५X८८X७	रु० १५४००/–
७.	आकस्मिक व्यय दरी, जनरेटर, मनोरंजन के साधन दैनिक सफाई कर्मचारी, फोटोग्राफी एवं पुरस्कार हेतु		रू० १५०००/–
		कुल योग	रु० १,००,३२०/–

आठ वर्षों में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड कैम्प पर कुल व्यय

क्र० सं०	प्रतिवर्ष कैम्पों की संख्या	आठ वर्षों में कैम्पों की सं०	प्रति कैम्प लागत	कुल लागत
१.	९	७२	रु० १,००,३२०/—	७२ X १,००,३२० = रू० ७२,२३,०४०/—

७. व्यवसायिक प्रशिक्षण:— प्रत्येक विकासखण्ड से प्रति वर्ष २५ विकलांग छात्र /छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिसमें कक्षा ६—८ तक के विकलांग बच्चों को सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, खिलौने बनाना, कढ़ाई करना, मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना, अगरबत्ती बनाना, कुर्सी बुनना आदि सिखाया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण के लिए जनपद में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण हतु प्रति विकलांग छात्र/छात्रा अधिकतकम ५००/— प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड के २५ छात्रों के लिए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुमानित बजट

क्र० सं०	प्रतिवर्ष प्रशिक्षण का लक्ष्य २५ छात्र/छात्रा प्रति विकासखण्ड की दर से	रु० ५०० के दर से एक वर्ष का लागत	८ वर्षो में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु कुल लागत
१.	२२५	५०० X २२५= १,१२,५००/—	१,१२,५००X८ = रु०९,००,०००/—

८. विकासखण्ड स्तर पर संसाधन कक्ष :— प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक संसाधन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। जहॉ पर विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे—ब्रेल किट, लार्ज प्रिंट, उभरे मानचित्र, स्पीच ट्रेनर, खिलौने आदि को रखने की व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए प्रत्येक विकास-खण्ड स्तर पर रु० ५०,०००/— का प्रावधान किया गया है।

अनुमानित बजट संसाधन कक्ष हेतु

क्रमांक	विकासखण्डों की संख्या	प्रति संसाधन की लागत	कुल लागत
१.	०९	रु० ५०,०००/—	रु० ४,५०,०००/—

९. अभिभावक परामर्श कैम्प :– गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के माता–पिता और मानसिक विकलांग बच्चों के माता पिता को ०३ दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैम्प का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मानसिक अक्षम बच्चों और अति गम्भीर बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं देख–रेख के लिए उनके माता–पिता या भाई बहन के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो सकता। कैम्प में इन्हें विशिष्ट शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसकी प्रयोग विधि भी सिखायी जाएगी। यह प्रशिक्षण दिलाकर अति गंभीर विकलांग बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश दिलाकर होम बेस्ट शिक्षण प्रोग्राम चलाया जा सकता है।

उक्त कैम्प विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। इसमें विकासखण्ड के ४० गंभीर विकलांग बच्चों के माता–पिता या घर के किसी एक व्यक्ति को कैम्प में प्रतिभाग हेतु बुलाया जाएगा। इस प्रकार के कैम्प का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में विकलांग बच्चों के मातापिता को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। कैम्प में प्रशिक्षण का कार्य विकलांगता विशेष द्वारा कराया जायेगा।

एक कैम्प हेतु अनुमानित बजट

कैम्प की अवधि – ०३ दिन प्रशिक्षक सहित प्रतिभागी–४३ (३+४०)

क्र० सं०	मद	दरXप्रतिभागीXदिन	कुल धनराशि
१.	प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों हेतु जलपान एवं चाय	२०X४३X३	रु० २५८०/–
२.	प्रतिभागियों हेतु विशिष्ट शिक्षण सामगी एवं स्टेशनरी	५०X४०	रु० २०००/–
३.	प्रशिक्षकों का मानदेय	१००X३X३	रू० ९००/–
४.	कैम्प स्थल पर बैठने हेतु दरी एवं कुर्सी मेज आदि की व्यवस्था	–	५००/–
५.	जनरेटर एवं वीडियो सेट के लिए	–	५००/–
		योग	रु० ६४८०/–

2007 तक प्रस्तावित कैम्पों की संख्या पर व्यय

क्रमांक	प्रस्तावित कैम्पों की संख्या	प्रति कैम्प लागत	कुल लागत
1	09	Rs 6480/-	6480 X 9 = 58320

१०. विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थानों की भागीदारी:–

जनपद के सभी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जनपद में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हीं संस्थाओं से सहयोग लिया जा सकेगा जो निम्न पात्रताएं रखती हों–

१. संस्था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो
२. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में (श्रवण अक्षम, दृष्टि अक्षम, मानसिक अक्षम) विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।
३. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
४. संस्था विकलांग जन अधिनियम १९९५ की धारा ५१ के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

११. स्वास्थ्य परीक्षण:–

कक्षा १–८ तक सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय पर एक मोटा रजिस्टर रखा जाएगा। जिसमें सारणी बनाकर बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित सारी प्रविष्टियाँ लिखी जाएंगी। कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की प्रोजेक्टेड वर्षवार संख्या निम्न सारणी से स्पष्ट है–

स्तर	२००१–०२	२००२–०३	२००३–०४	२००४–०५	२००५–०६	२००६–०७
१	२	३	४	५	६	७
प्राथमिक स्तर	२१५८९०	२२६९८९	२३४९४०	२३९६३९	२४४४३२	२४९३२०
उच्च प्राथमिक स्तर	२६२५५	२९३३५	३२१४७	३६१९५	३६९१९	३७६५७

८–सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटीज:– जनपद में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बहुत सी गतिविधियाँ करनी पड़ीं। जिसके अन्तर्गत समुदाय को कार्यक्रम से जोड़कर उनके विचार प्राप्त करने का प्रयास

किया। इस कड़ी में सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से समन्वयन की आवश्यकता महसूस की गयी। उन विभागों में जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग (आईसीडीएस), स्वास्थ्य विभाग, जल निगम/एग्रो, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाएं शामिल हैं। जनपद स्तर पर सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लाक संसाधन केंद्र समन्वयकों तथा जिला समन्वयकों की एक संयुक्त बैठक कर प्लान तैयार करने पर विचार विमर्श हुआ। ब्लाकों से आवश्यक सूचनाएं विद्यालयों से संकलित कर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। साथ ही सभी सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारियों /प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा ब्लाक स्तर पर विभिन्न वर्गों समूहों, पंचायतीराज संस्थाओं, अभिभावक संघों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनसे प्राप्त सुझाव उपलब्ध करावें। जनपद स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ पंचायत सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठकें की गयीं तथा उनके विचार जाने गये।

सर्व शिक्षा अभियान का प्लान बनाने के लिए आंकड़ों का संकलन एवं उनके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग तथा जनगणना कार्यालय के सहयोग से जननांकिनी सम्बन्धी सामाजिक आर्थिक स्थिति समबन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया। पंचायती राज विभाग के सहयोग से न्याय पंचायत/ग्राम पंचायतों/वस्तियों की सूची प्राप्त हुई। शिक्षक संघों के साथ प्लानिंग टीम की बैठक से शिक्षकों की समस्याओं, उनके दूर करने के उपाय, नामांकन एवं ठहराव वृद्धि हेतु रणनीति बनाने में सफलता प्राप्त हुई।

किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम जनमानस उस कार्यक्रम के साथ किस प्रकार जुड़ा है। बिना आम जन की भागीदारी से किसी भी योजना/कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों को भी विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है। ग्राम शिक्षा समितियों, नगर शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा समितियों की

सक्रिय भागीदारी से ही हम अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखकर सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्माण की प्रक्रिया को पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रखने का प्रयास किया गया हैं। सामुदायिक गतिशीलता के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम करने का प्रस्ताव रखा गया है।

१. वातावरण सृजन :— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्षित बच्चे (६—१४ वय वर्ग) विद्यालय में २००३ तक आ जाएं। इस हेतु जनपद स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखने की महती आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष नामांकन अभियान माह जुलाई से सितम्बर तक चलाया जाएगा। विद्यालयी व्यवस्था के प्रबन्धन में समुदाय का वांछित सहयोग प्राप्त हो सके इस हेतु अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ, किशोरी शिक्षक संघ, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों के साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन कराया जाएगा।

२. ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:—

जिला शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की ४०० ग्राम शिक्षा समितियों का ०३ दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है तथा शेष ४०५ का प्रशिक्षण इस वर्ष कराया जाना प्रस्तावित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल **प्रयास एवं संकल्प** का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया गया है। इसी माड्यूल के आधार पर ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों (संख्या ५) के साथ साथ उसी ग्राम सभा के लगभग २० आम उत्साही, जागरूक, शिक्षा प्रेमी नवयुवकों, नवयुवतियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, रिटायर्ड कर्मचारियों आदि को शामिल किया जाता है। प्रशिक्षण प्रभारी सम्बन्धित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक होगा तथा प्रशिक्षण आयोजित करना उसका दायित्व होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य निम्नवत् होगा—

१. प्रशिक्षण शैक्षिक वातावरण निर्माण के रूप में होगा।
२. पशिक्षण में सहभागी आंकलन विधा का प्रयोग किया जाएगा।
३. कार्यक्रम से समुदाय के अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाएगा।

४. वर्तमान पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधा की जानकारी प्रतिभागियों को दी जाएगी।

५. गॉव के भौतिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, भौतिक मानचित्रण एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराया जाएगा।

६. विद्यालय के विकास एवं संचालन में स्थानीय संसाधनों को जुटाने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

७. अन्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ सहयोग एवं समन्वयन की जानकारी दी जाएगी।

८. लिंगभेद एवं बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाएगी।

९. विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

१०.गॉव का विद्यालय उनका अपना है, इसका अहसास कराकर उसके विकास में सहयोग हेतु समुदाय को प्रेरित किया जाएगा।

इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्था स्वयं करने हेतु योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान रखा गया है। सबसे पहले प्रति ब्लाक कम से कम २५ एवं अधिकतम ३० ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार नगर क्षेत्र में प्रति वार्ड एक सदस्य के हिसाब से संदर्भ समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का दायित्व डायट का होगा।

पुनः ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की देखरेख में होगा तथा प्रशिक्षित ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्य प्राप्त करेंगे। नव निर्वाचित ग्राम शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं ०५ वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण और उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार ०५ वर्ष में दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संदर्भ प्रशिक्षण ३ दिवसीय तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एक दिवसीय होगा। विकासखण्ड

स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित बी०आर०सी० समन्वयक का होगा।

माइक्रोप्लानिंग/आंकड़ों का संकलन/विश्लेषण:–

डीपीईपी के अन्तर्गत जनपद के सभी परिवारों का सर्वेक्षण करके आंकड़े एकत्रित करना, पुन: उन आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करके शिक्षा योजना के निर्माण का प्रस्ताव है। जनपद में अभी परिवार सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हो रहा है अत: माइक्रोप्लानिंग सम्भव नहीं हो पाया हैं। जिससे सर्व शिक्षा अभियान हेतु आंकड़े विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करने पड़े हैं।

परिवार सर्वेक्षण के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं सर्वेक्षण प्रपत्र पर प्राप्त की जाती हैं–

१. परिवार के कुल सदस्यों की संख्या तथा उनकी शिक्षा का स्तर।
२. ग्राम सभा में ०–१४ वय वर्ग के बच्चों की वर्गवार/जातिवार संख्या।
३. विद्यालय/अनौ०शिक्षा केन्द्रो/वैक०शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
४. कहीं पढ़ने न जाने वाले बच्चों की संख्या।
६. ग्राम सभा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में क्या पर्याप्त आवश्यक भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि नहीं तो व्यवस्था हेतु सुझाव।
७. शाला त्यागी बच्चों की संख्या एवं शाला त्याग का कारण।
८. श्रम करने वाले बच्चों की संख्या।
९. लड़कियों के विद्यालय न आने का कारण।
१०.विकलांग बच्चों का विवरण।

इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का एक संकलन प्रपत्र पर संकलन किया जाएगा तथा आंकड़ों का विश्लेषण कर माइक्रोप्लानिंग की जाएगी। तत्पश्चात ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किया जाएगा। ग्राम शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता परक मूल्य आधारित शिक्षा सुलभ कराना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु स्थानीय समुदाय की मदद से प्रत्येक ०५ वर्ष पर सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा विद्यालय मान चित्रण/शैक्षिक मानचित्रण कराया जाएगा।

स्कूल चलो अभियान:– जनपद में विगत दो वर्षो से चल रहे स्कूल चलो अभियान को सामुदायिक सहभागिता/गतिशीलता कार्यक्रम का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। इस अभियान में जनपद के प्रत्येक विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों, शिक्षक संघों, ग्राम शिक्षा समितियों का भरपूर सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी स्कूल चलो अभियान चलाकर जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

स्वैच्छिक संगठनों का योगदान:– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के हेतु तथा नामांकन,ठहराव आदि के लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये हैं। इन सभी कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों को जोड़कर उनकी सहायता ली जाएगी। विशेष रूप से स्कूल चलो अभियान, ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशि० ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु सुनिश्चित एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाएगी। जिसके अन्तर्गत जनपद पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा एवं संस्तुति प्रदान की जाएगी। स्वयंसेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जाएगा।

समुदाय के सहयोग के क्षेत्र :समुदाय के सहयोग निम्न क्षेत्रों हेतु लिये जाएंगे–

१. पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों से आवश्यकता पड़ने पर उनके गॉव के विद्यालय में शिक्षण कार्य में सहयोग लिया जाएगा।
२. विद्यालय प्रांगण को समतल करने, मिट्टी की गड्ढों में भराई करने में।

३. विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाने में यथा टाट पट्टी, श्यामपट्ट आदि।
४. प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करने में।
५. विद्यालय भवन के रखरखाव में।
६. शैक्षिक उपकरणों के निर्माण में।
७. अच्छे पदों पर कार्यरत विद्यालयों के पूर्व छात्रों से वर्तमान गरीब किन्तु योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना।
८. सम्पन्न व्यक्तियों के सहयोग से विकलांग बच्चों हेतु आवश्यक सहायता एवं उपकरण उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। **शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास कार्यों** एवं एस.एस.ए के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय – 9

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

नवसृजित जनपद अम्बेडकरनगर फैजाबाद मण्डल में स्थित पूर्वांचल का एक जिला है। इस जनपद का सृजन 29 सितम्बर सन् 1995 को फैजाबाद को विभक्त कर प्रदेश के 67वें जनपद के रूप में किया गया। इस जनपद का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। जनपद में डायट की स्थापना 1999 से शुरू की गयी। अभी डायट निर्माणाधीन है फिर भी डायट में सम्पूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। परन्तु डायट अत्यन्त दुर्गम स्थान पर बना है। जहॉ पर पहुॅचना कठिन कार्य है। इसके बावजूद डायट से सम्बन्धित कार्यों को बड़ी लगन मेहनत और तत्परता से किया जा रहा है।

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाओं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना प्राप्त की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी0पी0ई0पी0 योजना के अर्न्तगत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे। उनके खान–पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों को ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अगर था भी तो बहुत कम था। बालकों की तुलना में अभिभावकों द्वारा बालिकाओं के लिए सुविधाएं बहुत कम दी जाती थी। उनको घर गृहस्थी में ही कार्य करने की सलाह दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ–साफ दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ–साथ बालिकाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहा है। वर्तमान में विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नहीं है। हर वर्ग के बालक–बालिका विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। अब तक जहॉ विद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। वहीं पर अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बातों को छात्रों को बताया जा रहा है। आज

बालक और बालिकाएं क्रियाशील है। वे हर क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में भी रूचि ले रहे हैं। इस प्रकार नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं! यह सम्पूर्ण कार्य जनपद स्तर पर डायट के निर्देशन में शिक्षा से जुड़े हुए सभी कर्मियों के सहयोग का परिणाम है। डायट से लेकर बी0आर0सी0 और एन0पी0आर0सी0 स्तर तक सभी योजना को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं तथा शासन की नीति के अनुसार समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। डायट के बहुआयामी कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को निरन्तर आगे ले जाने में कामयाब हो रही है।

डी0पी0ई0पी0 तृतीय के अर्न्तगत अब तक गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु डायट द्वारा सम्पन्न किया गया क्रिया–कलाप :–

1–	कुल अध्यापक	2862
2–	सेवारत प्रशिक्षण	2862
3–	एन0पी0आर0सी0 प्रशिक्षण	110
4–	बी0आर0सी0 प्रशिक्षण	9
5–	शिक्षा मित्र (डी0पी0ई0पी0 / बेसिक)	287
6–	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (शिक्षा मित्रों का)	150
7–	आचार्य / अनुदेशक प्रशिक्षण	170
8–	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण	250
9–	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	(दो ब्लाक में समाप्त और दो ब्लाक में प्रारम्भ)
10–	श्रेणी करण	1652
11–	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	1652
12–	लिंग संवेदीकरण का प्रशिक्षण	1652
13–	शेष अध्यापकों का प्रशिक्षण	12

उक्त प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों / शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों आदि के गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि हुई

है। उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इन प्रशिक्षणों और अनुश्रवणों से ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्द्धक हुए हैं।

डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मास्टर ट्रेनर का चयन किया गया। जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर में प्रशिक्षित किया गया। जनपद अम्बेडकरनगर 9 विकास खण्डों तथा 110 न्याय पंचायतों से आच्छादित है। विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रो के लिए समन्वयकों, सहसमन्वयकों तथा न्याय पंचयायत समन्वयको का चयन किया गया। जो उनके कर्तव्यों और दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ–साथ बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों/सहसमन्वयकों को डायट में अकादमिक सपोर्ट एवं सुपरविजन का प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयको द्वारा विद्यालय का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण विद्याभवन निशातगंज लखनऊ से विकसित पैरामीटर के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं आदि के समाधान के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण मेलों का आयोजन गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए किया जा रहा है। डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम से आच्छादित परिषदीय प्राथमिक विद्यायलयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति की जा रही है। शिक्षकों के लिए अकादमिक नेतृत्व पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। जैसे –

1– मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन अकादमिक आवश्यकताओं की परिधि में लाया जाना नितान्त आवश्यक है।

2– उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना।

3– उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय परिषदीय अशासकीय) माध्यमिक विद्यालयों जैसे अशासकीय/राजकीय के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा एक से पॉच और कक्षा छः से आठ तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आलापुर अम्बेडकरनगर के विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत विभाग क्षरा प्रस्तावित कार्यक्रम –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य आरम्भ हुआ। परन्तु जनपद अम्बेडकरनगर में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1999 बननी प्रारम्भ हुई परन्तु अभी भी निर्माणाधीन है। इसमें किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य सुगमता पूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है। यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 30 किमी0 दूर अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग पर बसखारी बाजार से 5 किमी0 उत्तर गोकुलपुर गॉव में बन रहा है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1– प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और गुणवत्ता संबर्द्धन में वृद्धि लाना।

2– शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

3– शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान हेतु कियात्मक शोध करना।

4– जनपद के शैक्षिक ऑकड़ों का संकलन कर उसका विश्लेषण करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डायट में सात विभाग की स्थापना की गयी है।

1– सेवा पूर्व विभाग।

2– सेवारत विभाग।

3– जिला संसाधन इकाई विभाग।

4– कार्यानुभव विभाग।

5– शैक्षिक तकनीकी विभाग।

6– पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1– सेवा पूर्व विभाग :– सेवा पूर्व विभाग डायट में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना साथ ही साथ शिक्षामित्रों को भी तीस दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षामित्र अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का

सामना कर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभायेंगे। यह विभाग बी0टी0सी0 परीक्षा को सम्पन्न कराता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराना।
2003–2004	शिक्षामित्र प्रशिक्षण के साथ ही साथ बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को भी सम्पन्न कराना।
2004–2005	बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र मे कार्य।
2005–2006	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।
2006–2007	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2003 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। शेष प्रस्तावित है, वर्ष 2003–2004 में शिक्षामित्र एवं बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा 2004–2007 तक बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण तथा उनके द्वारा क्षेत्र में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

2– सेवारत विभाग :– सेवारत विभाग अध्यापकों के लिए नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी के साथ–साथ प्रशिक्षण कराता है। अध्यापकों को प्रभावशील शिक्षक होने के लिए निमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता को बढ़ाना होगा। राष्ट्रनिर्माण में लगे हुए अध्यापकों को सेवारत विभाग द्वारा नयी–नयी तकनीकी ज्ञान की जानकारी प्रदान की जाती है। इस विभाग में लगे हुए सेवारत अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में होने वाले पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलत करके उन्हें नयी जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	सेवारत अध्यापकों के लिए गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
2003–2004	गणित विज्ञान भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
2004–2005	गणित विज्ञान भाषा अंग्रेजी संस्कृत और पर्यावरण अध्ययन पर सेमीनार।
2005–2006	गणित विज्ञान भाषा और अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
2006–2007	गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2003 में गणित और विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराना प्रस्तावित हैं। वर्ष 2003–2004 में गणित विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा वर्ष 2004–2007 तक गणित विज्ञान भाषा अंग्रेजी संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन का प्रशिक्षण उसकी समस्याओं पर विचार और विचार गोष्ठी आदि का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

3– जिला संसाधन इकाई विभाग :– शिक्षा व्यवस्था हमारे वर्तमान के निर्माण के लिए सबसे मुख्य साधन है। सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ हो इसके लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु खत्म हो गयी है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना जिला संसाधन इकाई विभाग का मुख्य कार्य है। इस विभाग के कार्य निम्नवत् हैं –

1– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरको को प्रशिक्षण देना।

3 - अनुदेशकों को प्रशिक्षण देना।

4– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण तथा उपकरणों का निर्माण।

5– किसी भी कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा उसके निदान हेतु उपाय खोजना।

6– कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उसका निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना।

7-- किसी भी कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	ड्राप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षित करने का कार्यक्रम।
2003–2004	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
2004–2005	स्वयं सेवको का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
2005–2006	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अनुश्रवण और उसका मूल्यांकन।
2006–2007	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अनुश्रवण और उसका मूल्यांकन।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला संसाधन इकाई द्वारा वर्ष 2002–2003 तक ड्राप आउट बच्चों को चिन्हित करना तथा उन्हें शिक्षित करना है। वर्ष 2003–04 में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा पर्यवेक्षण अनुसरण और मूल्यांकन का कार्य करना प्रस्तावित है। वर्ष 2004–05 के बीच स्वयं सेवकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराना उसका पर्यवेक्षण अनुसरण एवं मूल्यांकन कराना भी प्रस्तावित है। वर्ष 2005–07 तक अनुदेशकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण और उसका मूल्यांकन करना प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभाग :– सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली साधन शिक्षा को माना गया है। क्यो कि समाज कि आवश्यकताओ के अनुसार भावी नागरिको के निर्माण के लिए उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा शिक्षा को जीवन के योग्य बनाते हुए समाज होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। यह विभाग बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों से चटाई बनवाने का कार्य मोमबत्ती बनवाने का कार्य तथा संस्थान के सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों को कराता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	छात्राध्यापकों और छात्राध्यापिकाओं को निर्मूल्य सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण देना।
2003–2004	छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को डायट पर कार्य के लिए तैयार करना।
2004–2005	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल सहायक सामग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
2005–2006	छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
2006–2007	छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को नये–नये कार्यों को करने की प्रेरणा देना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं से निमूल सहायक सामग्री का निर्माण फल संरक्षण से सम्बन्धित कार्य तथा क्षेत्र में अन्य अध्यापको की मदद आदि करना आदि इस विभाग का कार्य है।

5– शैक्षिक तकनीकी विभाग :– इस तकनीकी और वैज्ञानिक युग में छात्रों को विज्ञान की नयी–नयी विधा खोज उपलब्धियों आदि के विषय में परिचित करना। शैक्षिक तकनीकी विभाग का मुख्य उद्देश्य अल्प समय, अल्प व्यय, तथा अल्प सुविधाओं द्वारा विद्यार्थियो को अधिक से अधिक उच्च स्तर की जानकारी प्रदान करना। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा गुणवत्ता बढ़ाने में निरन्तर कार्य कर रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	शिक्षामित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
2003–2004	शिक्षामित्र, छात्राध्यापकों और सेवारत अध्यापको को शैक्षिक सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करना।
2004–2005	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों के विषय मे अल्प दाम वाली सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण।
2005–2006	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों के विषय मे अल्प दाम वाली सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण।
2006–2007	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों के विषय मे अल्प दाम वाली सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग 2002–2007 तक उपरोक्त सारणी के अनुसार विधिवत कार्य करेगा तथा उसका क्रियान्वयन भी करेगा। जिससे सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम सफल हो सके।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग :– पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम बनाते समय उसकी मानसिक योग्यता उसकी परिवेशीय आवश्यकताएं उसके लिए सुलभ साधन उसका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा तथा शैली पर ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन से यह पता लगाया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है कि नहीं किया गया है। शिक्षक अपने प्रयास में कहॉ तक सफल हुए हैं। उपरोक्त विचारो को ध्यान में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है ताकि गुणवत्ता में आशातीत सुधार लाया जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना तथा उसका सतत् मूल्यांकन करना।
2003–2004	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश करना।
2004–2005	राष्ट्रीय मूल्यों, धर्मनिर्पेक्षता, लोकतंत्र समानता, लिंग भेदभाव आदि का पाठ में समावेश करना।
2005–2006	अध्यापकों एवं छात्रों के बीच नैतिकता का समावेश कराना।
2006–2007	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में समय–समय पर संशोधन एवं उसका मूल्यांकन करना।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :– डायट का नियोजन एवं प्रबंधन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि डायट में होने वाले तमाम प्रकार के कार्यों की योजना बनाना, कार्यशालाओं एवं सेमीनार का प्रबन्ध करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना इस विभाग का कार्य है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

2002–2003	डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाईयों की योजना बनाना।
2003–2004	डायट द्वारा निर्धारित किये गये योजना को शिक्षा से जुड़े हुए अभिकर्मियों को जानकारी देना और उसको क्रियान्वित करना।
2004–2005	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् लागू करना।
2005–2006	अध्यापकों के शिक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कराना।
2006–2007	नियोजन एवं प्रबन्धन के लिए किये गये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यकम कियान्वित करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग वर्ष 2002–2007 तक डायट में किये जाने वाले कार्यों की योजना तैयार करना।

गुणवत्ता संबर्द्धन में वृद्धि लाने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वय की भूमिका :–

डी0पी0ई0पी0 कार्यकम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की भूमि एवं उनके दायित्व निम्नवत् है –

1– ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन विद्यालयों का भ्रमण एवं उसक अवलोकन कर कक्षाओं को फीडबैक देना।

2– ब्लाक संसाधन केन्द्र पर होने वाले कार्यकमों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना और उसके अनुरूप बजट का निर्माण।

3– न्याय पंचायत संबंधी आवश्यकताओं को समझना और उसके लिए विशेष अनुस्थापन कार्यकम चलाना।

4– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के फीडबैक और इन पुट की आवश्यकताओं पर कार्यवाही करना और उसके लिए एक सकिय टीम गठित करना।

5– डायट के दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 स्तरीय गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यकमों, कार्यशालाओं सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन करना।

6– विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन एवं आयोजन करना तथा कक्षा शिक्षण में उसका क्या प्रभाव है? का अनुश्रवण करना।

7– ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय संदर्भ के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षकों की शिक्षा से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने के लिए किया जाता है।

गुणवत्ता सम्वर्द्धन में वृद्धि के लिए न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वय की भूमिका :– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक न्याय पंचायत में स्थित शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी कियाओं के केन्द्र विन्दु हैं। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना, शिक्षकों के अनुभवों को आपस में विनिमय करना तथा सूक्ष्म नियोजन और मानचित्रण करना न्याय पंचायत समन्वयक का मुख्य कार्य है। इसके अलावा न्याय पंचायत समन्वयको द्वारा निम्नवत् कार्य किये जाते हैं –

1– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर होने वाले कार्यकमों की रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक और डायट को उपलब्ध कराना।

2– ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना।

3– ब्लाक संसाधन केन्द्र में होने वाली मासिक बैठकों में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु न्याय पंचायत समन्वयक का वहां उपस्थित रहना।

4– अध्यापकों की होने वाली मासिक बैठक में भाग लेना और नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं समाधान करना।

5– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालय का सूक्ष्म मानचित्रण तैयार करना।

6– शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर उन्हें शैक्षिक सपोर्ट मुहैया कराना।

7– न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करना।

8– ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन करना।

9– विद्यालय का श्रेणीकरण करना।

10– न्याय पंचायत स्तर पर कोर्टटीम का गठन करना।

प्राथमिक स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :– जनपद अम्बेडकरनगर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है। सेवारत शिक्षकों के लिए सबसे पहले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की एक खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों को डायट स्तर पर चिन्हित किया गया तथा उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट सुल्तानपुर में आयोजित किया गया। जनपद अम्बेडकरनगर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के कुछ अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण (सबल) ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस प्रशिक्षण में राज्यपरियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल साधन का प्रयोग किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्देश्य निम्नवत् है –

1– एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण कार्य करने पर बल।

2– बहुउद्देश्शीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण और शिक्षण में उसका उपयोग करने पर बल।

3– बच्चों को सीखने सम्बन्धी कठिनाइयों को समझना और उसका शिक्षकों द्वारा निराकरण करना।

4– अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्मविश्वास जागृत करने पर अधिक बल देना।

5– गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना।

6– वंचित वर्ग खास करके बालिकाओं के शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग लेना।

7– अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।

8– शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रेरित करना।

9– शिक्षण कार्य में बच्चों की सकिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

10– समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य पर बल देना।

11– विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण और उसका कक्षा में प्रयोग।

12– सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।

13– शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा द्वारा शिक्षण की मुक्त धारा से जोड़नां

सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण तृतीय चक्र 'साधन' की आज तक की स्थिति :–

1–	कुल शिक्षक संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	3149
2–	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	3149
3–	अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	0

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में कार्यकुशलता में वृद्धि लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आलापुर अम्बेडकरनगर के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में वृद्धि लाने के लिए गणित का प्रशिक्षण आयोजित है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/अंग्रेजी के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

सेवारत शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं अनुसर्मथन की व्यवस्था :– गुणवत्ता सम्बर्द्धन खास करके बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने के लिए कक्षा की प्रकिया में बदलाव लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आलापुर अम्बेडकरनगर शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवश्य सम्बन्धी समस्याओं के निदान के लिए न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली मासिक बैठक में न्याय पंचायत समन्वयक समस्याओं का निदान करेगे। अगर समस्याओं का समाधान न हो सका तो क्रमशः इसे बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा और डायट द्वारा उसका समाधान किया जायेगा और शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट और अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण :– जनपद अम्बेडकरनगर में एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के कुछ पद सृजित हैं जिनमें मात्र 106 समन्वयक कार्यरत हैं। जिनके कारण श्रेणीकरण के कार्य में कुछ कठिनाई अवश्य हो रही है। श्रेणीकरण का कार्य उ0प्र0 शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/15–5–01 – 346/2001 दिनांक 11.7.2001 द्वारा शुरू हो चुका है जून से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणी करण की स्थिति निम्नवत् है –

1–	विद्यालय की संख्या				1050
2–	श्रेणीकृत विद्यालय				913
3–	श्रेणीकरण की स्थिति	ए	बी	सी	डी
		39	597	222	55

सेवारत शिक्षक प्रक्षिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव :– जनपद अम्बेडकरनगर जिला प्राथमिक शिक्षाकार्यकम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद अम्बेडकरनगर में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण साधन माड्यूल के अनुसार लगभग

समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक प्रशिक्षण डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा नियममित रूप से किया जा रहा है। जिससे प्राप्त अवलोकन की आख्याओं के अनुसार शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। बच्चे निरन्तर शिक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। जिससे उनके सीखने में आशातीत वृद्धि हुई है।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति –

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके।	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके।
1	2	भाषा	10.9	24.2	3.1	13.3	20.7	4.7
2	2	गणित	9.15	62.53	3.27	11.66	57.34	4.43
3	5	भाषा	34.5	15.8	24.0	33.00	9.2	29.2
4	5	गणित	30.4	5.1	39.6	25.5	0.0	68.8

स्रोत : मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे रिपोर्ट

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय लागू होने पर बेस लाइन सर्वे कराया गया इसके ढाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 2 भाषा में 3.1 प्रतिशत बालक तथा 4.7 प्रतिशत बालिकायें एवं कक्षा 2 गणित में 3.27 प्रतिशत बालक एवं 4.43 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को नही प्राप्त कर सके हैं तथा कक्षा 5 भाषा में 24.0 प्रतिशत बालक एवं 29.2 प्रतिशत बालिकायें तथा कक्षा 5 गणित में 39.6 प्रतिशत बालक एवं 68.8 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 2 व कक्षा 5 के विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्नवत रही है–

1– कक्षा 2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि कमशः 82.73 एवं 82.57 प्रतिशत है।

2– कक्षा 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित कें उपलब्धिकमशः 57.90 एवं 47.21 प्रतिशत है।

3– कक्षा 2 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि कमशः 82.5 एवं 81.91 प्रतिशत है।

4– कक्षा 2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि कमशः 88.99 एवं 81.05 प्रतिशत है।

5– कक्षा 5 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि कमशः 56.10 एवं 53.04 प्रतिशत है।

6– कक्षा 5 गणित मे बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि कमशः 50.9 एवं 49.1 प्रतिशत है।

7– कक्षा 2 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधारभूत सर्वेक्षणकी अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

8– कक्षा 5 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :–सर्वशिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कम है। जनपद अम्बेडकरनगर में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं कों वर्ष 2010 तक गुणवत्तापरक, व्यवसायपरक, जीवनोपयोगी, शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। जिसे हम विद्यालयीय शिक्षा के द्वारा ही हम गुणात्मक सुधार करके शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चत करेंगे। सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य –

1– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है उनकी कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करा लेना है।

2– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करा लेना।

3– गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

4– छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।

5– सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

6– वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय शिक्षा गारन्टी केन्द्र के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन।

7– बालक–बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव एवं नामांकन तथा सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण – सर्वशिक्षा अभियान सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण SAT & INDIA के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा ऐसा प्रयास किया जायेगा।

S = Systematic – क्रमबद्ध

A = Approach – पहुँच

T = Training – प्रशिक्षण

I = Indentification – पहचान

N = Need – आवश्यकता

D = Designing & Planing – डिजाइनिंग और योजना

I = Implemintation – क्रियान्वयन

A = Assessment – मूल्यांकन

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तगत सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद विकास खण्ड न्यायपंचायत तथा स्कूल स्तरीय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के भागीदारी डायट के सदस्यों जिलापरियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेंगी। शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्याशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि के लिए शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार के स्थान पर सतत् प्रकिया के रूपमें आयोजित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण :– सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षों में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षामित्रों आदि का बहु कक्षा शिक्षण, बहुश्रेणी शिक्षण, दस दिनों के लिए आयोजित किया जायेगा। जिसमे सात दिनों के लिए प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक–एक माह के अन्तराल पर न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है

1– विकास स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के अनुसरण हेतु पाठ्य प्रस्तुतिकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण और कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी।
2– सहायक शिक्षण सामग्री के मेले का आयोजन किया जायेगा।
3– तीन दिवसीय विजनिंग कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।
4– बहुकक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जायेगा।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण और टी0एल0एम0 के प्रशिक्षण की योजना – सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण तथा टी0एल0एम0 के प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। जिसमें प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी 80/– रूपये और टी0एल0एम0 के लिए 500/– रूपये खर्च करने का प्राविधान है। इसके लिए प्रशिक्षण का एजेण्डा डायट स्तर पर तैयार किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण – सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षाकी गुणवत्ता के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना

कार्यक्रम	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
प्रशिक्षण परिषदीय प्राथमिक	1. रोस्टर ट्रेनिंग 2. मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल का विकास	1. गणित अध्यापकों का प्रशिक्षण 2. मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण 2. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण 2. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 2. मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण
उच्च प्राथमिक	1. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण और उसका मूल्यांकन 2. गणित अध्यापक प्रशिक्षण	1. संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण 2. अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापकों का प्रशिक्षण 2. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. हिन्दी एवं व्यायाम, स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण 2. मूल्य आधारित प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. पूर्व प्रशिक्षण का व्यापक पैमाने पर अनुश्रवण और उसका मूल्यांकन
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	1. एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन हेतु	1. एस0डी0आई0 प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन में अनुभूत समस्याओं पर विचार	1. एस0डी0आई0 प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन में अनुभूत समस्याओं पर विचार	1. एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण और उस पर सुझाव	1. एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण और उस पर सुझाव
उक्तवत्	1. बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण और श्रेणीकरण	1. बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण	1. बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण अध्यापको और छात्रों की समस्याओं को हल करने हेतु	1. बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा श्रेणीकरण से होने वाला प्रभाव और उसका आंकलन	1. बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन कार्य कराना।
उक्तवत्	अनुदेशक प्रशिक्षण अनुश्रवण पर्यवेक्षण और	अनुदेशक प्रशिक्षण अनुश्रवण पर्यवेक्षण और	अनुदेशक प्रशिक्षण अनुश्रवण पर्यवेक्षण और	अनुदेशक प्रशिक्षण अनुश्रवण पर्यवेक्षण और	अनुदेशक प्रशिक्षण अनुश्रवण पर्यवेक्षण और

	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट सकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
कार्यशाला / सेनिमार प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित से कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला
उच्च प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित से कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी0एल0एम0 कार्यशाला
क्रियात्मक शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता

	विज्ञान प्रतियोगिता	विज्ञान प्रतियोगिता	विज्ञान प्रतियोगिता	विज्ञान प्रतियोगिता	विज्ञान प्रतियोगिता

विशेष प्रभाव :–

1– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
2– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
3– स्कूल प्रबन्धन एवं नियोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
4– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
5– लिंग संवेदीकरण का प्रशिक्षण।
6– कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण।
7– शिक्षा मित्र/आचार्यजी का प्रशिक्षण।

लिंग संवेदीकरण का प्रशिक्षण – कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिनों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण – इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट के संदर्भ दाताओं द्वारा दिया जायेगा।

नेतृत्व क्षमता विकास संबंधी प्रशिक्षण – सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण – इस प्रशिक्षण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण – स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है किसी भी स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों जैसे स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रकियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी कियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रकियाओं के लिए समुदाय का सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित हाईस्कूल के समस्त आध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिनों की होगी। इस प्रशिक्षण के लिए माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा दिया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहयिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण – डी0पी0ई0पी0 तृतीय के अन्तर्गत बी0आर0सी0/एन0बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

के अध्यापकों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इसके लिए बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रक्षिण – परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिनों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण – विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा कियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पॉच दिवसीय विशेष अनुस्थापना प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग – भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जायें, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखकर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम कियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत मठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के अभिभावकों, विकलांग बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों सवयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभी स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड में कम से कम 25 से 30 तक होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह तथा जिला संसाधन समूह का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

2– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

3– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

5– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।

6– समस्या समाधान एवं प्रतिभागितापरक विश्लेषण अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण – जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के अन्य उपाय – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सुधारात्मक उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है –

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च स्तर
कुल कार्य दिवस	240	240
शिक्षण दिवस	180	200
परीक्षा	10	14
पल्स पोलिया, चुनाव ड्यूटी, आर्थिक मतगणना, ए0वी0एस0ए0 की बैठक, खेलकूद रैली, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी	30	30
समुदाय से सम्पर्क	8	8

कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाले बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को सफल बनाने में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं/गोंष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

2– कक्षा कक्षा में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।
3– बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।
4– छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन का टेस्ट।
5– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

कियात्मक शोध – अम्बेडकरनगर में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा कियात्मक शोध कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा।

कियात्मक शोध के बिन्दु –

1– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उनका समाधान।
2– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।
3– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।
4– गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।
5– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।
6– मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होन का कारण।
7– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।
8– शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों का विकास।
9– अध्यापकों द्वारा सकिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना।
10– बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों का पहचान।
11– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।
12– बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास।
13– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।
14– प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।
15– बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण।
16– धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियां खोजना।
17– शिक्षकों एवं छात्रों के बीच सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास।
18– समुदाय को विद्यालय के करीब लाने के प्रयास।
19– बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे?
20– कक्षा कक्ष की प्रकिया में सहभागिता बढ़ाने के प्रसाय।

ई0एम0आई0एस0 प्रणाली – शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है। इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपानों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली विकास जरूरी है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांवॅ/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा कियान्वयन मे हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षो को निकालने सम्बन्धी पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग से सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना – डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा कियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा कियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ का सुदृढ़ीकरण – जनपद स्तर पर गुणवत्ता के विकास के लिए डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद्, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर 5 दिनों की आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठय सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) – प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक के हेतु संशोधित पाठ्य सामग्री बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठय सामग्री – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था – सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमक के कियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

डायट / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर –

वर्ष 2003–2004

क्रम स0	कार्यक्रम	अवधि
1	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3	शिक्षामित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6	बे0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
10	न्तृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11	ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12	विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13	गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14	व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
15	समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अंतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
16	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास – डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है जिससे उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो सके।

1– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।
2– कियात्मक शोध प्रशिक्षण।
3– मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।
4– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

5– प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल।
6– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।
7– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।

सर्वशिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर सम्पर्क बनाया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता संबर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यो की मासिक बैठक में बी0 आर0 सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा । डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इण्टर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढाने वाले शिक्षकों को भी परिधि में लाये जाने का प्रस्ताव है। बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्बर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर संबंध बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। इसलिए सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों का पद स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान – सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों/शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रूपये 500/– की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्न प्रकार से किया जायेगा –

वर्ष	शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की संख्या	
2002–2003	3178	528
2003–2004	158	1485
2004–2005	4037	850
2005–2006	–	850
2006–2007	–	850
2007–2008	–	–
2008–2009	–	–
2009–2010	–	–

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बेडकरनगर का सुदृढ़ीकरण</u> – जनपद अम्बेडकरनगर में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरूष महिला छात्रावास अभी निर्माणाधीन है। इसलिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण को आयोजन के लिए तथा प्रतिभागियों के आवास के लिए कम से कम 80 शैया का छात्रावास तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष डारमेटरी तथा प्राचार्य आवास की आवश्यकता है। डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज, 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 100 तख्त, 100गद्दा, 100 बेडशीट तथा 100तकिया की आवश्यकता है। कार्यक्रम की वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए बड़े 73 सेमी0 रंगीन टी0वी0, बी0सी0आर0 की आवश्यकता है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर रूम नहीं है। क्योंकि संस्थान अभी निर्माणाधीन है।

<u>डायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट</u>

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण	4.00
2	सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3	पुताई, रंगाई	1.00
	योग	13.00
	उपकरण साज–सज्जा	
1	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	2.00
2	वाटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन ए0सी0	2.00
3	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	6.00
	योग	10.00
	अन्य मद	
1	संस्थान की बाउन्ड्री	10.00
2	जलापूर्ति हेतु टूल्लू पम्प और प्लास्टिक की टंकी	1.00
3	ड्राइवर हेतु वेतन	1.00
4	कियात्मक शोध अध्ययन	2.00
5	कार्यशाला/सेमिनार	2.00
6	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
7	कन्टीजेन्सी	1.00
	योग	21.00

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्द्धन हेतु डाय से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेंगे–

क्रम सं0	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)
1	फर्नीचर	100
2	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	200
3	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600
4	वाहन	500
5	किराये का वाहन	80
6	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रख–रखाव	400
7	सेमिनार	1600
8	कियात्मक शोध	1600
9	संकाय विकास	400
10	एक्सपोजर विजिट	400
11	पुस्तकालय	50
12	आनुषंगिक व्यय	800
	योग	6730

अध्याय – 10
परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जाएगी। इसकी अवधि वर्ष २००२ से २०१० तक की होगी। इस अवधि में ६–१४ आयु के सभी बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने का लक्ष्य है। परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाब देही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाएगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

प्रबन्ध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इन व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाब देही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और रचनात्मक विधियों के साथ प्रदेश की सुविधा निर्मित करने के साथ उ०प्र० सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तंत्र तैयार किया है जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है–

निर्णयकर्ता समितियॉ	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति यू०पी०ई०एफ० ए०पी०बी०	राज्य परियोजना कार्यालय	एन०सी०ई०आर०टी० साइमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
जिला परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति:— बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों के निष्पादन, प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ व उसके उपरान्त संशोधित अधिनियम वर्ष २००० के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति गठित होकर कार्य करती है।

समिति का गठन:—

१. ग्राम पंचायत का प्रधान— अध्यक्ष

२. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक — सचिव
(यदि उसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक बेसिक स्कूल स्थित है तो उनमें वरिष्ठतम अध्यापक ही सचिव होगा।)

३. बेसिक स्कूल के अध्ययनरत छात्रों के ०३ अभिभावक जिसमें एक अभिभावक महिला होगी, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होंगे।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं उत्तर दायित्व

(क) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूलों के प्रशासन नियंत्रण एवं प्रबन्ध।

(ख) स्कूल के विकास एवं उसके सुधारात्मक कार्यों के लिए योजना निर्माण करना

(ग) ग्राम पंचायत में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा के अभिवृद्धि एवं विकास।

(घ) अपने स्कूलों, भवनों तथा उपकरणों हेतु जिला पंचायत को सुझाव देना।

(च) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(छ) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर निर्धारित रीति से लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बेसिक शिक्षा से समबन्धित समस्त कार्यों को निष्पादित करना।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं डीपीईपी के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन संबंधी सारे कृत्यों का संपादन किया जाएगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जाएगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की माँग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एव दायित्व है। शिक्षा मित्रों,अनुदेशकों,आचार्यों आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। छात्र वृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र:–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जाएगा।

कार्य एवं दायित्व :

१. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
२. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तित कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
३. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
४. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
५. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होंगे। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं–

१. ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
२. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक – सदस्य सचिव
३. विकासखण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य
४. विकासखण्ड का एक वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक – सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिला शिक्षा परियोजना समिति के निणर्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा।

यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे.जी.एस.वाई. के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराएंगे तथा नियमित रुप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विकासखण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकासखण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे –

१. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
२. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
३. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
४. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
५. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
६. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
७. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

८. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

९. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

१०. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित कराना।

११. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

१२. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ईजीएस तथा एआईई के संचालन का अनुश्रवण सहा०बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रतिउप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ईजीएस/एआईई केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं तथा कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परि योजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जाएगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकासखण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटरसाइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत धनराशि (१८,०००रु०प्रति वर्ष प्रति विकासखण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ईजीएस/एआईई योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी०आर०सी० सह समन्वयक प्रत्येक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जाएगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र :

यह जनपद भी उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकासखण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं

सुसज्जित हैं। यहाँ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सहसमन्वयक का पद सृजित किया जाएगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यतीत होता है अतः प्रत्येक बी०आर०सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है जिसके लिए प्रत्येक बी०आर०सी० के लिए एक लाख रू० का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/ समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जाएगा।

कार्य एवं दायित्व :

१. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
२. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
३. विकासखण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
४. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
५. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
६. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
७. विकासखण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।
८. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल

चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। समिति का गठन निम्नवत् है–

- जिलाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
- प्राचार्य डायट – सदस्य
- जिला श्रम अधिकारी – सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) – सदस्य
- अधिषाशी अभियन्ता (आरईएस) – सदस्य
- अधिषाशी अभियन्ता (पीडब्लूडी) – सदस्य
- जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य
- दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से) – सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद एवं डीपीईपी के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने

का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जाएंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ईजीएस/एआईइ से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम १९७२ के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है–

१. जिला पंचायत अध्यक्ष	– अध्यक्ष
२. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	– सदस्य सचिव
३. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	– पदेन सदस्य
४. जिला समाज कल्याण अधिकारी	– पदेन सदस्य
५. जिला विद्यालय निरीक्षक	– पदेन सदस्य
६. अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनके अनुपस्थिति में विद्या०उप निरी०	– पदेन सदस्य
७. तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।	– सदस्य
८. विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	– सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षक और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी–

क– जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

ख– नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

ग– ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

अत: उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र–जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना कीजाएगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जाएगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे–

१. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–पदेन जिला परियोजना अधिकारी
२. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ईजीएस/एआईई)	०१ प्रतिनियुक्ति पर
३. समन्वयक	०४ प्रतिनियुक्ति/नियत वेतन पर
४. सलाहकार	०२ रू० १०,०००/– नियत वेतन प्रति पद
५. ईएमआईएस अधिकारी	०१ रू० १०,०००/– नियत वेतन प्रति पद
६. कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	०३ रू० ७,०००/– नियत वेतन प्रति पद
७. सहायक लेखाधिकारी	०१ पद प्रतिनियुक्ति पर
८. लिपिक	०१ नियत मानदेय के आधार पर
९. परिचारक	०१ नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ०प्र०सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् सस्टेनबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं हैं। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं

कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति रखी जाएगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जाएगा, जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकासखण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित थी। प्रथमत: उसी दर से भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रु० १०००/–, प्रति अति० कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रु० ५००/– तथा प्रति शौचालय हेतु रु० २००/– की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जाएगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जाएगा। ०३ वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रविधान रखा जाएगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जाएगा।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (ईएमआईएस) : सर्व शिक्षा अभियान केअन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालयमें एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एमआईएस स्थापित किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पूर्व से ही एमआईएस डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथ० स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष २०००—२००१ के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिकसांख्यिकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ईएमआईएस के संचालनार्थ १ ईएमआईएस अधिकारी एवं ०३ कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ईएमआईएस के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुत: जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आँकड़ो के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ईएमआईएस अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे—

—विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।

—समय से फील्ड स्टाफ (बीआरसी समन्वयक, एनपीआरसी समन्वयक, प्र०अ०) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

—माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।

—भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो,

अभिलिखित करना।

—समयबद्ध रूप में दिसम्बर २००१ के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।

—संकुलवार व विकासखण्ड वार जनपद की ईएमआईएस रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।

—सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

—माइक्रोप्लानिंग डाटा कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार सभी संबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ईएमआईएस अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर, आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण प्रक्षेपण तकनीक आदि के अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :—

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी०आर०सी समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। और उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

१. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी,सभी समन्वयक, स्टाफ; कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

२. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक आंद प्रांतभाग करेंगे।

३. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन०पी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

४. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर)

एस०पी०ओ०/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी०पी०ओ० एवं बी०आर०सी० के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई०एम०आई०एस० प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच:—

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से ३० सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ईएमआईएस रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट—आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग:—

ई०एम०आई०एस० आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे— जी०ई०आर०, एन०ई०आर०, ड्राप आउट दर रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स् में किया जायगा। ताकि बार बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में

तदनुसार कार्यक्रमों क समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अत: यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ईएमआईएस से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जाएगा एवं तदनुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ईएमआईएस एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जाएगा–

१. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।

२. शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

३. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्रूप अतिरिक्त कक्षा कक्षो की आवश्यकता की पहचान।

४. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

५. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

६. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण

७. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

८. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

९. शिक्षकों का विवरण।

१०. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

११. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना

ईएमआईएस से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उत्तरदायी बनाया जाएगा।

कोहार्ट स्टडी:–

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु ३ वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी जाएगी। स्टडी वाह्य एजेंसी द्वारा करायी जाएगी। जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जाएगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जाएगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु० २.०० लाख रखी गयी है।

प्राजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम :–

एमआईएस के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर रा० परियोजना कार्यालय को भेजी जाएगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी हैं उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाएगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल.ए.सी.आई. के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए भी एमआईएस प्रयोग में लाया जाएगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान:–

गुणवत्ता में सुधार के लिए पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे–

१. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

२. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

३. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

४. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

५. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों मार्गदर्शन देना।

६. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।

७. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

८. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

९. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेसलाइन सर्वे कराना।

१०. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

११. शैक्षिक आंकड़ों (ईएमआईएस के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

१२. शिक्षकों, समन्वयकों, इसीसीई तथा वैकल्पिक केन्द्रों की अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों,निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):—

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात् एवं उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जाएगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम

हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बीआरसी एवं एनपीआरसी को उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे– ग्राम शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जाएगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पूर्व से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं अत: रु० ५,०००/– मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है जिसका परिचालन उ०प्र०सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमो के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखाजोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। पर्चेज एवं प्राक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जाएंगे तथापि सर्वशिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जाएगी। समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किए जाएंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व में ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्यत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जाएगी।

संप्रेषण व्यवस्था:—

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे—जोखे का स्वतंत्र संप्रेषण (इनडिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जाएगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टार्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का संप्रेषण (आडिट) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जाएगा।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:—

परियोजना का क्रियान्वयन लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी०आर०सी०समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जाएगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी०आर०सी० सदस्यों की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जाएगा तथा मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जाएंगे। साथ ही समय समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जाएगा। प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पीएमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका विश्लेषण किया जाएगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

वार्षिक ईएमआईएस डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इंडीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जाएगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जाएंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों, प्राप्त विभिन्न इंडीकेटर्स को ध्यान रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित हैं जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उप्योगिता पर कोई संदेह नहीं है। **अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।**
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान कर। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

CHAPTER-12

SSA-ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District- Ambedkarnagar

S.No.	Head	Spillover		Approved fresh proposals 2003-04			Total propcsals		Remarks
		Physical	Financial	Unit cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	BRC								
1	Asstt. Coordinator(1 no.) @ 9 for 12 months			9	0	0	0	0	
2	Furniture/Fixture & equipments			10	0	0	0	0	
3	Travelling allowance & meeting			6	9	54	9	54	
4	Maint. Of equipments			0	0	0	0	0	
5	Maint. Of buildings			0	0	0	0	0	
6	TLM			5	9	45	9	45	
7	Contiengency			12.5	9	112.5	9	112.5	
	TOTAL BRC				27	211.5	27	211.5	
II	CRC								
8	Forniture/Fixture & equipments			5	0	0	0	0	
9	Salary coordinator & 12 for 12 months			0	0	0	0	0	
10	TLM			1	112	112	112	112	
11	Cointengency			2.5	112	280	112	280	
12	Travelling allowance & meeting			2.4	112	268.8	112	268.8	12 month
	TOTAL CRC				336	660.8	336	660.8	
III	CIVIL WORKS								
13	New primary school			259	45	11655	45	11655	spill handpump
14	New Upper primary school	19	1292	280	56	15680	75	16972	spill handpump
15	Additioanl Class room ps			70	0	0	0	0	
16	Additioanl Class room ups			70	9	630	9	630	
17	Toilets ps			10	0	0	0	0	
18	Toilets ups			10	14	140	14	140	
19	Re-construction ps			191	0	0	0	0	
20	Re-construction ups			183	0	0	0	0	
21	Drinking water ps			15	0	0	0	0	
22	Drinking water ups			15	0	0	0	0	
23	Repair ps			20	0	0	0	0	
24	Repair ups			70	0	0	0	0	
25	Updation of microplanning			250	0	0	0	0	
	TOTAL CIVIL WORKS	19	1292		124	28105	143	29397	
IV	EGS (0.845*25*no. of EGS Centres)			0.845	0	0	0	0	
	Total EGS				0	0	0	0	
V	AIE								
31	AIE (ps) (0.845*25* no.)			0.845	0	0	0	0	
32	AIE (ups) (1.2*30*no.)			1.2	18	648	18	648	
32.1	Bridge course at NPRC level(0845*40*no.)			0.845	112	3785.6	112	3785.6	
33	Bridge course (ps) (3*60* no.)			3	1	180	1	180	
	TOTAL AIE				131	4613.6	131	4613.6	
	TOTAL EGS/AIE				131	4613.6	131	4613.6	
34	Free text books ps			0.05	9519	475.95	9519	475.95	
35	Free text books ups			0.15	34695	5204.25	34695	5204.25	
	TOTAL TEXT BOOKS				44214	5680.2	44214	5680.2	
VII	IED								
	TOTAL IED			1.2	1382	1658.4	1382	1658.4	
	INNOVATIVE ACTIVITIES					5000	0	5000	
VIII	TOTAL Computer Education			0	0	0	0	0	
IX	TOTAL ECCE			0	0	0	0	0	
X	TOTAL Girls Education			0	0	0	0	0	
XI	TOTAL SC/ST Intervention			0	0	0	0	0	
	Total Innovative Activites			0	0	5000	0	5000	
XII	MAINTENANCE								
57	P.S.			5	1050	5250	1050	5250	
58	U.P.S.			5	92	460	92	460	
	TOTAL Maintenance				1142	5710	1142	5710	
XIII	DPC								
	Management cost	0	0	0	0	1720	0	1720	
XIV	RESEARCH, MONITORING &EVALUATION								
71	P.S.			1.4	0	0	0	0	
72	U.P.S.			1.4	111	155.4	111	155.4	
	TOTAL Research,Monitoring &Evaluation				111	155.4	111	155.4	
XV	SCHOOL GRANT								
73	School Improvement Grants ps 2			2	18	36	18	36	
74	School Improvement Grants Ups 2			2	211	422	211	422	
	TOTAL School Grant				229	458	229	458	
XVI	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)								
75	Salary of Asstt Teachers ps			9	0	0	0	0	
76	Salary of Asstt Teachers Ups			10	57	6840	57	6840	12 months

S.No.	Head	Spillover		Approved fresh proposals 2003-04			Total proposals		Remarks
		Physical	Financial	Unit cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Salary of Additioanal Teachers ps			8	0	0	0	0	6 months
78	Salary of Additioanal Teachers ups			2.25	0	0	0	0	11 months
	TOTAL Salary of Teachers saanctioned in (2002-03)				63	6847	65	6849	
XVII	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)								
79	Salary of Asstt. Teachers 2003-04 p s			9	45	2430	45	2430	6 months
80	Salary of Asstt. Teachers 2003-04 u p s.			10	168	10080	168	10080	6 months
81	Salary of Additional Teachers PS			8	0	0	0	0	6 months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	45	607.5	45	607.5	6 months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	840	11340	840	11340	6 months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-04)				1098	24457.5	1098	24457.5	
	TOTAL TEACHERS SALARY	0	0	0	1155	31297.5	1155	31297.5	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)								
84	Teacher Grants ps @ 0.5			0.5	158	79	158	79	
85	Teacher Grants ups @ 0.5			0.5	1485	742.5	1485	742.5	
	TOTAL TEACHER GRANT				1643	821.5	1643	821.5	
XIX	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
87	TLE PS @ 10			10	45	450	45	450	
88	TLE UPS @ 50	19	950	50	56	2800	75	3750	
88a	TLE UPS @ 50 Not covered under OBB		3000	50	0	0	0	3000	
	TOTAL Teaching learning Equipments	19	3950		101	3250	120	7200	
XX	TEACHER TRAINING								
89	Induction training of SM for 30 days @ Rs. 70/-per day			0.07	30	63	30	63	
90	In service Training (HT,AT,SM & BRC,NPRC)for 20 days @ Rs 70/-per day			0.07	160	224	160	224	
91	Teachers (ups) for 15 days @ 70/-per day			0.07	585	614.25	585	614.25	
	TOTAL Teacher Training				775	901.25	775	901.25	
XI	STRENGTHENING OF VEC								
92	VER Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0	0	0	
	TOTAL Strengthening of VEC				0	0	0	0	
XIII	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS CELL	0	0	0	0	200	0	200	
XII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0	0	0	0	0	0	
	GRAND TOTAL		5242		51370	90443.15	51408	95685.15	

AMBEDKARNAGAR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	45	11655	0	0	5	1280	0	0	50	12935
A2	New Upper Primary Schools	451	19	8569	56	15680	0	0	5	1400	0	0	80	25649
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	57	6300	57	6840	57	6840	57	6840	57	6840	285	33660
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	45	607.5	45	1113.75	50	1237.5	50	1237.5	243	4196.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	45	2430	45	4860	50	5400	50	5400	190	18090
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	168	10080	168	20160	183	21960	183	21960	702	74160
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	45	450	0	0	5	50	0	0	50	500
A8.2	UPS	50	35	1750	56	2800	0	0	5	250	0	0	96	4800
A9	TLE UPS not covered OBB	50	60	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	60	3000
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**19619**	0	**60542.5**	0	**32973.75**	0	**38417.5**	0	**35437.5**		**176990.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	25	528.125	125	2640.625	125	2640.625	275	5809.375
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(according to models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	20	422.5	125	2640.625	125	2640.625	270	5703.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	18	648	40	1440	50	1800	50	1800	158	5688
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	112	3785.6	0	0	0	0	0	0	112	3785.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**19619.00**	0	**55156.10**	0	**35974.38**	0	**46108.75**	0	**43128.75**	**0**	**199986.98**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	50	9550	43	8213	12	2292	105	20055
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	5	1915	5	1915	0	0	10	3830
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	250	17500	200	14000	43	3010	493	34510
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	9	630	30	2100	20	1400	6	420	77	5390
R4.1	Toilets Upper Primary	10	15	150	14	140	16	160	16	160	0	0	61	610
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	300	3000	210	2100	198	1980	708	7080
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	5	90	5	90	0	0	10	180
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1050	5250	1095	5475	1095	5475	1100	5500	4340	21700
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	92	460	92	460	167	835	167	835	172	860	690	3450
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.5	Salary of Fresh SM(PS to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	540	11340	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R10.1	School Improvement grant(p.a school) Ps	2	0	0	18	36	1095	2190	1100	2200	1100	2200	3313	6626
R10.2	School Improvement grant(p.a /school) UPs	2	92	184	211	422	242	484	247	494	247	494	1039	2078
R12	**Promoting Girls Education**		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	40	180	40	180	40	180	120	540
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	15	1125	15	1125	15	1125	45	3375
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	60	240	50	200	57	228	167	668
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	60	1500	50	1250	50	1250	160	4000
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0	0	0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	100	500	0	0	0	0	100	500
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	400	1500	400	1500	400	1500	1200	4500
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	100	150	400	600	400	600	900	1350
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	100	7	400	28	400	28	900	63
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1095	3066	1095	3066	1095	3066	3285	9198
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	112	560	112	560	112	560	336	1680
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	805	386.4	805	386.4	805	386.4	2415	1159.2
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	9	225	9	225	9	225	27	675
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	5	333.5	5	333.5	5	333.5	15	3212.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	20	1200	10	600	10	600	40	7400
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1262	3155	1262	3155	1262	3155	3786	9465
	RETENTION Sub Total		0	**4783**	0	**23278**	0	**157354.6**	0	**156805.3**	0	**143107.05**	**0**	**485327.9**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	30	63	1465	3076.5	62	130.2	53	111.3	1610	3381
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	105	220.5	0	0	655	1375.5	76	159.6	53	111.3	889	1866.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	423	592.2	160	224	3375	4725	4709	6592.6	4758	6661.2	13425	18795
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	585	614.25	835	876.75	850	892.5	850	892.5	3120	3276
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	290	406	1500	2100	1557	2179.8	3347	4685.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	67	140.7	45	94.5	0	0	112	235.2
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	27	18.9	27	18.9	27	18.9	81	56.7
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	112	78.4	112	78.4	112	78.4	336	235.2
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	45	63	45	63	45	63	135	189
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	10	3.5	10	3.5	10	3.5	30	10.5
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	133	1382	1658.4	1382	1658.4	1382	1658.4	1382	1658.4	5528	6766.6
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.11	Extra Curricular Activities	25	0											
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	6	15	6	15	6	15	18	45
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	3	6	3	6	3	6	9	18
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	158	79	4550	2275	5889	2944.5	6044	3022	16641	8320.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	528	264	1485	742.5	810	405	1075	537.5	1075	537.5	4973	2486.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	9519	475.95	167000	8350	176519	8825.95	181590	9079.5	534628	26731.4
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	19654	2948.1	34695	5204.25	43265	6489.75	45995	6899.25	49995	7499.25	193604	29040.6
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1095	164.25	1095	164.25	1095	164.25	3285	492.75
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	67	3.35	45	2.25	0	0	112	5.6
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1095	16425	1095	16425	1095	16425	3285	49275
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	167	1252.5	167	1252.5	167	1252.5	501	3757.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**4157.8**	0	**9081.35**	0	**47858.5**	0	**48913.8**	0	**49829.3**		**159820.75**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0	1	50
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	9	1296	9	1296	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	9	594	9	594	18	1188
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	9	324	9	324	9	324	27	972
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	9	90	0	0	9	90
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	9	54	9	54	9	54	9	54	36	216
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	9	18	9	18	9	18	27	54
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	9	90	9	90	9	90	27	270
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	9	45	9	45	9	45	9	45	36	180
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C2.11	Contigency	12.5	0	0	9	112.5	9	112.5	9	112.5	9	112.5	36	450
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	9	32.4	9	32.4	9	32.4	27	97.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	10	50	10	50	10	50	30	150
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	112	560	0	0	112	560
C3.3	Books for Library/Book Bank T.M	1	0	0	112	112	112	112	112	112	112	112	448	448
C3.4	Contingency	2.5	0	0	112	280	112	280	112	280	112	280	448	1120
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	112	268.8	112	268.8	112	268.8	112	268.8	448	1075.2
C4	District Project Office/Management		0	690	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	2410
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	1	18	1	18	1	18	3	54
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	1	120	1	120	1	120	3	360
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1095	1533	1095	1533	1095	1533	3285	4599
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	127	177.8	111	155.4	167	233.8	167	233.8	167	233.8	739	1034.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	867.8	0	2747.7	0	4869.5	0	24657.5	0	24007.5		57150
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**867.8**	0	**2947.7**	0	**5313.5**	0	**25191.5**	0	**24541.5**	**0**	**58862**
	GRAND TOTAL		0	**29427.6**	0	**90443.15**	0	**246500.93**	0	**277019.35**	0	**260606.60**	**0**	**903997.63**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **AMBEDKARNAGAR**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	9559.0	28105.0	34315.0	30558.0	7702.0	110239.0
Management	177.8	155.4	2898.8	4218.8	4218.8	11869.6
Programme	19690.8	62182.8	209287.1	242242.6	248685.8	781889.0
Total	**29427.6**	**90443.2**	**246500.9**	**277019.4**	**260606.6**	**903997.6**
Percentage - Civil	**32.5**	**31.1**	**13.9**	**11.0**	**3.0**	**12.2**
Percentage - Management	**0.6**	**0.2**	**1.2**	**1.5**	**1.6**	**1.3**
Percentage - Programme	**66.9**	**68.8**	**84.9**	**87.4**	**95.4**	**86.5**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**